Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

रविवार, दिनांक २९ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ४ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : Shri Acharya,

(विराम)

Some papers are to be laid on the table of the House first and then you may begin.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना एफ ५(१०५)ई. एण्ड. टी.। ६० दिनांक २८ जून, १९६१ को, जिसके द्वारा राजस्थान बिक्रीकर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, पुनः सदन की मेज पर रखता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५(९) ई. एण्ड टी.।५७ दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ को, जिसके द्वारा राजस्थान बिक्रीकर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२

(आगे त्तर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, आज ही इस राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं. २) बिल पर बहस की जाकर इसे पारित करना है। सरकारी पक्ष की ओर से करीब एक घंटा उत्तर के लिये रखा जायगा। इस तरह से यह बहस हम आठ, पौने आठ बजे तक चला सकेंगे। माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि अपना भाषण करीब आध घंटे में समाप्त कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने पूर्व के भाषण में यह निवेदन किया था कि आयुर्वेद शास्त्र

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

दर्शन शास्त्र व आध्यात्मवाद पर आधारित है और सेवा भाव से सन्निहित है । जिन आधारों पर आयुर्वेद है उसका एक विज्ञान भी है और आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धान्त है–

"धर्मार्थ काम मोक्षाणां आरोग्यं मूल मुत्तमम् ।
रोगा स्तवापः तातारं श्रेयसो जितस्यप" ।।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब के मूल में आरोग्य है । इतनी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, जबकि आरोग्य प्राप्त हो । इसलिए, इसका दर्शन शास्त्र भी है और इसका आधार दर्शन शास्त्र पर है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, किस तरह से आयुर्वेद का निर्माण हुआ और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया प्रश्न सदन के सामने यह रहता है कि वर्तमान आयुर्वेद की रीति-नीति और व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना जरूरी है या नहीं ? ऋषि-महर्षियों ने जिस तरह से इसको श्लोकों, मन्त्रों या विज्ञान के आधार पर पनपाया उसी तरह इसको उसी स्थिति में रखा जाय । इसलिये अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थिति में आयुर्वेद विभाग की रीति–नीति और प्रशासन जो चल रहा है उसको हमें बदलना चाहिये । इसमें हम सजग हों आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में । मैं पहला प्रश्न सदन के समक्ष यद्यपि आयुर्वेद मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं, रखना चाहता हूं, वह यह है कि वास्तव में औषधालयों की संख्या बढ़ी है और संख्या से हमें सन्तोष है । लेकिन संख्या के साथ साथ इसकी कार्य-प्रणाली, कार्य-कुशलता सेवा-भाव तथा कर्त्तव्य-निष्टा बढ़ी हो, इसमें शक है । मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि सदन यह जानता है, इस बात की पुष्टि होती है कि आयुर्वेद की औषधियां सीमित रूप से औषधालयों को दी जाती हैं और मेरा विश्वास है कि तीन-चार महीनों पश्चात् औषधियों का संग्रह समाप्त हो जाता है और जब औषधियों का अभाव रहता है तो वैद्यों के पास केवल एक चीज रह जाती है–केवल विश्वास । गांवों में अन्ध विश्वास के कारण लोगों की दौड़ देवालयों और भोपों तक होती है । भोपे उनको पूर्ण विश्वास देते हैं और मन्त्रों के आधार पर विश्वास देते हैं लेकिन वैद्य विश्वास तो देते हैं, लेकिन उनके पास औषधि का वह आधार नहीं रहता है । इसलिए मैं इस विभाग का ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करता हूं कि इसके प्रति वह जागरूक रहें और साथ ही साथ औषधालयों और औषधियों की क्या स्थिति है, इसको ध्यान में रखें ।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में निवेदन किया था कि आयुर्वेद को सबसे बड़ी शंका और सबसे बड़ा डर है एलोपैथी चिकित्सा से । मुझे विश्वास है कि इस चिकित्सा प्रणाली से सचेत नहीं रहा गया तो निश्चय ही आयुर्वेद को यह चिकित्सा प्रणाली निगलेगी और वह वक्त आयेगा जब आयुर्वेद इस चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ नहीं चल पाने के कारण पीछे रह जायगा । मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि आज के वैद्यों की और मुख्यतया गांव के वैद्यों की स्थिति अगर आन्तरिक रूप से देखी जाय, तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि एक कम्पाउन्डर से अधिक स्थिति उनकी नहीं है । और वह इसलिए नहीं है कि आयुर्वेद के वैद्य गांवों में इस समय जो चिकित्सा प्रणाली अख्तियार करते हैं वे इस चिकित्सा प्रणाली–विदेशी

Page No.3

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

एलोपेथी पद्धति-के आधार पर एक चमत्कार दिखाना चाहते हैं । इसलिए मुझे शंका है इनके मानस को पलटा जाना चाहिए, जो अपने आपको वैद्य कहते हैं और गांवों में चिकित्सा करते हैं। जो एलोपेथी के इन्जेक्शन लगाते हैं, एलोपेथी के आधार पर सर्जरी करते हैं, एलोपेथी की दवाइयां देते हैं और फिर भी आयुर्वेद प्रणाली को अच्छा प्रमाणित करने की डींग हांकते हैं वे आयुर्वेद को एलोपेथी प्रणाली से पीछे रखते हुए, उसका इन्डीकेशन न देते हुए आगे रखना चाहते हैं। मुझे, अध्यक्ष महोदय, इसकी पुष्टि करने के लिए कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आयुर्वेद विभाग के वैद्यों ने एक खानदान को लावारिस करने की सील लगाई। आयुर्वेद के एक वैद्य महोदय ने डाढ़ निकाली एक महिला की और वह डाढ़ निकाली अध्यक्ष महोदय, उस इन्स्ट्रुमेंट से, जो बाप-दादा के वक्त से उनके चला आ रहा था। जिसके कारण सेप्टिक होकर वह मरीज मर गया। उसके छः महीने के बाद उसका खाविन्द मर गया। उस खाविन्द को भी इन्जेक्शन दिया उन वैद्य महोदय ने । वह इन्जेक्शन इन्ट्रावीनस दिया । इस तरह छः महीने के बाद खाविन्द भी इन्जेक्शन के जहर से मर गया। अब मकान है, लेकिन वह सिर्फ औषधालय के काबिल रह गया है, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं रहा है। मैंने अध्यक्ष महोदय, इसका मंत्री महोदय से जिक्र किया, इस विभाग के विभागाध्यक्ष से जिक्र किया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आयुर्वेद के नाम पर, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा के नाम पर इन वैद्यों का मानस परिवर्तन करना चाहिए। यदि ये एलोपेथी से घृणा करते हैं तो अपने हृदय से भी घृणा करें जिससे आयुर्वेद उत्थान की ओर बढ़ सके। इसके साथ ही एलोपेथी के इन्जेक्शन, एलोपेथी के आधार पर सर्जरी और एलोपेथी की दवाइयों और अन्य साधनों को आयुर्वेद के वैद्य नहीं अपनायें, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक हैं और उनको इस पद्धति का अध्ययन नहीं है। कहावत है 'नीम हकीम खतरा ए जान।' इस तरह के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसलिए यह समय की मांग है, अध्यक्ष महोदय, कि आयुर्वेद विभाग अपनी दकियानूसी सीमाओं से आगे निकल कर इस विज्ञान में प्रगति करे, इसमें विकास करे। लेकिन आज आयुर्वेद के वैद्य इसका विकास नहीं कर सकते, वे इसकी प्रगति नहीं कर सकते। इसलिये नहीं कर सकते कि इनके पास नवीन विज्ञान नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जमाना विज्ञान के आधार पर बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही साथ वनस्पति शास्त्र के अन्दर कई शोध हो रही हैं। हर प्रकार की शोध वनस्पति औषधियों में हो रही है अब सारे संसार का ध्यान जब आयुर्वेद वनस्पति शास्त्र, काष्टादि औषधियां, भस्मादि, रसायनादि की ओर लगा हुआ है और संसार इन औषधियों पर रिसर्च करके नया परिवर्तन देना चाहता है उस समय हमारे यहां के वैद्य लकीर के फकीर बने हुए हैं और इन शास्त्रों को पढ़ कर ही इस आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह कहां तक उचित है, यह स्थिति समझ में नहीं आती। इसलिए मेरा विनय है, अध्यक्ष महोदय, कि आयुर्वेद की प्रगति इन वैद्यों से

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

नहीं हो सकती है। आयुर्वेद की प्रगति हो सकती है तो आगे आने वाले युग में हो सकती है। आयुर्वेद का विकास अध्ययनशीलता से ही हो सकता है। मेरा सुझाव है कि जिन कॉलेजों में इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता है वहां इन्टीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, इन्टरमीजियेट साइन्स में उत्तीर्ण विद्यार्थी को एडमिट किया जाय। उनके पाठ्यक्रम में एक साथ एलोपेथी और आयुर्वेद का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाय, जिससे आगे चल कर एलोपेथी और आयुर्वेद के विज्ञान को समझ कर इसमें शोध कर सकें और इसे प्रगति की ओर बढ़ा सकें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे आयुर्वेद के मंत्री इसके सिद्धान्तों इसके श्लोकों, और इसके शास्त्र में फंस रहे हैं। वे इस सीमा से बाहर निकलें और वे बाहर निकल सकते हैं और उनको सूझ इस विज्ञान के आधार पर मिल सकती है। मैं अध्यक्ष महोदय, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह हिन्दुस्तान में दूसरा इन्स्टीट्यूट है। पहला इन्स्टीट्यूट शायद जामनगर में है, और दूसरा इन्स्टीट्यूट उदयपुर में है। इस इन्स्टीट्यूट में शोध कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बाल पक्षाघात पर शोध हो रहा है। बाल पक्षाघात पर जापान, रूस, अमेरिका अभी तक शोध करते करते थक गये हैं, लेकिन शोध नहीं हो सका। किन्तु हमारा आयुर्वेद विभाग, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रोगों का वितरण शोध कार्य के लिए हो रहा था उस समय बाल पक्षाघात को शोध के लिए अपना विषय स्वीकार कर आया और इसके साथ नाहरू को भी स्वीकार किया। लेकिन बाल पक्षाघात पर शोध कार्यक्रम लेकर इधर जब आये तो सारे हिन्दुस्तान ने आश्चर्य प्रकट किया कि बाल पक्षाघात, जिसके सम्बन्ध में निदान तक नहीं हो सका और न चिकित्सा पद्धति का ही निर्णय अभी तक हो सका उसके ऊपर यहां शोध करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज नतीजा यह है कि वहां पर ६६ परसेन्ट बाल पक्षाघात के एडमिट हुए और रिज़ल्ट अध्यक्ष महोदय, ६८.५ परसेन्ट असफलता का है। यह शोध कार्य हमारे राजस्थान के आयुर्वेद विभाग का है और इसका खर्चा अध्यक्ष महोदय, १०० परसेन्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। इस प्रकार का शोध कार्य इस विभाग में हो रहा है। इसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट तथ्य हैं, इनको छिपाया नहीं जा सकता। इन्टीग्रेटेड कोर्स से ही व्यक्ति को वास्तविक विज्ञान का अनुभव होता है। एलोपेथी चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को, जो वैज्ञानिक रूप से परख सकता है, आयुर्वेद में इसी आधार पर रिसर्च हो सकता है। ऐसे ही व्यक्ति यदि इस रिसर्च इन्स्टीट्यूट के इन्चार्ज बनाये जायें तो रिसर्च आगे बढ़ सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि यह स्थिति नहीं आ सकती है। इसलिए नहीं आ सकती है कि इस विभाग में भिषगाचार्य की उपाधि आखिरी योग्यता है। १६४६ में यह परीक्षण शुरू हुई थी। इसके उपरान्त कोई उपाधि इन वैद्यों को नहीं दिखती है, जिसके आधार पर ये प्रगति कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है जब तक कॉलेज का ढांचा और आयुर्वेद

Page No.5

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

का ढांचा इस आधार पर नहीं रखा जायगा, जब तक एलोपेथी और आयुर्वेद की कम्पेरेटिव स्टेडी नहीं रखी जायगी तब तक आयुर्वेद के अन्दर प्रगति नहीं हो सकती। ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही जो फार्मेसीज़ खुली हुई हैं आयुर्वेद की और राजस्थान की आयुर्वेद की फार्मेसी में जो दवायें बनाई जाती हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रश्न है, हमारे शास्त्रों में चमत्कार बताया है और जो चमत्कार बताया है वह ऐसा है कि जिसके लिए कह सकते हैं कि एग्ज़ेज़रेशन है, अतिशयोक्ति है; लेकिन फिर भी जो पारे का वर्णन है, वह यह है:—

"सिद्धे सूते करिष्यामि निदारिद्रमयं जगतं–
नागार्जुनम्"

यदि पारा शोधित हो जाता है तो रसायन रसादिक के शास्त्रकार ने कहा है कि मैं सारे संसार को दरिद्रता से मुक्त कर सकता हूं। क्योंकि मैं सोना बना सकता हूं, मैं इससे रोगों को एवं दरिद्रता को दूर करसकता हूं। इस प्रकार पारे के गुणों का वर्णन किया गया है। मैं निवेदन कर रहा था कि इन फार्मेसियों में रस बनते हैं, भस्म बनती है, और काष्टादि औषधियां बनती हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, वे किस प्रकार बनती हैं, किस प्रकार का टेस्ट उनका होता है, इसके क्या एक्शन रीएक्शन हो सकते हैं, इस सब का कोई ध्यान नहीं होता, न इसका जिक्र होता है। यह होता है कि रस जिस औषधि को कहते हैं, भस्म जिस औषधि को कहते हैं इनसे एक्शन और रीएक्शन होते ही नहीं हैं। अगर होते हैं तो गुण होते हैं क्योंकि आयुर्वेद के शास्त्रकारों ने कहा है कि हर औषधि के अलौकिक गुण हैं। इसलिए हमारे आयुर्वेद के वैद्य इस बात को आदि सत्य मान बैठे हैं और इनके गुण एवं अवगुणों के विश्लेषण को उदासीनता से देखते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का शास्त्र है। यदि शास्त्र इसका है, अध्यक्ष महोदय, और आदि जाति के माननीय मंत्री इसके मंत्री हैं लेकिन विकास के आदि में यह फंसा हुआ है, आयुर्वेद विभाग। इसकी प्रगति भी आदि है, अतः यह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद के विकास के प्रश्न पर इसको विचार में लाया जाय।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के साथ साथ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में, कुछ निवेदन करना चाहूंगा मैं कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के संबंध में अधिक निवेदन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें जो कमी खटकती है, वह राष्ट्रीयता की बात खटकती है वह है अध्यक्ष महोदय, जन सहयोग, जन–भावना और जन-जागृति की कमी। इसलिए इन चीजों को हमें जनता में पैदा करना है अगर हम कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहते हैं। जब तक हमको जन सहयोग प्राप्त नहीं होगा, लोकल इन–सेन्टिव नहीं मिलेगा इस कार्य में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने इस उद्देश्य से पंचायत राज्य को लागू किया कि लोग यह समझने लगें कि हम पर अपने देश की जिम्मेदारी आई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने अनुभव किया कि लोगों में अभी तक लोकल

Page No.6

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

इन्सेन्टिव (आत्म निर्भरता की भावना) पैदा हो रही हो, ऐसा अनुभव नहीं होता । मेरा सीधा प्रस्ताव है कि जनता जागरूक हो और राष्ट्रीय कार्यों की ओर उनके सहयोग आगे बढ़े । माननीय अध्यक्ष, हमारे सोचने का तरीका और व्यवहार का जो तरीका है उसको बदलना होगा और हमको हमारे गांवों के स्तर पर कार्यकर्त्ता पैदा करने होंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में आज कल स्वागत समारोह और उद्घाटन अधिक होते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इसको शक्ल को बदला जाए । हमारे शिक्षा मंत्रीजी यहां पर बैठते हैं । जब हमारे शिक्षा मंत्रीजी टूर पर जाते हैं तो अपने टूर प्रोग्राम के साथ एक कागज और निकलाते हैं जिसमें बाजार का सब्जी को उनके खाने के काम में लेने को निषेध होता है । बहुत अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, ताकि बाजार की बनो चीजों में स्वागत करने वाले अतिथि के खाने में प्रयोग नहीं करेंगे । उस आदेश से शुद्ध घी खाने को मिलेगा । इस तरह के संकेत शिक्षा मंत्री अपने टूर प्रोग्राम के साथ में अग्रिम देते हैं । इसलिये मेरा इसके साथ साथ यह सुझाव है अध्यक्ष महोदय, कि इसी आधार पर हमारे अन्य मंत्रि-मंडल के सदस्यों को भी चाहिये कि जब वे टूर करें तो कम से कम अपना प्रोग्राम इसी प्रकार का बनावें और उस प्रोग्राम के साथ साथ एक कागज और जोड़ दिया जावे वहां पर काम करने वाले लोग स्वागत में न हों । इससे यह होगा कि पब्लिक के लोग ही । स्वागत में आवेंगे । इसके अलावा यह भी लिख दें कि मेरे आने से पूर्व गांव की जनता मेरे स्वागत करने हेतु खड़ी नहीं रहे, मैं खुद आपके स्वागत के लिये समारोह में आऊंगा, आप दरवाजे नहीं बनावें, झन्डियां नहीं लगावें । इस कार्यक्रम में मैं स्वयं आपका स्वागत लेने आ रहा हूं; आप उसमें पार्टीसिपेट करेंगे । मैं यह इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि इसका फल यह होगा कि आपके स्वागत में असली स्वागत करनेवाले जनता के लोग आवेंगे और वे आपका स्वागत करेंगे । आपका जनता के साथ भी सीधा संपर्क होगा और जो दरवाजे बनाने में श्रम और व्यय होता है वह भी नहीं होगा, उसकी भी बचत होगी और आप उसको दूसरे खर्चों में काम में ला सकेंगे । यह फिजूलखर्ची बन्द होगी और आप उनको प्रगति का संदेश दे पावेंगे । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप सब के टूर प्रोग्राम के साथ इस तरह का कार्यक्रम निकालें और इन बातों को बढ़ाया जावे जिससे गांवों में बहुत शिक्षा-दीक्षा मिल सकती है ।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि हम यह मान कर चलते हैं जैसा कि डॉ० बारा ने अपनी पुस्तक "इन्डिया एन्ड वेस्ट" में लिखा है, यह एक मोटी पुस्तक है लेकिन इसका निष्कर्ष यह है कि जो उत्साह की लहर कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए शुरू में लोगों में थी वह अब नहीं रही है और वह दिनों दिन घटती जा रही है । वह दिन भी आ सकता है जब गांव के व्यक्ति इसके प्रति बिल्कुल ही उदासीन हो जायें । इसी तरह से ए० आई० सी० सी० का इकोनोमिस्ट पेपर जो कांग्रेस संगठन का स्पोक्समैन है उसने भी इसका समर्थन किया है और कहा है कि जन-शक्ति के सहयोग का प्रश्न है वह शिथिल होता जा रहा है । इसी प्रकार यू० पी० गवर्नमेंट ने तीन साल पूर्व राष्ट्रीय विकास के कार्य-

Page No.7

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

क्रम की जांच के लिये एक कमेटी मुकर्रर की थी। वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि हम कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें जन जागृति और जन–बल को सबल बनाना होगा। इसलिये यह साफ है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी यह विकास नीति जो अभी चल रही है उसमें आमूल परिवर्तन यदि नहीं किया तो मैं कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के मंत्री से कहना चाहता हूं कि इसमें सफलता नहीं मिल सकेगी। अभी भी मैं कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वे बतावें कि इसमें कहां तक अभी सफलता हमको मिली है? क्योंकि राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों की सफलता के सर्वांगीण आंकड़े हमारे पास नहीं हैं; कहां तक इस कार्य में सफलता मिली है और कहां तक आगे सफलता मिलने की संभावना है, इसके बारे में अलग अलग विभिन्न कार्यों की सफलता के संबंध में सुझाव आने चाहिये। यह तो मैंने संक्षेप में जहां तक कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का प्रश्न है उसका जिक्र किया है।

इसी तरह से प्लानिंग के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से आया है कि हमें प्लान में स्टेट बोर्ड बनाना होगा। इस संबंध में हमें सतर्क रहना होगा। यह आवश्यक है कि बोर्ड बनाया जाए लेकिन उस बोर्ड का ढांचा किस ढंग का हो, अध्यक्ष महोदय, यह देखने की बात है। कहीं ऐसा बोर्ड न हो कि हममें से जो लोग राजनीति से खाली बैठे हैं वे लोग इस बोर्ड में न आजावें। इसकी शंका लोगों में पैदा हो गई है। इस प्रकार की शंका स्युटेरी इकोनोमिस्ट पेपर ने की है कि यदि ऐसे स्टेट बोर्ड में इस बात का ध्यान रखा जाए कि रिटायर्ड ऑफिसरों और दूसरे खाली बैठे हुए लोगों को नहीं लिया जावे, जिससे ख्वामख्वाह प्लानिंग कमीशन का खर्चा हो और वह स्टेट पर एक तरह का बर्डन हो। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस तरह का कोई वाया मीडिया निकाला जावे कि जिससे यह बोर्ड अच्छा बोर्ड बने और जिस तरह से अभी हमारा प्लान चलता है वह थोड़ा बदल जावे। मेरा इसके लिये यह सुझाव है कि इसमें प्लान के विशेषज्ञों, एक्सपर्ट लोगों को ही लिया जावे। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रायोरिटी के प्रश्नों, कार्यक्रमों का नहीं रखा गया। एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्लान में और दूसरे प्लान में कभी प्रायोरिटी नहीं दी। यह तरीका थर्ड प्लान में थोड़ा बदला है और दूसरे वैलफेयर स्कीमों के मुकाबले में प्रायोरिटी एग्रीकल्चरल को दी है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कार्यों को भी साथ साथ लेने का निर्देश दिया है। यही कारण है कि सैकन्ड प्लान निकल गया और लोगों की यह धारणा बन गई कि कृषि उत्पादन में अधिक कुछ कार्य नहीं हो पाया। जहां तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सवाल है, मानते हैं कि इसमें सरकार सजग है। फिर भी मुझे यह भय है कि सरकार पोलिटिकल प्रेशर से बच पायेगी या नहीं। इसलिये मैं यह तीसरे प्लान के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पोलिटिकल प्रेशर से किसी तरह से प्रोग्राम में कृषि–उत्पादन की प्रायमीरिटी में जोर न दे सकेगी तो फर्स्ट प्लान, सैकन्ड प्लान और थर्ड प्लान में कोई फर्क नहीं रहेगा।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

तीसरा सवाल है वह यह है कि राजस्थान में २१ लाख भीलों की आबादी है। मैंने इस बजट को देखा और इस संबंध में आदिम जाति के कल्याण में जो खर्चा होता है उसको भी देखा और जो इस जाति की आबादी है उसके अनुपात से मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है; अन्यथा २१ लाख शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये जो २ लाख रुपया भारत सरकार ने रखा है वह बहुत कम है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को चाहिए कि वह भारत सरकार से अनुरोध करे कि २१ लाख भीलों के लिये ज्यादा से ज्यादा अनुदान मिलना चाहिये।

इसके बाद पंचायत राज्य जब आपने कायम कर दिया है तो दूसरी स्वतन्त्र संस्थाएं हैं एवं जो दूसरी एजेन्सीज़ हैं; जैसे भारत सेवक समाज या दूसरी कोई भी एजेन्सी हो उनके द्वारा विकास एवं समाज कल्याण का काम हो, यह उचित नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज्य के बनने के बाद जितनी इस प्रकार की एजेन्सी या संस्थाएं काम कर रही हैं वे सब पंचायत समिति को सुपुर्द कर दिये जावें ताकि आपका बजट आगे बढ़ सके। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां जन-सहयोग का जो अभाव है उसको मिटाने के लिये मेरा यह सुझाव है कि यूथ मंडल जो गांवों की आधार शिला है और जो विकास कार्य में बल दे सकते हैं और गांवों को ऊपर उठा सकते हैं उनको उत्साहित किया जाय ताकि गांवों में जन-बल का संगठन हो सके और जो चीजें राष्ट्रीय विकास की हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सके। तो इसके सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता था कि ये दूसरे प्रोग्राम वॉलन्टियरी एजेन्सीज़ के हैं। पंचायत समितियों के पास इतना पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में ओवरलेपिंग एक्टिविटीज़ की रोक की जानी चाहिए, उसके लिये सरकार विचार करे और इस सम्बन्ध में कोई हल निकालने के लिए आयोग का गठन करे; जो इस बात की जांच करे कि पंचायत समितियों के आधार पर एवं जिला परिषदों के आधार पर लोकल इनीशियेटिव को किस तरह जाग्रत किया जाय। उक्त आयोग में पंचायत समितियों, जिला परिषदों के और दूसरी वॉलन्टियरी एजेन्सीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाय। यदि ऐसा आयोग गठित किया जा सके तो सरकार अपने हाथों में नहीं, पंचायती राज्य के हाथों में सत्ता लाने की स्थिति पैदा कर सकेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत सेवक समाज एवं ऐसी ही अन्य संस्थाओं का प्रश्न है हमारे यहां प्लानिंग कमीशन के मारफत पैसा आता है नॉन प्लान्ड एक्सपेन्डीचर के नाम से। प्रान्त को नहीं पूछा जाता, प्रान्तीय सरकार को नहीं पूछा जाता। कलेक्टर की सिफारिश पर भारत सेवक समाज को पैसा मिलता रहता है। भारत सरकार करोड़ों रुपये देती है। अतः सरकार के माध्यम के बिना दूसरी वॉलन्टियरी एजेन्सीज़ को यह पैसा दिया जाय, यह ठीक जंचता नहीं। पंचायती राज की सफलता के लिए है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकल इनीशियेटिव को अलग प्रश्न बना कर जिला परिषदों, पंचायत समितियों और जहां जहां ट्रेनिंग

Page No.9

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

सेन्टर्स हैं उन सबको मिला कर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये ।

अब मैं थोड़ा विकास विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । विकास अधिकारी जो हमारे विकास धर्म में पूरा विश्वास रखता हो, ऐसा आदमी हमको मिले । किन्तु इस किस्म का आदमी हमारे विकास केन्द्रों में शायद ही मिलता है । जो व्यवस्था सरकार ने की है कि एस. डी. ओ. को विकास अधिकारी बनाने के सम्बन्ध में यह एक भयंकर व्यवस्था है । हुकूमत की बू लेकर आने वाला व्यक्ति किस प्रकार के विकास कार्य कर सकता है, इसका प्रमाण आज हमारे सामने है । पंचायती राज को इस तरह के एक्सपेरिमेन्ट का क्षेत्र नहीं बनाना चाहिये । अलग क्षेत्रों में इस तरह के एक्सपेरिमेन्ट किये जा सकते हैं । एस. डी. ओ. को विकास अधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये । बर्मा शैल और लीवर ब्रदर्स अपने कार्यकर्त्ताओं का सिलेक्शन करती हैं और उस सिलेक्शन में सैकड़ों उम्मीदवारों में से कुछ सिलेक्ट किएजाते हैं और इस प्रकार के सिलेक्शन से लेने के बाद उसका प्रोबेशन पीरियड ६ महीने का होता है । तो बर्मा शैल के उस कार्यकर्त्ता से हमारा विकास अधिकारी बहुत अधिक महत्व रहता है । इसकी सेवाओं का अलग केडर किया जाना चाहिए । Once a B. D. O. is always a B. D. O.

बी. डी. ओ. एवं विकास के कर्मचारियों की सेवाओं का विभाग प्रशासनिक विभाग से भिन्न हो इस तरह की कोई स्थिति राजस्थान सरकार बना सकती है । मेरा विश्वास है कि तभी हम डेवलपमेन्ट के नाम पर आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह अलग केडर होने से बी. डी. ओज़., एस. ई. ओज़., आई. ओज़, और जो भी ऐसे कार्यकर्त्ता विकास केन्द्रों में हैं उन सबको अपना काम दिखा कर आगे बढ़ने का, विकास अधिकारी बनने का मौका मिल सकेगा ।

जहां तक विकास विभाग का सवाल है ऊपर से लेकर नीचे तक स्थिति अजीब है । इसमें विकास की वृति का जीवन मालूम नहीं होता । जो गांवों को जीवन देना चाहता है उसमें खुद में जीवन मालूम नहीं होता । डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने कभी किसी विकास केन्द्र का इस विकास की धारणा, धर्म से, नीति से कि किस तरह उस केन्द्र के विकास कार्यक्रम का काम चलता है, कभी इन्सपेक्शन नहीं किया । यदि सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पॉवर किसी डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं तो सारे पॉवर्स डेवलपमेंट कमिश्नर में सेंट्रलाइज़्ड हैं । सीनियोरिटी के आधार पर हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर का सिलेक्शन होता है । दो–चार आदमी आई. ए. एस. के अधिकारी हैं, उनमें कोई सीनियर है तो वह डेवलपमेंट कमिश्नर हो जायगा । यह नहीं देखा जाता कि विकास के काम को वह आगे बढ़ा सकता है या नहीं । विकास की कामयात्री का दौर क्या हो, इसको नहीं समझ कर कमिश्नर बन जाते हैं । तो विकास को आगे बढ़ाना उनके बूते की बात नहीं होती । इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मेरिट-कम-सीनियोरिटी का कन्सिडरेशन हो न कि सीनियोरिटी का । सीनियोरिटी का सवाल भगवान् के नाम से कम से कम इस विकास से तो हटा देना चाहिये । जो सिर दे सकता

Page No.10

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

हो जो ग्रामों की स्थिति को आगे बढ़ा सकता हो उसको यह मौका दिया जाना चाहिये ।

तीसरा प्रश्न जिला परिषदों के सम्बन्ध में आता है । वह यह आता है कि जिला परिषद् की स्थिति को सम्भालने का है । जिला परिषद के सेक्रेटरी और कलेक्टर इसका कोई एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं । कानून के माफिक कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि जिला परिषद् की हर मीटिंग को अटेंड करे, इसके साथ ही विकास के कदम किस गति से चल रहे हैं और और कमेटीज़ किस तरह काम कर रही हैं, यह सब कुछ देखे । इस तरह सारा विकास का कार्य उसकी जिम्मेदारी पर आश्रित होता है । फिर अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं कि कलेक्टर आइज़ एन्ड ईयर्स गवर्नमेंट के होते हैं और कितने दूसरे कामों में एन्ज़ोर्ब रहते हैं । वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होने के नाते विकास के कार्यों को कितना देख पाये हैं, यह बात सीधी है और जवाब देने योग्य है । मैं चाहता हूँ कि कलेक्टर को विकास के कार्यों से अलग रखा जाय । कितना उत्साह आज तक के विकास कार्यों में कलेक्टर ने लिया है, कितना योग विकास के कार्यों में कलेक्टर ने दिया है, यह अगर मालूम करना चाहें तो इसकी जांच के लिये एक आयोग बैठाइये कि कलेक्टर ने विकास के कार्यों में कितना सहयोग दिया, कितना उत्साह लिया तो मेरी मान्यता है कि उनका सहयोग शून्य के बराबर है । तो कलेक्टर्स को विकास के कार्यों से अलग कर दिया जाय, लॉ एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन उनके जिम्मे रखा जाय । इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट जिला परिषद् के क्षेत्र में आते हैं उनका जिला परिषद् की अलग अलग कमेटीज़ में विलीनीकरण किया जाना चाहिये । आई. ए. एस. केडर के ऊंची गति रखने वाले कलेक्टर की योग्यता के अधिकारी जिला परिषदों में काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि जिला परिषदों की गति आगे बढ़ेगी; अन्यथा कलेक्टर का नाम जिला परिषद् के साथ जोड़ना शून्यवत् है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में अपना भाषण समाप्त करता हूं । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय, जो कुछ भी इस सम्बन्ध में उन्होंने देखा है, अनुभव किया है, उसका जवाब देंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस के अन्दर एप्रोप्रियेशन बिल पर विचार हो रहा है । लेकिन इस बिल के अन्दर जिस तरह के टैक्स लगाने की बात है, कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने की बात है, टैक्स लगाने की बात है, इन सब से यह साफ जाहिर होता है कि हम राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं । लेकिन जो रुपया टैक्स के रूप में जनता से वसूल किया जाता है उसका सही मायने में उपयोग नहीं हो पाता । मैं इस सब की जिम्मेवारी केवल सरकार पर नहीं डाल सकता, यहां हाउस के अन्दर जो हम १७६ मेम्बर्स बैठे हुए हैं उन सब पर उसकी जिम्मेदारी है । सरकार जिस प्रकार टैक्स लगाती है और उससे जो पैसा वसूल होता है उस रुपये को किस तरह से खर्च किया जाय, उस रुपये का उपयोग-दुरुपयोग करना चाहते हैं या करते हैं सारी बातों को रोकने के लिये अपने हाउस के १७६ सदस्यों का फर्ज है । जिस तरह से इस रुपये को डेवलपमेन्ट के

Page No.11

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

अन्दर डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के अन्दर खर्च कर रहे हैं, जिस समय राजस्थान में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन हुआ था उसकी सारे हिन्दुस्तान में आवाज़ थी डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की ओर हमने कदम उठाया है वह होने के बाद अध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान की जनता को विश्वास था कि इससे जनता को सुविधा मिलेगी । मैं समझता हूं, जो परेशानी आज बढ़ी है वह इस डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के कारण और ज्यादा बढ़ी है । आज जनता इस बात को पुकार रही है कि हर गांव के अन्दर एक लीडर तो पैदा हो गया है, इससे जनता में जागृति जरूर आई है लेकिन डीसेन्ट्रलाइज़ेशन होने के बाद जो बेकारी की समस्या हमारे राजस्थान में थी वह दूर नहीं हो पायी है । बेकारी की समस्या इसी तरह से पड़ी हुई है ।

राजस्थान सरकार ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाया है । पचास प्रतिशत शिक्षा राजस्थान में बढ़ी है....

एक माननीय सदस्य : यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पचास प्रतिशत नहीं तो ६० प्रतिशत होगी । लेकिन यह माना जा सकता है कि पहले के बनिस्बति शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है । लेकिन जहां शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई वहां राजस्थान सरकार ने यह अनुभव नहीं किया कि जो बेकारी की समस्या इससे बढ़ रही है उसको किस प्रकार से दूर किया जाय । आज जितने भी पढ़े लिखे लोग कॉलेजों से स्कूलों से, निकलते हैं वे आगे पढ़ना चाहते हैं और जो आगे पढ़ कर बी० ए०, एम० ए० हो करके निकलते हैं वे बेकार फिरते रहते हैं । उनको राजस्थान सरकार किसी भी तरह से स्थान नहीं दे पाती । इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये उपाय सोचने चाहिये । जो उपाय अब तक नहीं सोचा है उसी के कारण यह बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । यह बेकारी की समस्या इस डीसेन्ट्रलाइज़ेशन से दूर हो जाय, यह नहीं होने वाला है । हमने डीसेन्ट्रलाइजेशन इसलिये किया था, राजस्थान सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जनता को यह विश्वास दिलाया था कि वह बेकारी की समस्या को किसी भी तरह से दूर करेगी । लेकिन वह बेकारी की समस्या दूर नहीं हुई । गांव के अन्दर लीडरशिप तो जरूर आ गई है लेकिन परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं । मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह भी बता देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन टैक्स का भार जनता पर बढ़ता जा रहा है उन टैक्सेज़ के बढ़ने से जनता ज्यादा परेशान होती जा रही है । जनता टैक्स देने से नहीं हिचकिचाती, आप उनसे टैक्स लीजिये लेकिन जो लोग दूसरे देशों में गये हैं वे जानते हैं कि वहां टैक्सेज़ की हालत किस प्रकार की है ।

एक माननीय सदस्य : आप तो जाकर आये हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो गया हूँ । वहां पर इस तरह से टैक्स नहीं लगता है जिस तरह से आज राजस्थान के अन्दर और दूसरे प्रान्तों के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर

Page No.12

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लगते हैं। सब जगह अलग अलग टैक्स लगते है; राजस्थान का अलग, पंचायत समितियों का अलग, पंचायतों का अलग इस तरह से एक आदमी को सात, आठ और दस प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। आज जिस प्रकार के टैक्स बिज़नेसमैन पर हैं या दूसरे धन्धे करनेवालों पर हैं या खेती करने वालों पर हैं वे सब इस प्रकार टैक्सेज से परेशान हैं।

जहां तक रेवेन्यू का सवाल है मेरी यह मान्यता है कि गश्त गिरदावरी की प्रथा बिल्कुल समाप्त होनी चाहिये। आज पिचहत्तर प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको पटवारियों से गश्त गिरदावरी नहीं मिलती है और उनके केसेज़ लम्बे अर्से से चलते आ रहे हैं। टीनेन्सी एक्ट में हमने तय कर दिया धारा १६ के अन्दर कि जो आदमी जमीन पर काश्त करता है वह उसका मालिक है। तो फिर ऐसी हालत में गश्त गिरदावरी की क्या जरूरत है, वह केवल किसानों को परेशान करती है। तहसीलदार, नाजिम, गिरदावर, पटवारी के पीछे पीछे वह फिरता रहे। इस तरह से एक काश्तकार को इनके पीछे फिरने में बीस, पच्चीस रोज लग जाते हैं। इस तरह से मुकदमों से भी किसान बहुत परेशान हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में इससे वहां के लोग परेशान हैं। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक गश्त गिरदावरी को खत्म नहीं करते हैं तब तक उन काश्तकारों का भला नहीं होने वाला है। आज देखा यह जाता है कि एक काश्तकार को दूसरे काश्तकार से लड़ाने का काम पटवारी करता है, झगड़े कराता है, वैमनस्यता फैलाता है। पटवारी गिरदावर, नाजिम, कलेक्टर आदि दिन प्रतिदिन इन पर ज्यादा मुकदमे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे वे लोग काफी परेशान हैं। एक तरफ तो आप इस प्रकार का कानून पास करते हैं और दूसरी तरफ गश्त गिरदावरी कायम करना चाहते है, यह कभी नहीं हो सकता। ये दोनों साथ साथ नहीं चलनेवाले हैं। दोनों चीजें साथ साथ चलायेंगे तो इससे हानि होगी, डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। आज जो इस सम्बन्ध में मायूसी फैली हुई है वह और भी ज्यादा बढ़ती जायगी।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, टीनेन्सी एक्ट के अन्दर हमने इस प्रकार का प्रोविज़न किया है कि अपनी जमीन है चाहे व चाही हो या बारानी हो, खेत के अन्दर वह अपने लिये पक्का मकान बना सकता है। लेकिन इसमें यह बात कर दी जितनी जमीन चाही या बारानी है. उतने ही बिस्वे के अन्दर पक्का मकान बना सकता है। यह बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर कोई भी आदमी मकान बनायगा तो वह अपने रहने के लिये बनायगा मकान ज्यादा बना कर तो बेचेगा नहीं। यह बात तो हो नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार के मामले मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर करीब ५०० हैं; इस तरह से लोगों को पटवारियों ने और गिरदावरों ने परेशान कर रखा है।

जो चाही और बारानी जमीन है, खातेदार हैं, उनके ऊपर पटवारी और गिरदावरों ने केस बना रखे हैं और काश्तकारों को दस-दस, बीस-बीस, पेशियों

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पर बुला कर परेशान कर रखा है । वकील करो, शहादत लाओ । काश्तकार कमा कर खावेंगे या मुकदमेबाजी लड़ेंगे ? यह हालत है आज । कानून यहां पास करते हैं, लेकिन उसमें ऐसी खामी रख देते हैं जिससे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के पीछे दूसरे आदमी डोलते फिरें और एक पटवारी, जो ६०) रु० पाने वाला आदमी है इस तरह से उनको परेशान कर देता है । जब तक पटवारी की इस एजेन्सी को खत्म नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ।

टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत हक दे दिया गया है कि इतनी जमीन के अन्दर मकान बना सकते हैं । एक बिस्वा भी अगर ज्यादा हो गया तो उस पर मुकदमा चलेगा । दूसरा यह है कि अगर कोई आदमी काश्तकार, बिजनेसमैन, व्यापारी अपनी काश्त की, एग्रीकल्चर की जमीन को कन्वर्ट करता है तो उसके लिए पहले गवर्नमेन्ट की मंजूरी लो और उसमें बारह महीने, डेढ़ वर्ष, दो वर्ष लगते हैं । कागज पड़े हैं । जब आपने आई. ए. एस. कलेक्टर बना रखे हैं और इतने बड़े पॉवर्स सरकार ने उनको दे रखे हैं फिर यह पावर्स सरकार अपने हाथ में क्यों रखती है कि उसकी मंजूरी सरकार करेगी ? उसको गवर्नमेन्ट क्यों मंजूर करे ? गवर्नमेन्ट के पास आने की जरूरत क्या है ? खुद की एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें कोई इन्डस्ट्री लगाने के लिए उसको कन्वर्ट, करना चाहता है कोई अपने बाल-बच्चों का पेट भरने के लिये इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो आप कहते हो कि पांच आदमियों पर ३००) रुपया चाहिये । आपने ३००) रु० रखा है । इन्डस्ट्री लगायेगा भूखों तो नहीं मरेगा । लेकिन दो वर्ष तो वह सेक्रेटेरियट के पीछे पीछे डोलेगा और उसके बाद कहीं जाकर मंजूरी होगी । कानून पास करते हो लेकिन उस कानून को सेक्रेटेरियट में अपने हाथ में रखते हो । आपने आई. ए. एस. कलेक्टर बना दिया, आप उसको ये पावर्स डेलीगेट करो, अपने हाथ में मत रखो । जितनी खिलाफ बातें होती हैं तो अपने हाथ में इस तरह से पॉवर्स रखते हो तब ये बातें होती हैं । आज टेक्निकल साइड के आदमी है, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट, वेटरनरी, इन्जीनियरिंग आदि के अन्दर काम होता है, मान लीजिये कि मेडिकल में कोई पेपर जावेगा तो छः महीने के अन्दर वह नहीं निकलेगा । डाइरेक्टर टैक्निकल आदमी होगा लेकिन सेक्रेटरी नहीं, जब कि वह भी टैक्निकल आदमी होना चाहिये आयुर्वेद, इन्जीनियरिंग का कोई टैक्निकल आदमी होगा हैड के तौर पर लेकिन उसका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टेक्निकल आदमी नहीं होगा जो कि होना चाहिये तब ही सेक्रेटेरियट सुधरेगा और तब ही असली रूप में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन होगा ।

जनता का असली भला करना चाहते हो तो यह करो । बंगाल के अन्दर मैंने देखा कि वैटरनरी का डाइरेक्टर वही आदमी था जो कि उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिये, वह ही सेक्रेटरी, बढ़िया से बढ़िया सेक्रेटरी उसको चलाते थे । इस तरह से राजस्थान के अन्दर नहीं करोगे तो दिक्कत ही होगी । कलेक्टर और डेवलपमेन्ट को मिला देना चाहिये और जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह बिलकुल ठीक है । डेवलपमेन्ट कमिश्नर एक पेपर को कलेक्टर के पास भेजता है और कलेक्टर अपने सबोर्डिनेट के पास भेजता है ।

Page No.14

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास इतना पैसा होता है, कलेक्टर के पास वैसे ही बहुत काम होता है और जब इस तरह से काम कराते हो तो वह किस प्रकार से काम कर सकेगा, दोनों काम किस तरह से चलेंगे ? एक दफ्तर में इतना रूपया राजस्थान सरकार खर्च करती है तो उसके सम्बन्ध में सारा काम उसी दफ्तर में होना चाहिये, न कि कलेक्टर के पास डेवलपमेंट का काम हो । पंचायत और पंचायत समितियों के काम वहां होते हैं वे नहीं होने चाहिये । जनता की परेशानियां तब ही ठीक होंगी जब कि आप एक दफ्तर का काम दूसरे दफ्तर में नहीं दोगे । उसी दफ्तर में वह काम होना चाहिये ।

आज कोऑपरेटिव की भी हालत यही है । राजस्थान सरकार ने खोली है । मैंने इसके लिए प्रश्न भेजे थे कि कितने करोड़ रुपया बाकी हैं, कितना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने काम करके बताया है. कितना इसके जरिये से लोन दिया गया है और उनसे कितना लाभ हुआ है ? आज हालत यह है कि रुपया ले लेते हैं, काम करते नहीं और रुपया भी तब मिलता है जब कि दस दफा, बीस दफा उसके पीछे पड़े । मैं भी एक कोआपरेटिव के पीछे पड़ा था, दो महीने तक चक्कर खाता रहा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चक्कर खाते खाते उधर चले गये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : फिर भी उस कोऑपरेटिव को रुपया नहीं मिला !

एक माननीय सदस्य : फिर तो यह घनचक्कर ही रहा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह काम कैसे सुधरेगा ? इन्डस्ट्रीज़ की हालत को ले लो । इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना दिया । कोटा ले लेते हैं और पैसा खा जाते हैं । ब्लेक में बेच देते हैं । यह हालत है । यहां जो एम. एल. एज़. हैं ऑपोजीशन वाले और कांग्रेस वाले यहां बैठते हैं हाउस में भाषण देने से काम नहीं चलेगा । जब तक सरकार में बैठनेवालों के पीछे नहीं पड़ेंगे तो यह राज्य सुधरने वाला नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : पीछे आपकी तरह पड़ें ।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बड़ी अजीब सरकार है तब तो ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तरीका बताऊंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): बता दीजिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेडिकल में इतने डॉक्टरों की कमी है । मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान में एक ओलेम्पिक स्कूल जरूर खोलें; कहां खोलें, यह आप जाने ।

एक माननीय सदस्य : कोटपुतली में खोलें ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोटपुतली में तो नहीं ।

राजस्थान में आज तीन मेडिकल कॉलेज खोल दिये हैं फिर भी डिस्पेन्सरियों की यह

Page No.15

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

हालत है कि डॉक्टर नहीं है। कम्पाउडरों को फर्स्ट ग्रेड जरूर बना दिया है लेकिन मेरा कहना यह है कि इधर उधर से जो डोनेशन आते हैं उनको लेने से मना कर दिया गया है। क्या कहते हैं कि डॉक्टर तो मिलते नहीं हैं, डोनेशन से क्या करेंगे। परेशानी की बात हो गई। आदमी जब डोनेशन देता है अपने गांव के लिये तो सरकार को जरूर मंजूर करना चाहिये।

(५. ०. म. प.)

सरकार को यह सोचना चाहिये कि इस डोनेशन को रोके नहीं। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ रही है तो क्या राजस्थान पीछे हटेगा ? परन्तु मैंने यह देखा कि राजस्थान पीछे हट रहा है। लोग डोनेशन देने को तैयार हैं कि औषधालय और अस्पताल खोले जायं पर सरकार कहती है डॉक्टर नहीं हैं, डोनेशन दो साल बाद देना। तो मैं बताऊं कि जितनी डिस्पेन्सरियां खुलें उनके लिये राजस्थान सरकार को यह चाहिये कि वह डोनेशन लोगों का मन्जूर करे, बनिस्बत इसके कि डोनेशन के लिये ना करे। और राजस्थान सरकार को यह भी चाहिए कि डॉक्टरों के काम के लिये कोई सुविधा पैदा करे। दूसरे प्रान्त हैं; मध्य प्रदेश है, मैं बताऊं बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है वहां के डॉक्टर्स आप यहां बुलावें उस हालत में कि जिस हालत में आपके यहां हजारों लड़के बेकार फिरते हैं। दिन भर। तो आप इनके लिये अलग अलग टैक्निकल स्कूलें खोलिये। वे सुबह से लेकर शाम तक बेकार इधर उधर फिरते हैं। अभी जिला परिषद् के पब्लिक सर्विस कमीशन ने २०० लोगों की वान्ट निकाली, जिस पर दो हजार एप्लीकेशनें आईं इस तरह सारे राजस्थान में तीस, चालीस हजार लड़के हो जावेंगे। अन्त–पन्त उनको धन्धा तो देना ही है, तो उनके लिये भी कोई बात सोचनी चाहिये।

तो माननीय अध्यक्षजी, बेकारी की समस्या की बात बजट रखते वक्त सरकार को पहले ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिये कई तरह की टैक्निकल स्कूलें खोलने की बात सरकार को सोचनी चाहिये।

आज जो माननीय अध्यक्षजी, टैक्स लगाये जाते हैं वे गरीब आदमियों पर और बिचली श्रेणी के लोगों पर लगाते हैं। बॉल बायरिंग फैक्टरी जयपुर स्टेट के जमाने में एक करोड़ रुपये से बनी थी। आज वह १५ करोड़ की हो गई। तो यह सारा रुपया यहीं से-राजस्थान के लोगों से ही कमाया। उसके ऊपर राजस्थान सरकार क्यों नहीं टैक्स लगाती ?

आज सीमेन्ट इतना महंगा कर दिया। चार रुपया बोरी पहले आती थी उसका साढे सात कर दिया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो सीमेन्ट कारखाने में उसके शेयर्स हैं उनके पेटे कितने लाख रुपया प्रोफिट मिला ? तो जो ये बड़े बड़े पैसा कमाने वाले कारखाने वाले और मालदार लोग हैं इन पर टैक्स लगाना चाहिये और छोटे छोटे लोगों पर टैक्स लगाने से फायदा भी नहीं होगा, बड़ों पर टैक्स लगाने से राजस्थान की जनता का फायदा होगा। छोटे आदमियों पर लगावेंगे तो आपकी मर्जी। हम तो गरीब आदमी हैं, छोटे लोग हैं, सब सह लेंगे, एक दिन निकल जावेंगे, खप जावेंगे, मर जावेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक पर कुछ बातें कह चुका हूं और आज भी कुछ बातें कहने का प्रयास करूंगा। मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता। सर्व प्रथम मैं दो शब्द चिकित्सा के सम्बन्ध में कहूंगा।

हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारा यह ध्येय होना चाहिये कि हरएक तहसील के अन्दर कम से कम हम दो डिस्पेन्सरियां स्थापित करें। हरएक तहसील हैड क्वार्टर पर कम से कम एक डिस्पेन्सरी होनी आवश्यक है। यदि यह नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सा विभाग तीसरी योजना के संबंध में कोई भी ठोस या सफल कदम नहीं उठा पाया है। डिस्पेन्सरियों के अन्दर यदि और कुछ हो नहीं सके तो मामूली सर्जरी की व्यवस्था होनी चाहिये। आज हम देखते हैं कि कई डिस्पेन्सरियों के अन्दर आयोडिन, बैन्डेज और आई ड्रॉप्स जैसी साधारण चिकित्सा की वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यह मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी त्रुटि है और इस त्रुटि को दूर करने के लिये हमें पूरा प्रयास करना चाहिये।

मैं डूंगरपुर के अस्पताल के सम्बन्ध में दो शब्द कहूंगा। यह अस्पताल बीस वर्ष पहले, क्या उदयपुर, क्या प्रतापगढ़, क्या बांसवाड़ा, क्या पंच महाल–बम्बई प्रेसीडेन्सी का, क्या लूनावाड़ा इन सब स्थानों के अस्पतालों से अच्छा अस्पताल माना जाता था। राजस्थान के वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज़ उस जमाने में इस अस्पताल के प्रिन्सिपल मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। इस अस्पताल में कई वर्ष पहले से १२५ बैड्स की व्यवस्था थी। आज भी १३६ बैडस की व्यवस्था है। वहां पर एक्सरे की व्यवस्था उदयपुर में जब उपलब्ध नहीं थी तब उपलब्ध थी। आज यह खेद का विषय है कि आज वहां पर एक लेडी डॉक्टर तक नहीं है। चिकित्सा के सम्बन्ध में कोई भी मामूली से मामूली दवाई लेने को जावें तो पंसारी के पास जाने की चिट्ठी कर दी जाती है; आदि, आदि कई बहाने किये जाते हैं।

मैं वहां के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई बुराई नहीं करता। वास्तविक स्थिति आपके अस्पताल की, जो इतना अच्छा पहले था आज इतनी बदतर और बुरी हो जावे, इसे मैं बड़े दुःख का विषय अनुभव करता हूं और मेरे ख्याल में सरकार के लिये भी यह एक बड़ी भद्दी और अशोभनीय बात है। यह अस्पताल 'सी' क्लास का माना गया है। इसको 'सी' क्लास से उठा कर कम से कम 'बी' क्लास की स्थिति में लाया जावे और सिद्धान्ततः तीसरी योजना के अन्दर हमें यह मान कर आगे चलना चाहिये कि हरएक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर का अस्पताल चाहे किसी भी तरह का हो, कम से कम वह 'बी' क्लास का अस्पताल अवश्यम्भावी होना चाहिये।

इसके साथ साथ प्रशासन सम्बन्धी यह आम नियम है कि किसी एक व्यक्ति को एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रखना चाहिये। सिद्धान्ततः मैं यह चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना आपके द्वारा कि कोई भी डॉक्टर, खास करके, उच्चस्तरीय डॉक्टर एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिये, नहीं तो

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट पैदा होते हैं और कई तरह की खराबियां उसमें आ जाती है और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह अच्छी चीज नहीं मानी गई है ।

सरकार नये मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था कर रही है, यह एक हर्ष का विषय है और यह एक आवश्यक वस्तु की पूर्ति हम करने को जा रहे हैं । आज हमारे देश के अन्दर, खास करके राजस्थान के अन्दर लेडी डॉक्टरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है । यदि ये मेडिकल कॉलेज लेडी डाक्टरों की हमारी आवश्यकता की दस परसेन्ट तक भी पूर्ति कर सकें तो तीसरी योजना में हम बड़ा ठोस काम कर पावेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में जिस विषय पर कुछ कहना चाहूँगा वह है हमारा फोरेस्ट, वन । मैं वन विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँगा ।

हमारे आदिवासी क्षेत्र के अन्दर कुम्भलगढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों के अन्दर जो आदिवासियों को आम निस्तार के हक थे जैसे गद बीनना, घास प्राप्त करना, सूखी लकड़ी बीनना; उस संबंध में सरकार ने तरह तरह की रुकावटें पैदा कर दी हैं । इन रुकावटों के फलस्वरूप वहां की जनता परेशान है । मैं समझता हूँ कि यह न्यायोचित काम नहीं किया गया । सदियों पुराने जो हक हैं उनके अन्दर हस्तक्षेप करना एक अच्छी चीज नहीं है और सिद्धान्ततः मैं यह मानूंगा कि बड़े बंगले सरकार के ही होने चाहिए । उनकी रक्षा के सम्बन्ध में भी सुचारू रूप से कोई प्लान, कोई व्यवस्था होनी चाहिए । अब जो आदिवासी आबादियों के आस पास अतराफ के जंगल हैं, जो पालों के पड़ोसी रकबे के जंगल हैं वहां आदिवासियों के आम निस्तार के हकूक थे उनके अन्दर सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था । मुझे शक है कि यह समझ कर ऐसा हुआ है, क्योंकि आदिवासी लोग अब धीरे धीरे शासनारूढ़ दल से पृथक् होते जा रहे हैं । उनको अगर शासनारूढ़ दल की तरफ लाना है तो पहले उनको आराम दीजिए, उनके मन के अन्दर स्थिरता उत्पन्न कीजिये, उनके हक उन्हें दीजिये न कि यह कि उनके जो भी हक हैं उनके ऊपर कुठाराघात किया जाये, उनको परेशान किया जाये, उनको तंग किया जाये । आदिवासियों के हितों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनके आम निस्तार के जो जंगलों में हकूक हैं उनको ज्यों का त्यों रखा जाये । बड़े जंगलों के संबंध में कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके बारे में ये जंगल सुरक्षित रखे जायें । आज जगह जगह ठेकेदारी प्रथा के कारण मनमाने रूप से जंगल साफ किये जा रहे हैं । उदयपुर क्षेत्र के अन्दर एक जगह पानरवा है । वहां पर आम तौर से गर्मागर्म अफवाह हैं, सैकड़ों आदमी चर्चा करते हैं; गलियों के अन्दर चर्चा करते हैं, हमारे मुख्य मंत्री महोदय के लिए गलत-फहमी या सच है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पानरवा के ठेके के अन्दर अवश्यमेव मैं समझता हूं कि कोई न कोई रहस्य है और इस रहस्य के लिए सरकार को चाहिये कि खूब गहराई से देखे वर्ना मैं समझता हूँ कि सरकार की प्रतिष्ठा, मुख्य मंत्री महोदय की प्रतिष्ठा के अन्दर भी एक ऐसी ठेस पहुँचेगी कि जिससे धीरे धीरे शासनारूढ़ दल की साख बढ़ेगी नहीं,

(श्री लक्ष्मणसिंह)

बल्कि घटेगी। यह एक बुरी चीज है और ऐसी चीज है कि जिसके संबंध में सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और अगर इसके अन्दर कोई खामी है तो उसको दूर करना चाहिये। मैंने अभी सुना है, बांसवाड़ा जिले के अन्दर कुल जंगल, मैं समझता हूं कि १। या १॥ करोड़ रुपये के जंगल एक ठेकेदार को ३० वर्ष की मोनोपोली के रूप में दे दिए गए हैं और किस हद तक वहां के लोगों के हक हकूकों को कायम रखते हुए यह किया गया है, यह तो टर्म्स ऑफ मोनोपोली देखने से ही पता चलेगा; लेकिन यह चीज दरअसल में हुई है और मैंने विश्वस्त सूत्र से सुना है कि कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है और वहां पर मोनोपोली के द्वारा ३० वर्ष का ठेका दे दिया गया है। अगर ऐसे ठेके दिये जायेंगे तो हमारे जंगलों को सत्यानाश कर दिया जायेगा। तो मेरे ख्याल में इस से वर्षा के ऊपर भी हमारे राजस्थान के अन्दर विपरीत असर पड़ेगा। सोइल इरोज़न बढ़ेगा और हमारी जो खाद्य स्थिति है उसके ऊपर भी विपरीत असर पड़ेगा। यह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इसको बचाने के लिए मैं आशा करता हूं कि सरकार कोई न कोई ढंगसर व्यवस्था करेगी। मैं यह आशा करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ये बहरे कानों के ऊपर बेअसर शब्द साबित नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ठेका दे दिया और काम सब हो गये, अब क्या होगा ?

श्री लक्ष्मणसिंह : कहने के लिए कहना चाहिए और कहने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : To the Chair, Sir; to the Chair, Sir.

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक दूसरे संबंध में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और वह है प्रिज़र्वेशन ऑफ दी फोना। जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए हमारी सरकार ने एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया है और उसकी व्यवस्था भी की है। मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था हो रही है वह सुचारू ढंग की नहीं है। अधिकांश जो कोई भी कायदे वगैरह बने हैं वे कागज़ों के ऊपर ही हैं। जयसमन्द नाम की गेम सेंक्चुरी मेरे जिले के समीप है। लेकिन वहां पर कोई भी जन्तु नहीं है। वहां पर जितने भी जानवर थे सब मारे गये। अधिकांश जानवर, मैं यह समझता हूं और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते यह कहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मारे गये और वहां के जंगलों के राखे यानी गार्ड जो मुलाजिम हैं वे बड़े कर्मचारियों को कहते हैं कि आप यहां पर शिकार मत कीजिए, शिकार की मनाई है, यहां पर जंगली जानवरों की रक्षा करने का हमको आदेश है, यह एक सुरक्षित क्षेत्र है; आदि आदि। तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और इस तरह यह दुर्व्यवस्था जैसे बाड़ खेत को खाती है यह उदाहरण चरितार्थ सा हो रहा है।

शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को पृथक् किया जाना परमावश्यक है। एक दूसरे से इसका सम्पर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिये। एक दूसरे से यह स्वतन्त्र होनी चाहिये।

Page No.19

(श्री लक्ष्मणसिंह)

यह जनतन्त्र की प्रणाली के अन्दर एक परम अनिवार्य वस्तु है। यह अभी तक क्यों नहीं हुई, यह तो मैं नहीं कह सकता। माननीय गृह मन्त्रीजी ने भी एक-दो बार जोधपुर आदि में कहा कि यह समस्या हमारे ध्यान में है और इसके लिए कोई न कोई ठोस कदम जरूर उठायेंगे, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। इसका होना, मैं समझता हूँ, परमावश्यक और अनिवार्य है। न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में मैं एक दफा पहले भी कह चुका हूं और इसको फिर भी मैं दोहराऊंगा कि न्याय पंचायतों के सरपंच अपने पदों का उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं; वे हर फैसले को राजनैतिक पहलू और राजनैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और मनमाने रूप से ऊटपटांग डिक्रियां करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में जरा भी पशोपेश नहीं है कि बहुत अंशों में यह विकेन्द्रीकरण नहीं है, यह विनाशकरण है। मेरी आंखों से देखे हुए कई–एक ऐसे उदाहरण हैं कि जो न्याय पंचायतों के सरपंच और चेयरमैन, जिनके पास मकान नहीं थे आज उनके पास पक्के मकान हैं, जो दो पेटी चूने की चिट्टी करते हैं और २० लेते हैं। जिनको घड़ी देखने की तमीज़ नहीं थी वे हाथों में घड़ी लटकाये फिरते हैं। आज स्थिति यह है कि वे छोटे हिटलर बनकर जगह जगह घूमते हैं। चाहे जो कुछ भी आपको इस पर विचार करना है वह आप करें। परन्तु मैं यह समझता हूँ कि कम से कम न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में जब तक सरपंच की कोई न कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी तब तक यह अन्धाधुन्ध का खाता चलेगा और इसके अन्दर आप विश्वास रखिये कि कांग्रेस अपनी साख खोयेगी। वर्तमान शासनारूढ़ दल के प्रति घृणा होगी और लोगों का धीरे धीरे जो विश्वास उठ रहा है वह उठते उठते एक पराकाष्ठा के ऊपर पहुंचेगा। लोग यह आमतौर से समझने लग गये हैं कि ये स्मोक-स्क्रीन बन गये हैं। ये अपना भृष्टाचार फैला रहे हैं आगे इन लोगों को स्मोक–स्क्रीन बनाकर, एक बफर बना कर। एक इस तरह की व्यवस्था बन गई है जिनके द्वारा इनके कारनामे और मन्त्रियों के कारनामे किसी न किसी तरह से जनता-जनार्दन के सामने इस तरह से रखे जायें कि जनता-जनार्दन के मन में भ्रमात्मक विचारधारा जो उत्पन्न हुई है उसमें कमी हो, उसका नाश हो। लेकिन कमी होने के बजाय मैं समझता हूं कि इस विचारधारा के अन्दर, इस शंका के अन्दर धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

मैं जब हाई कोर्ट के सम्बन्ध में यहां पर बहस हुई तब यहां पर था और मैंने भी दो शब्द कहे थे। मैं समझता हूं कि न्याय-व्यवस्था सस्ती होनी परमावश्यक है, और जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की परमानेन्ट बैंच भी उतनी ही आवश्यक है कि जितनी बीकानेर, उदयपुर और कोटा के अन्दर सरकिट बैंच होना आवश्यक है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उस समय भी कहा था कि ऐसी समस्याओं को विधान सभा के मत के ऊपर, स्तेप वोट ऑफ लेजिस्लेचर के ऊपर हमको निर्भर नहीं रखना चाहिए। उनका विचार ठीक था। मैं उससे सहमत हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह अवश्य कहूँगा कि हमको यह चाहिए कि यह निर्णय हम केन्द्र के द्वारा प्राप्त करें और आज जो हमारा एक बर्निंग ग्रीवान्स है, एक बर्निंग टॉपिक है उसके सम्बन्ध में जनता-जनार्दन एक

Page No.20

(श्री लक्ष्मणसिंह)

शंका करें, उनकी आशंकाएं जो हैं उनका निवारण करें, न कि ऐसी बातें करके इस समस्या को टाल दें। मेरे ख्याल से ऐसे टालना एक अन्याय की पराकाष्ठा होगी। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, इस ओर भी सरकार का पुरजोर ध्यान आकर्षित करूंगा कि हाईकोर्ट बैंच जयपुर के अन्दर हो; सरकिट कोर्ट की बैंचेज़ अन्य तीन स्थानों पर हों, और इन सब के द्वारा न्याय-व्यवस्था को सस्ती करें। न्याय-व्यवस्था का सच्चा और सस्ता होना जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं के लिए परमावश्यक है।

श्री हरिप्रसाद (मंडावर) : माननीय अध्यक्ष, पिछले ३-४ सप्ताहों में बजट के ऊपर जो विचार रखे गये कटमोशन्स के द्वारा और जनरल डिबेट में, उनमें बजट के ज्यादातर पहलुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। मैं जहां तक समझ पाया हूँ इस बहस या इस आलोचना में दो तरह की विचारधारा ज्यादा पाई जाती है। पहली तो यह है कि जिसमें करप्शन या नेपोटिज्म को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम डाला गया है कि जितना रुपया गवर्नमेंट ने खर्च किया या जो जो स्कीमें गवर्नमेंट ने एग्ज़ीक्यूट करने का प्रोमिज़ किया है वे चीजें पूरी नहीं हो पाईं। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है वहां मुझे भी ट्रेजरी बैन्चेज़ की तरफ से खड़े होते हुए भी जरा भी हिचकिचाहट नहीं यह कहते हुए कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काफी कमी है और काफी सुधारने की गुंजाइश है और दूसरी तरफ जो बातें कहीं गई हैं या जिनका मैन तौर पर मतलब यह है कि हमारे यहां १४ साल गुजर गये आजादी मिले हुए और आज भी हमारे यहां स्कूलें नहीं, अमुक सड़क नहीं बनी। इन सब चीजों को, इस विचारधारा के प्रति उनको चैलेन्ज करना चाहूँगा।

१४ साल का जहां तक यह सवाल आता है और बराबर सदन में मेरे ख्याल से २० मर्तबा दोहराया गया है कि १४ साल हो जाने के बावजूद भी, दो फाइव इयर प्लान्स हो चुके हैं उनके बावजूद भी, और तीसरा फाइव-इयर प्लान चल रहा है इसके बावजूद भी हमारी जनता को जो सुविधा होनी चाहिए थी वह अभी तक सरकार नहीं दे पाई। साथ ही साथ उनकी इस विचारधारा के साथ यह भी बात है कि सरकार फाइव-इयर-प्लान को कह कर सब्ज बाग दिखा कर जनता की शायद जरा सी इमानदारी में कमी कर देना चाहती हो तो सबसे पहले मैं स्वयं मजबूती के साथ, माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने यह कह सकता हूं कि कभी भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे फाइव इयर प्लान्स ने नहीं कहा कि दो-तीन फाइव इयर प्लान के बाद हमारी जनता के सारे कष्ट दूर हो जायेंगे। जो कोई भी पार्टी या जो कोई भी माननीय सदस्य इस विचारधारा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं या वे यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे आश्वासन दिये कि दो-तीन फाइव इयर प्लान्स के बाद हमारे देश में कोई कमी नहीं रह जायगी, वे जनता को गुमराह करते हैं। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो थर्ड प्लान में गवर्नमेंट ने स्पष्ट तौर से ये बातें कही हैं। मैं आपके सामने २ शब्द पढ़ देता हूँ :

"To provide good life to the four hundred million people of India and

(श्री हरिप्रसाद)

more is a wast undertaking and the achievement of the goal is far off."

यह कह दें केवल इस तरह से गवर्नमेंट को कहें कि दो फाइव–इयर–प्लान्स चले गये और अभी तक हमारी दिक्कतें दूर नहीं हुई तो मैं, माननीय अध्यक्ष, निवेदन यह करना चाहता हूँ कि यह एक विचार-धारा या इस तरह से जनता को इस राह के ऊपर ले जाना भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर पिछले दो प्लान्स को देखा जाय तो गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाये हैं उनके अन्दर कभी भी कन्ज्यूमर्स गुड्स को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की । बराबर अगर १९५५ और १९६० के फीगर्स की तुलना करें तो ५० को नहीं लेकर मैं ५५ को ले रहा हूँ तो स्टील के अन्दर २६० पर्सेन्ट का इन्क्रीमेंट हुआ, सीमेंट के अन्दर २२४ पर्सेन्ट हुआ रंग, डाइज़ एण्ड केमिकल्स में ३०६ पर्सेन्ट, एल्युमिनियम में ३०० पर्सेन्ट, फैरो मैंगनीज में ५१४ पर्सेन्ट, प्लास्टिक मौल्डिंग पाउडर में ६८६ पर्सेन्ट ।

माननीय अध्यक्ष, यह कहूंगा कि इन चीज़ों से जनता को लाभ नहीं होगा । न एल्यूमीनियम, न फैरो मैंगनीज, न प्लास्टिक मौल्डिंग पाउडर से होता है, उस जगह हमें अपने दिमाग में पूरी अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप केन्द्र को बतला रहे हैं या किसको ?

श्री हरिप्रसाद : सभी चीजों का है जैसा जैसा कि मैंने बतलाया है। मेरे कहने का मतलब फाइव इयर प्लान सारे इण्डिया से है।

इसके साथ साथ एक-दो चीजें और बता दूं । शूगर इन्डस्ट्री में ४० पर्सेन्ट, कॉटन यार्न में १३ पर्सेन्ट, क्लोथ में नेग्लीजिबल है....

श्री मुरलीधर व्यास : सब का टार्गेट क्या रखा था ?

श्री हरिप्रसाद : टार्गेट मुझे याद नहीं । फाइव इयर प्लान आप देख सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ६० लाख टन था, जिसका ४० लाख टन हुआ है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): These are all informative talks.

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : What about cloth, what about food and what about piling debt.

श्री हरिप्रसाद : माननीय अध्यक्ष, एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है तो फूड हमारे देश में बढ़ गया है । हमने जो प्लान किया था उससे ज्यादा हुआ है। आज की दुनिया में थोड़े से ही देश में, कहूंगा....

श्री लक्ष्मणसिंह : मंहगवारी क्यों है ? मंहगवारी में कमी होनी चाहिए। जनता की आवश्यकता की वस्तुओं पर कोई नियन्त्रण होना चाहिये, तभी तो प्लानिंग है, नहीं तो मिडल हैडेड थिंकिंग है ।

श्री हरिप्रसाद : माननीय अध्यक्ष, जो अभी बात उठाई गई, मेरा जरा ऐसा सोचना है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ नहीं उठाई

(श्री हरिप्रसाद)

गई। यदि सरसों का भाव पहले ७) रु० था और अब ३५) रु० हो गया उस जगह भी आपको शिकायत है क्या ? यह तो पहले मैं पूछूंगा। मतलब प्राइसेज़ बढ़ने से नहीं है, प्रोपोर्शनेटली प्राइसेज़ नहीं बढ़नी चाहिये कन्ज्यूमर्स गुड्स की, यदि पांच गुना दूसरी चीजों की प्राइस बढ़ गई है और शुगर की प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ी है....

श्री लक्ष्मणसिंह : पर्चेज़िंग प्राइस पर रूपी पहले क्या थी और आज क्या है ? आज १८ नये पैसे के बराबर रुपये की कीमत है।

श्री हरिप्रसाद : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि हमारे प्लान्स का लक्ष्य यह नहीं था। इस चीज को लेकर....

श्री लक्ष्मणसिंह : फिर प्लान्स का लक्ष्य ही क्या है, यह तो बताइये ?

श्री हरिप्रसाद : माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं। इस तरह से गुमराह न करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। हम जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो वस्तुस्थिति है प्लान्स की उसे सदन के सामने और जनता के सामने रखते हैं।

श्री हरिप्रसाद : माननीय अध्यक्ष, मैंने 'गुमराह' शब्द का इस्तेमाल किया है उसे पूरी जिम्मेदारी से किया है। यह कह देना कि दो फाइव इयर प्लान्स हो चुके, अब तक गरीबी नहीं हटी। इस चीज को कहते ही जनता को गुमराह करते हैं। प्लान्स में यह नहीं कहा गया कि दो प्लान्स में या तीन प्लान्स में या अभी इजाजत हो कहने की तो दो प्लान्स और मिला कर अर्थात् पांच प्लान्स के बाद देश की दिक्कत दूर हो जायगी। आपको तो शायद बाहर की जानकारी है, दूसरे देशों से इसकी तुलना कीजिये। सोवियट रूस को ही ले लीजिए। सोवियट रूस ने १६१७ में नया रास्ता तय किया और आज उसको ४५ वर्ष हो गये हैं और ४५ साल बाद, मुझे पिछले दो-चार महीनों के तो फिगर्स याद नहीं हैं, लेकिन उनका स्टील प्रोडक्शन आज ५५-६० मिलियन टन के करीब है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि रूस एक यूरोपियन कन्ट्री था, मतलब एशिया और यूरोप को अलग करने से नहीं है; लेकिन रूस को इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फायदा हो चुका था और ४५ साल के बाद ५५ मिलियन तक पहुंचा है। हमारे यहां सन् ४७ से शुरू किया और पांच फाइव इयर प्लान्स के बाद हमारा टार्गेट ५५ मिलियन टन का है। ३० साल में ५५ मिलियन जहां इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बैकग्राउन्ड नहीं है वहां इतना कर रहे हैं तो यह कम नहीं है।....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अमेरिका में प्रोडक्शन क्या है ?

श्री हरिप्रसाद : १३०-१४० मिलियन टन है।

श्री रामकिशन (बैर) : वहां १६ करोड़ टन है।

श्री हरिप्रसाद : होगा, मेरा ख्याल १३०-१४० के बीच का है। मेरा आशय रूस की टिप्पणी करने का नहीं है।

Page No.23

(श्री हरिप्रसाद)

मतलब यह था कि कोई भी डेवलपिंग इकोनोमी हो तो उसमें टाइम लगता है और हमारे फाइव इयर प्लान्स चालू हैं, शायद माननीय सदस्य टीका–टिप्पणी करेंगे, हमारा इमीजियेट गोल यह नहीं है, दो–दो जोड़े जूते हरएक को पहिना दें या दो धोती जोड़े दे दें। कन्ज्यूमर्स गुड्स को जानबूझ कर पीछे रख रहे है, यह बात कह कर जनता को गुमराह करना कि लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है। हमारा मेन क्राइटेरिया यह होना चाहिये कि इन्डस्ट्रियल इकोनोमी को बेस बनावें। जैसा मैंने कहा फेरो मैंगनीज़ ५१४ परसेन्ट बढ़ा, लेकिन साधारण जनता के काम का नहीं है। माननीय सदस्य शायद टिप्पणी करेंगे लेकिन जब हम पैसा इसमें लगा रहे हैं तो सोचना चाहिये कि इस चीज का उपयोग कहां है। इस चीज की डिफेन्स में जरूरत होती है। डिफेन्स पर हम ३५० करोड़ रुपये खर्च करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि कन्ज्यूमर्स गुड्स ही बढ़ने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, मैं फिगर्स और कोट करता लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं है। माननीय सदस्यों को मालूम है पिछले फाइव इयर प्लान में ६०० करोड़ में से, आउट ऑफ नाइन हन्ड्रेड क्रोर्स, ७४० करोड़ देश के प्रोजेक्ट्स में लगाये गये, जिनसे कन्ज्यूमर्स गुड्स इमीजियेटली नहीं बढ़ेंगे, जिनमें लिगनाइट, स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल्स आदि पर लगे हैं। मेरा निवेदन यह है कि कन्ज्यूमर्स गुड्स की कमी अभी है और कितने ही प्लान्स तक रहेगी। आज सोवियत रूस की बात लेते हैं तो आज एक तरफ वह एस्ट्रोनोट्स को स्पेस में भेजते हैं, साइन्स के डेवलपमेन्ट का यह हाल है और दूसरी तरफ मॉस्को की सड़कों पर जाड़े के दिनों में जब कि टेम्परेचर माइनस ४० डिग्री, जहां फ्रीजिंग पोइन्ट ० डिग्री सेन्टिग्रेड है, फेरनहाइट नहीं, उसमें औरतें बर्फ साफ करती दिखाई देती हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। इतनी तरक्की के बावजूद भी वहां यह नहीं हो पाया कि उसको मैकेनिकल बना दें।

एक माननीय सदस्य ने अमेरिका में १६० मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन बताया, मुझे १४० मिलियन की जानकारी थी। वहां भी सवाल है, हर कदम पर हमें अपने रिसोर्सेज़ को किस तरह अलॉट करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा है ३०–३५ परसेन्ट अमेरिका के आदमी अब भी गरीब हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी वहां देखने का मौका मिला, उत्सुकता हुई, ३०–३५ परसेन्ट गरीबी नहीं देखने में आई। वे गरीब उसको मानते हैं जिसकी इन्कम ३,००० डालर पर–इयर पर फेमिली से कम हो या जहां १५,०००) रु० सालाना या १,४००) रुपये माहवार से जिनकी इन्कम कम है उनको गरीब मानते हैं। वे भी मानते हैं कि अपने स्टेन्डर्ड को ३,००० डॉलर से उठा कर १०,००० कर दें। दुनिया को सबसे बड़ी इन्डस्टियेलाइज्ड पॉवर्स हैं उनके सामने भी यह सवाल है कि हम इन्वेस्टमेंट कन्ज्यूमर्स गुड्स में करें या हैवी इन्डस्ट्रीज़ में। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कहना कि फाइव इयर प्लान का एग्जीक्यूशन या बजट ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कहना गलत होगा।

Page No.24

(श्री हरिप्रसाद)

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, यदि मैं आपके सामने पेश करूं तो वह यह होगी कि किसी भी डेवलपिंग इकोनोमी के सामने कुल तीन रास्ते हैं। इस बारे में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, सोशलिस्ट कंट्रीज़, कॉम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका भी इन बातों के बारे में फर्क नहीं है। ये तीन बातें होनी चाहिये किसी भी देश की डेवलपिंग इकोनोमी में। पहली बात है लेबर, दूसरी है केपिटल फोर्मेशन, रेट ऑफ सेविंग्ज वगैरह और तीसरी बात है रिनोवेशन। मैं इनमें थोड़ा विस्तार से जाना चाहूंगा। लेबर से मतलब है, यूरोप के कुछ देशों में लेबर की कमी है, हमारे यहां इसकी कमी नहीं है। लेकिन लेबर स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहिये। दूसरी चीज जो केपिटल की है वह हमारे सामने मुश्किल है। आज जितनी टीका-टिप्पणी होगी, हमारे यहां की गंदी बस्तियां नहीं हटती हैं। आपके इस प्रपोज़ल को कौन गलत बतायेगा कि गन्दी बस्तियां नहीं हटनी चाहिए, या हर गांव में सड़क नहीं होनी चाहिए या हर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ? ये सब चीजें करने का तो बहुत बड़ा और सराहनीय विचार है; परन्तु गैर जिम्मेदारी, मैं अदब के साथ इसको दोहराता हूँ, इसमें तब आती है, जब ये ऑब्जेक्टिब्ज इससे पूरे होने चाहिए, यह इन पांच सालों में ही होना चाहिए....

श्री मुरलीधर व्यास : इन गन्दी बस्तियों के लिए पैसा होकर भी नहीं लगता है इसलिए गैर-जिम्मेदारी कहने की बात आती है। पैसा है और नहीं लगता है इस लिए गैर जिम्मेदारी की बात आती है।

श्री हरिप्रसाद : माननीय सदस्य ने जो चीज कही, तो कहीं गवर्नमेंट की गलती है तो मैं उस पर चद्दर डालने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। मैं पहले पहले कह चुका हूं कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है If it stands at all; वह सच्चाई, मजबूती और ईमानदारी से ही चलेगी। हम झूठी झूठी और गलत चीजों को ढक कर नहीं चला सकते। जहां भी करप्शन का सवाल है, मेरा उसको ढकने का विचार नहीं है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पता नहीं है तो ढककर कैसे चलेंगे ?

श्री हरिप्रसाद : माननीय सदस्य यह रास्ता आपका होगा....

श्री भैरोंसिंह : आप ढक कर नहीं चलेंगे तो कुछ बचेगा नहीं जिस पर आप कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय....

श्री हरिप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन चीजों के बारे में कहा। केपिटल होना चाहिए, तो केपिटल के आने के दो-तीन रास्ते हैं-एक तो यह है कि सेविंग करें, बचत करें, जिसके लिये हमारे वित्त मंत्री ने जो एक्सप्रेशन दिया, शायद उसका जो ट्रान्सलेशन है वह गलत ही कर दिया था या क्या बात थी, यह मालूम नहीं। टाइटनिंग ऑफ बैल्ट के लिए उन्होंने कह दिया था; पेट पर पट्टी बांध लें। लेकिन उनका मतलब यह था कि हमें अपनी ताकत से, साहस से और करेज से सेविंग करनी है। दूसरा तरीका केपिटल बढ़ाने का है, वह यह है कि हम नोट छापें। तीसरा तरीका यह है कि हम कहीं से बोरो करें। रास्ते केपिटल बढ़ाने के ये तीन होते

(श्री हरिप्रसाद)

हैं। लेकिन इन तीनों रास्तों में हमारे सामने लिमिटेशन्स भी हैं। बोरोइंग थोड़ी बहुत हो सकती सकती है, लेकिन जहां तक सेविंग का सवाल है, उसके सम्बन्ध में हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, सेविंग का जहां भी सवाल आता है ; वहां फिर टैक्सेज़ का सवाल आता है तो उस जगह माननीय सदस्य, जो हम सभी इस सदन में बैठते हैं, उनको इस जिम्मेदारी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक तरफ तो विकास की बात कहें बढ़ा कर और दूसरी तरफ ऐसे प्रपोज़ल करें, जैसे एक माननीय सदस्य ने प्रपोज़ल किया कि लैंड रेवेन्यू को बन्द कर दे। इस जगह एक बहुत गहरा डिफरेन्स हो जाता है दोनों बातों में।

तीसरी चीज मैंने कहीं थी रिनोवेशन, मतलब टेक्नोलोजिकल रिनोवेशन। जहां तक एक किसान पुराने तरीका का साधारण हल चलाता है उसे नये टूल्स देने में दो तरह की बातों की आवश्यकता है—एक तो साइकोलोजिकल प्रभाव बनाना और दूसरा फाइनेन्शियल प्रोब्लम हल करना।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ खींचना चाहूंगा। इस विषय पर काफी कहा जा चुका है और अभी जो माननीय सदस्य, जो कांकरोली से आने वाले हैं, ने जो बातें कहीं, उसी को थोड़ा सा मैं दोहराऊंगा। कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, मेरा विश्वास है कि कोई भी इससे ज्यादा अच्छा और बड़ा कदम सरकार का नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, भाखरा और दूसरे स्टील प्रोजेक्ट्स हैं, वे लिमिटेड हैं, एक जगह पर हैं। केवल इसमें ही यह चीज थी कि जनता का डाइरेक्ट पार्टीसिपेशन होगा। और यदि इसमें हम फेल हुए तो यह हमारा बहुत बड़ा फेल्योर होगा। क्योंकि बार बार फाइव इयर प्लान में ये शब्द आते हैं कि हमारी जो स्टेग्नेन्ट रूरल कॉम्युनिटी है उसको डाइनेमिक बनाना है, उसको अग्रेरियन से हटा कर इन्डस्ट्रियल शेप देना है और ये सारे काम जनता के डाइरेक्ट पार्टीसिपेशन से होने चाहिए। पर जो हालत है आज कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की, उसके बारे में बड़े खेद के साथ में कहना पड़ता है कि जिस पिक्चर, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आगे बढ़े हैं वह चीज आज नहीं है, इसमें बहुत ही फेल हुए हैं। इसमें भ्रष्टाचार भी है और गलती भी है।

एक बात, माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूं कि सारी जिम्मेदारी इसकी गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं डाली जा सकती है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा यह कदम उठाया है जनता का डाइरेक्ट पार्टीसिपेशन कराने के लिए फाइव ईयर प्लान में। और कोई तरीका ऐसा नहीं है, और उसके साथ साथ कई चीजें हैं। लेकिन इस चीज में जिस ध्येय को लेकर चले वह थी कि हमारा पार्टीसिपेशन होना चाहिए, मोबिलाइज़ेशन ऑफ रुरल प्रोपूलेशन होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स बार बार इस्तेमाल किये गये हैं। लेकिन वह चीज नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष, हमने यदि भाखरा का १६० करोड़ का बजट बनाया और १८० करोड़ उसमें लग गये तो केवल नुकसान २० करोड़ का होगा और उसके लिए कह बैठेंगे कि कुछ ठेकेदारों ने खा लिया। लेकिन कॉम्युनिटी डेवलपमेंट में छोटी चीज के लिए खर्च किया है, तीन हजार कुंए पर किया है या और कोई चीज है वह

(श्री हरिप्रसाद)

अगर बन नहीं पाई तो नुकसान केवल तीन हजार का ही नहीं हुआ है, वह नुकसान बहुत गहरा हुआ है। उसमें हमारे आत्म विश्वास हमारी जनता की केपेसिटी, एबिलिटी कि अपनी जिम्मेदारी सम्भाल लें, सभी के ऊपर चोट आती है। तीन हजार रुपया गया जो प्रोजेक्ट का काम होना चाहिये, वह नहीं हुआ, पर मैं इन चीजों को कम मानता हूं। मैं सबसे ज्यादा इस चोट को मानता हूँ कि हम यह बात कह पायें कि हम इनकेपेबल हैं अपनी छोटी से छोटी जिम्मेदारी को सम्भालने में। जहां तक सरकार का सवाल, है, उसने बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा भरोसा किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता के ऊपर सौंपी। लेकिन साथ ही साथ यह फर्ज भी हो जाता है कि हमें किसी न किसी तरीके से इस चीज को कंट्रोल भी करना चाहिए। आज जिस तरह से ग्रुपिंग हो रहा है, जिस तरह से सेक्शनलिज़्म हो रहा है।' हम कहते हैं कि जनता को पॉवर मिली है, वह है नहीं। जिसको पावर मिली वे आपस में सीमेन्ट बांटेंगे, लोहे का कोटा दे देंगे और जो बाकी बचेंगे वे ब्लेक में से लें। यह कहना सही है, उनकी शिकायतें भी हो सकती हैं। लेकिन इस चीज में मेरा मामूली सा ऑब्ज़र्वेशन है, सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्य इसमें एग्री करेंगे, कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम इस मूवमेंट में, कॉम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर बढ़े हैं, इसमें हमें काफी सोचना होगा। माननीय अध्यक्ष, मेरा सुझाव जो है, हमारे कन्सर्न्ड माननीय मंत्री महोदय को वह यह है कि जिस आत्म विश्वास, जिस साहस से हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान में पहले बढ़ा है डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन में तो काफी करेज के साथ में इसको सफल बनायें। कोई भी गवर्नमेंट, जिस प्रोजेक्ट के लिए समझेगी कि इसमें फेल होगी उसमें कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उसी आत्म-विश्वास, उसी साहस के साथ यह भी कदम उठाये कि एक कमेटी बनाये, एक जांच कमेटी बनाये जो यह देखे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या गलतियां हैं और क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं। इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस साहस से अभी तक इस चीज को आगे बढ़ाया है जनता के पॉवर को उस चीज में अपनी गलती मान लिये जाने के लिए सदन की एक कमेटी बनाया जाना, जांच की कमेटी बनाया जाना, मेरी नम्र राय में बहुत जरुरी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इसके बाद, माननीय अध्यक्ष, मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है, दो–तीन बातें कहनी हैं। बजट के बारे में कोई भी जिम्मेदार सदन और माननीय सदस्य, जिसमें सब आ जाते हैं, आज हमारी डेवलपिंग इकोनोमी जिस हालत में है उसमें इस चीज को कभी भी यह कहने का हक नहीं है कि हमें कन्ज़्यूमर गुड्स या साधारण एमेनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। एमेनिटीज़ का टाइम बीसों सालों के बाद में है, इस बात को हमें ईमानदारी के साथ, और साहस के साथ पेश करना चाहिए। अब, माननीय अध्यक्ष, मुझे एक चीज याद आ गई और वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब १६४६ में इंगलैंड एकदम बैठा जा रहा था और जब उसके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था उस समय विन्स्टन चर्चिल ने चेम्बरलैंन के हटने के बाद शासन की बागडोर सम्भाली।

(श्री हरिप्रसाद)

उस समय इंगलैंड की बड़ी बड़ी बैटल्स में डिफीट हो चुकी थी उस समय किसी शासन के लिए एक ही तरीका था कि मीठी मीठी बातें कहते और कहते कि हम सारे काम कर देंगे। लेकिन विन्स्टन चर्चिल ने अपनी स्पीच में जो बात कही, वह माननीय सदस्य जानते होंगे, उन्होंने ब्लड, टीचर और स्वेट के लिए मांग की। उन्होंने कहा अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपको कोई विश्वास नहीं दे सकता। केवल आपको कुर्बानी करनी है खून से, पसीने से आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। हम दरअसल देखें तो हमारे देश के सामने ऐसी समस्या है। इस समय न तो हमें यह ख्याल होना चाहिये कि हम झंडे पर सूरज, चांद या तारा रखते हैं या यह है कि हम लाल टोपी, हरी टोपी, पीली टोपी पहिनते हैं; इस वक्त देश में एमर्जेन्सी है, बहुत बड़ा काम हो रहा, यह चीज हो रही है, डेमोक्रेटिक फ्रेम वर्क में काम हो रहा है यहां रोज सिर नहीं काटे जाते हैं। इसलिए जनता को महसूस नहीं होता है कि कितना बड़ा काम हो रहा है। अगर दूसरे देशों को देखा जावे जहां Totalitarianism है, डेमोक्रेटिक सेट-अप नहीं है तो हमारी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमें उस पोजीशन में काम करना पड़ता है जो पार्टी की नीति होती है। कल हम सिंगल पार्टी टिकट कर दें जैसा कि दूसरे देशों में है तो इससे हमें अपने देश को कोई फायदा नहीं, हमारी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी हम जिस प्रगति से बढ़ रहे हैं उसी तरह से हम बढ़ते रहें तो हमारा लक्ष्य जो है उसे बना कर रहेंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास, श्री भैरोंसिंह, श्री रामकिशन आदि बोलने के लिए खड़े हुए)।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विनियोग विधेयक जो आज सदन में विचारार्थ लिया गया है इस सम्बन्ध में निवेदन करने से पहले मैं माननीय वित्त मन्त्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चाहे बजट प्रस्तुत करने में कई प्रकार की गंभीर गल्तियां रखी हों, लेकिन कुछ ऐसी परम्परा अवश्य डाली है जिस परम्परा का इस सदन में स्वागत करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही साहस से पिछली सरकार की वित्त स्थिति को कन्डेम किया, पिछली सरकार के शिक्षा मन्त्री और शिक्षा सम्बन्धी नीति को कन्डेम किया। उनकी यह कन्डेमनेशन की प्रेक्टिस केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे गृह मन्त्री पुलिस विभाग की मांग का उत्तर देते हुए कह गये कि हमें खेद है कि पुलिस का व्यवहार जैसा प्रजातन्त्र में होना चाहिए वह हम पिछले १५ सालों में नहीं ला पाये और उसके साथ साथ हमारे एक मन्त्री महोदय यहां तक कह गये कि मैं आगे के लिए आश्वासन दे सकता हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी और यह बहुत अच्छा होगा कि पिछले चेप्टर को नहीं खोला जावे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सही बात को स्वीकार करने का प्रश्न आता है मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं कि अगर सरकार के मन्त्री चुनावों की वजह से या दूसरे कारणों से बदलते रहते हैं और उनके बदलने के कारण वे नए आनेवाले केवल अपनी जिम्मेदारी आगे के काम को लेकर चलें तो वह आगे आने वाले मंत्रियों के लिए सुविधा का काम होगा और वे यह

(श्री भैरोंसिंह)

सोचेंगे कि जितना हो सरकार को नुकसान पहुंचायेंगे, अगली बार जीतें या न जीतें, ५ वर्षों में इतनी व्यवस्था कर लें कि जीतने का काम न रहे और जो भी नया मन्त्री आएगा वह कह देगा कि पिछला चैप्टर बन्द कर दें, आगे हम कुछ नहीं करने देंगे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह मन्त्रि-मन्डल में नहीं होना चाहिए। यह तो सर्विसेज़ में है। राजस्थान में कहीं कहीं लोगों पर जब चार्जेज़ लगते हैं और अव्यवस्था के कारण रेगुलर सर्विसेज़ में रहने वाला सजा का भागी होता है तो मैं समझता हूँ कि उसको बचाने के लिये जब उसका समय खत्म हो जाता है और रिटायर हो जाता है तो उस समय सरकारी अधिकारी यह कह कर चल निकलते हैं कि जिस अधिकारी के खिलाफ चार्जेज़ थे वह रिटायर हो गया! मैं समझता हूं कि सरकारी अधिकारियों के बचाने की थ्योरी को मंत्रियों ने स्वीकार किया है! यह बहुत घातक है। मैं यह कहूंगा कि वे अपने पहले के मंत्रि-मंडल के जिम्मेदार हैं। मैं मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन मंत्रियों को कन्डेम किया है वे उनके मंत्रि-मंडल में थे। वे आज इलेक्शन में हार गये हैं, मगर उनके कार्यों की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर होती है और वे उसको स्वीकार करें और अगर उनके प्रति जांच की आवश्यकता हो तो उसको करावें। वे इस बात की चिन्ता न करें कि वे जो हार गये हैं वे उस मंत्रि-मंडल के सदस्य थे। अभी अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे ढंग से प्लान के बारे में बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रिन्सिपल्स रखे गये हैं उसमें सीमा नहीं बांधी है कि अमुक अवधि में विकास के कार्य पूरे कर डालेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने फर्स्ट प्लान और सैकन्ड प्लान को नहीं देखा है। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के आर्टिकल ३१ से ५१ तक जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उनको देख लेते तो मालूम होता कि शायद अवधि नहीं निर्धारित की है लेकिन हमने कमिटमेंट किया है और उनको पूरा करना हमारे लिए लाजमी है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सरकार ने संविधान के आर्टिकल ३१ से ५१ तक जितने डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उन पर अमल नहीं किया है। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया हो, यह नहीं कहा जा सकता। सरकार यह नहीं कह सकती कि हमने चोरियां बन्द कीं, सरकार यह नहीं कह सकती कि शिक्षा के बारे में सरकार ने कोई प्रगति की है और १० वर्षों में कम्पल्सरी शिक्षा की व्यवस्था की है। सरकार यह नहीं कह सकती कि उसने युनिफोर्म वेजेज़ की व्यवस्था की है, सरकार यह नहीं कह सकती कि उसने एक प्रकार के वेतन की समानता की है, सरकार यह नहीं कह सकती कि लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में जितना रिलीफ मिलना चाहिये उसके संबंध में जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिये वह की है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि उसने बेकारी की समस्या का समाधान किया है। मैं यह नहीं समझता कि जो राज्य संविधान में दिये हुए आर्टिकल्स के अनुसार कार्य नहीं करे और जो कार्य उसमें दिये गये हैं उनके अनुसार उसने कार्य नहीं किया तो ऐसा समझना चाहिये कि पब्लिक....

श्री हरिप्रसाद (मंडावर) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने यह कहा कि सोल

(श्री हरिप्रसाद)

ऑब्जेक्ट्स हैं, to be achieved । जो काम हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव है........

श्री भैरोंसिंह : प्रिन्सिपल डाइरेक्टिव्ज़ हैं जिसमें हमें आगे किस तरह बढ़ना चाहिये । १४ वर्षों में जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं उस प्रगति को देखें । यदि हम उसे देखें तो हमें जिस गति से हमें बढ़ना चाहिये बढ़े हैं या नहीं ? मैं कहूँगा कि हम उस गति से आगे नहीं बढ़े हैं । आप चाहे किसी भी मसले को देखें । संविधान बनानेवालों ने जिस प्रकार की अपेक्षा की थी कि हमारी राज्य सरकार इस मार्ग का अनुकरण करते हुए कार्य करेगी, मगर बदकिस्मती यह है कि हम इसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं । मैं आपको एक मिसाल सेपरेशन ऑफ एग्ज़िक्युटिव और जुडिशियरी की देना चाहता हूं । हमारी ही राजस्थान की सरकार सारे हिन्दुस्तान में है जहां पर अभी तक जुडीशियरी और एग्ज़िक्युटिव सेपरेट नहीं हो पाई है । हमारी ही बदकिस्मती है, बाकी की सभी स्टेटों में जुडिशियरी को एग्ज़िक्युटिव से सेपरेट किया है । लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सबसे पीछे इस माने में कोई स्टेट है तो हमारी राजस्थान स्टेट है । आप किसी दूसरी स्टेट का नाम बतावें जहां राजस्थान के सिवाय जुडिशियरी और एग्ज़िक्युटिव साथ साथ हो ?

(५.५६ म. प)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

इसके बारे में हमारी सरकार ने कमेटी एपोइन्ट की थी । उसकी सिफारिशों पर भी सरकार ने अमल नहीं किया । इसके अलावा हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री जो लॉ मिनिस्टर भी थे भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर से मिले और भूतपूर्व गृह मंत्री ने इस सदन के बजट अधिवेशन में यह कहा था, हो सकता है कि यह उन्होंने केबिनेट को बिना पूछे कहा हो कि हम जल्दी से जल्दी जुडीशियरी और एग्ज़िक्युटिव को अलग अलग कर रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैंने यह कहा था कि नेक्स्ट जुलाई से जब....

एक माननीय सदस्य: Not auidible.

(६. म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, मैंने सदन में यह कहा था....

श्री भैरोंसिंह : मैंने आपके लिए नहीं कहा, आपने जिनको रिप्लेस किया है उनके लिये कहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने जो अपनी स्पीच के दौरान में कहा था उस ही को दोहरा रहा हूं । नेक्स्ट जुलाई से, कोर्ट्स की वेकेशन्स खुल जायंगी उस वक्त एग्ज़िक्युटिव से जुडिशियरी के सेपरेशन में हम राजस्थान में जो क्रिमिनल वर्क है उसका ५० प्रतिशत से ज्यादा वर्क सेपरेट कर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : यह मैंने आपके लिए नहीं कहा था, आप से पहले जो गृह मंत्री थे उनके लिये कहा था । आपने इस सम्बन्ध में कार्य करने का कहा है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ ।

एक माननीय सदस्य कांकरोली से आये हैं । उन्होंने एक बात की ओर संकेत किया था, मैं

(श्री भैरोंसिंह)

उस बात का समर्थन करना चाहता हूं । उनका मतलब था कि एस. डी. ओ. हैं, दूसरे ऐसे अफसर हैं उनको बी. डी. ओ. बना कर भेज दिया जाता है । मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी मन्शा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी की है, जैसा कि आपने कहा कि आप कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अफसरों को जुडिशियरी लाइन में रखना चाहते हैं उनके लिये पाबन्दी लगा दें कि वे बी. डी.ओ. के स्थान पर नियुक्त नहीं किये जायें । बी. डी. ओ. के स्थान पर कार्य करते समय जिस तरह से रिलेशन्स पैदा होते हैं और उसके बाद जुडिशियरी में जाते हैं इन दोनों को ध्यान में रखें तो उस ऑफिसर के दिमाग में यह बात रहेगी कि आज बी. डी.-ओ. हूं तो कल जुडिशियल ऑफिसर हो सकता हूं और आज जुडिशियल ऑफिसर हूँ तो कल बी. डी. ओ. हो सकता हूं; उस हालत में बी. डी. ओ. को जो लोग दबा सकते हैं, उन बड़े लोगों का उसे लिहाज रख कर काम करना पड़ेगा । ऐसी दशा में बी. डी. ओ. और उनके नीचे के अधिकारी हैं उनके मार्फत आपकी सारी मशीनरी करप्ट हो जायगी ।....

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य को सूचना के लिए निवेदन कर दूं, वैसे बीच में बोलना ठीक नहीं, कि जुडीशियरी और एग्ज़ीक्युटिव के सेपरेशन के बाद में जो अफसर जुडिशियल अफसर होंगे वे आर. जे. एस. में सलेक्टेड अफसर होंगे, इसलिए उनको बी. डी. ओ. बना कर भेजे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जुडिशियल ऑफिसर उनको भी समझता हूँ जिनको क्रिमिनल या और केसेज़ में फैसला देने का अधिकार हो ।

श्री मथुरादास माथुर : जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव के सेपरेशन के बाद में जो अफसर जुडिशियल वर्क करेंगे वे आर. जे. एस. होंगे, आर. ए. एस. वह काम नहीं करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आपने ५० प्रतिशत पर ही लागू करने का बताया है । मेरा निवेदन है कि जब तक यह कार्य कम्प्लीट नहीं हो तब तक जिनको जजमेंट देने पड़ते हैं उनको बी. डी. ओ. नहीं बनाया जाय; नहीं तो बी. डी. ओ. और उसके नीचे के लेवल तक करप्शन फैल जायगा और यह करप्शन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा । जुडीशियरी को करप्शन से बचाने के लिये, नीचे के अधिकारियों में टेम्पटेशन के जो सोर्सेज हैं उनको खत्म करने से जिन लोगों में गिरावट आई है वह गिरावट दूर होगी और उनका डेवलपमेंट शुद्ध वातावरण में होकर आगे जाकर वे राजस्थान के अच्छे न्यायाधीश बन सकेंगे । मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था कि आज राजस्थान की सर्विसेज़ में काफी असन्तोष है तो इसके कारणों में से पक्षपात भी एक कारण है । कई अधिकारियों के साथ हमारी राजस्थान सरकार का इतना पक्षपात होता है कि प्रोमोशन और अपोइन्टमेंट के मामलों में तो यह साधारण बात है, पर सर्विस-शीट तक में संशोधन करना चाहे तो कर सकती है । मैं राजस्थान की जुडिशियरी का उदाहरण दूंगा । राजस्थान की बाकी की सर्वि-

(श्री भैरोंसिंह)

सेज में, लेबर कमिश्नर है, बाकी के अधिकारी हैं वे भी क्लेम करते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, चाहे वह मैट्रिक्युलेशन के सर्टिफिकेट से ली गई हो पर आज डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराया जा सकता है। आज राजस्थान को जुडिशियरी में जबरदस्त असंतोष है। डेट ऑफ बर्थ को बदलने के मसले को इतना आसान नहीं समझना चाहिये। रिटायरमेंट का समय आये तो कोई अधिकारी कह दे कि मेरी जन्म-पत्री में इस प्रकार एज लिखी है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में गलत लिख दी गई थी, जन्मपत्री में जो लिखी है वह सही है, इसलिये मेरी डेट ऑफ बर्थ बदली जाय। इस आधार पर डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों की बदल दी जाती है, इसके लिये जुडीशियरी में बड़ा जबरदस्त असन्तोष है। डेट ऑफ बर्थ को बदलने के मसले को इतना आसान नहीं समझें कि रिटायरमेंट का समय आये तो कोई भी अधिकारी कह दे कि मेरी जन्मपत्री में डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार लिखी हुई है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में गलत लिखी हुई है और उसके आधार पर सर्विस-शीट में गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज की हुई है, इसलिये इसे जन्मपत्री के अनुसार ठीक किया जाय और इस तरह दो-तीन साल की रियायत रिटायरमेंट के समय बरती जाय। राजस्थान सरकार ने जो नियम लागू कर रखे हैं उनके अनुसार डेट ऑफ बर्थ वही सही मानी जाती है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज है। पर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है और रिटायरमेंट के समय कई अधिकारियों की डेट ऑफ बर्थ चेंज की गई है। माननीय गृह मंत्रीजी यदि चाहें तो इसके प्रमाण पेश किये जा सकते हैं। मेरे पास इस प्रकार के फीगर्स हैं। एक अधिकारी की डेट ऑफ बर्थ २-८-१९०८ दर्ज थी उसको बदल कर ११-८-१९१५ किया गया, एक अधिकारी की डेट ऑफ बर्थ १२-१०-१९०६ थी उसको बदल कर १२-६-१९०८ की गई, एक अधिकारी की डेट ऑफ बर्थ ३०।८।१९०९ थी उसको बदल कर ३।८।१९११ किया गया। यह एक लम्बी चौड़ी लिस्ट है।

यह जो डेट ऑफ बर्थ अधिकारियों की सरकार बदलती है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय कुछ अधिकारियों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिये सरकार के पास आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये और जिस क्राइटेरिया से उनके आवेदन-पत्र स्वीकार करके सरकार ने उनकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया उसी के अनुसार दूसरे अधिकारियों ने डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिये उन्हीं आधारों पर आवेदन-पत्र सरकार के सामने प्रस्तुत किये। वे लोग भी उसी क्राइटेरिया में आते थे, पर सरकार ने उनकी एप्लीकेशन्स को रिजेक्ट कर दिया। इससे अधिकारियों में असंतोष फैला हुआ है। २८ वर्ष की सर्विस में जो अधिकारी अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में संकेत नहीं कर सके वे रिटायरमेंट के नजदीक आने पर इस प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट में गलत दर्ज है तो प्राइमाफेसी यह चीज गलत मालूम होती है। इससे साफ मालूम होता है कि डेट ऑफ बर्थ को एक्सटेन्ड कराने के लिये ही उन्होंने इस प्रकार का प्लान किया है। तो जिन्होंने इस प्रकार के होरोस्कोप पेश किये हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिन लोगों ने

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार के रेकॉर्ड को टेम्पर किया है उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाय ताकि आगे के अधिकारियों को शिक्षा मिले कि डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराने के लिये इस तरह के प्लान बनाने का इस प्रकार का नतीजा होता है। यह कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है, कोई भी सरकारी सर्विस से रिटायरमेंट नहीं चाहता। यदि इस सम्बन्ध में सख्त कदम नहीं उठाया गया तो इस प्रकार की चेंज कराने के लिए कई गलत कार्यवाहियां करेंगे और जो सर्विस शीट्स डबल लोक-अप में रहती हैं वे डबल लोक-अप से निकल कर चक्कर खानें लग जायेंगी। कहीं डेट ऑफ बर्थ बदल दी जायगी, कहीं खराब एन्ट्रीज़ हैं उनको हटा दिया जायगा और कहीं अच्छी एन्ट्रीज़ कर दी जायेंगी और इस तरह जो सर्विस की सिक्योरिटी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जायगी। तो सरकार ने जो डिसीज़न्स लिये है उन पर फिर से विचार करे।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इतना ही नहीं करती; बल्कि इस संविधान के अनुसार हमें शपथ दिलाती है, उस हमारे संविधान की अवहेलना करने का दायित्व अगर किसी पर आता है तो हमारी सरकार पर आता है। हमारे संविधान के आर्टिकल ३१६ (बी) के अनुसार जिनका रीएम्प्लॉयमेन्ट नहीं होना चाहिए उस आर्टिकल की अवहेलना करके उनका रीएम्प्लॉयमेंट हमारी सरकार ने किया और उस वक्त यह कहा कि लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट कर लिया है। इसके बाद हमारी सरकार न मालूम कितने घोटाले करती है। कहने को कह दिया कि लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट कर लिया है। अब सरकार को ज्ञान होता है कि कॉन्स्टीट्यूशन की अवहेलना की है या नहीं। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि सरकार ने गलती की। इसका प्रमाण मैं नहीं देता, हमारी सरकार ने ८००) रुपये खर्च करके भारत के एक ऊंचे दर्जे के वकील श्री शीतलवाड की इस मामले में ओपीनियन ली। मैं उनकी ओपीनियन के दो पैराग्राफ पढ़ कर सुनाता हूं। उनकी ओपीनियन इस मसले पर मांगी गई।

"The question for consideration is whether Shri Devi Shankar Tiwari, retired Chairman of the Public Service Commission, can be validly appointed Chairman, Urban Improvement Board, Jaipur."

यह तो उनसे ओपीनियन मांगी है और इस ओपीनियन का इन्फरेन्स जो उन्होंने निकाला है : "in this connection it is not irrelevant to bear in mind the principles and intentions underlying the provisions of Article 319. It is of great public importance that the independence of Chairman and Members of the Public Service Commission should remain unimpaired. The prospects of assignment like those of Chairmanship of the Improvement Trust could undoubtedly tend to affect that independence while in office..."

और आगे लिखा है :

"My answer to the question, therefore, is that the appointment of Shri Devi Shankar Tiwari as Chairman of the Improvement Trust will contravene article 319(b) of the Constitution."

(श्री भैरोंसिंह)

और यह है श्री एन० सी० शीतलवाड़ की ओपीनियन, २१–१–६१ की ओपीनियन। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत सरकार शपथ लेती है और शपथ दिलाती है तो उनको आज दिन तक चेयरमैन सरकार ने क्यों बनाये रखा, सरकार ने क्यों जान-बूझकर संविधान की अवहेलना की, कॉन्स्टीट्यूशन की जान-बूझकर खिलाफवर्जी की ? ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देना जो जनता को लूट कर खा जाय, जो गरीबों की झोंपड़ियों को उजाड़ कर अपने भाई-भतीजों को प्लॉट्स दे दे और ऐसे लोगों को सरकार प्रोत्साहन देती है, संविधान की अवहेलना करके उनको गलत तरीके से संरक्षण देती है ! मैं दावे के साथ कहूँगा कि यदि सरकार में यह साहस है तो वह कह दे कि कॉन्स्टीट्यूशन की अवहेलना नहीं की है और यदि वह नहीं कहती है तो मैं यह कहूंगा कि सरकार ने जो संविधान के अन्तर्गत शपथ ली है और संविधान के प्रति जो उसकी स्वामिभक्ति है वह सही माने में न होकर केवल राजनैतिक रूप से संविधान को आघात पहुँचाने की हमारी सरकार चेष्टा करती है। यदि हो माननीय गृह मन्त्रीजी में साहस, जो स्वयं कानून में दखल रखते हैं तो वे देवीशंकरजी तिवारी को तुरन्त बर्खास्त करें। यदि साहस करके देवीशंकरजी को बर्खास्त भी कर दिया गया तो लक्ष्मीलालजी जोशी आ गये। सरकार उनको ओब्लाइज करना चाहती है। वे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और अब हायर सेकन्डरी बोर्ड के चेयरमैन हो गये हैं। देवीशंकरजी की हत्या वे कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीलालजी की हत्या करने का साहस उनमें नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह जरूर मानता हूं और कहूंगा कि पहले के मंत्रिमंडल से अब का मंत्रिमंडल सुपीरियर है। केबिनेट में झगड़े भी करते हैं। वे हिम्मतवर हैं। केबिनेट में एसर्ट करते हैं। मुख्य मंत्रीजी का जो रोब-दोब था, अब उनकी ऑथोरिटी को चेलेन्ज करते हैं, उनको भी हाथ बताने लगे हैं। पहले के मंत्रिमंडल के एक-दो कमजोर हैं, उनको छोड़ कर बाकी मजबूत हैं। उन कमजोर मंत्रियों से भी मेरा कहना है कि जहां संविधान की प्रतिष्ठा का प्रश्न आवे तो वे शूरवीरता का परिचय दें और यह बतायें कि हमें संविधान के प्रति पूर्ण आस्था है। सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि ८००) रु० खर्च करके राज्य सरकार द्वारा जो एन. सी. शीतलवाड़ से ओपीनियन मांगी गई है उसकी कद्र करने के लिए तिवारीजी को अब छुट्टी दें और जोशीजी जहां जाना चाहें जाने दें। यह नहीं चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि पी. एस. सी. के मेम्बर्स में एक टेम्प्टेशन क्रियेट करना चाहते हैं। मैं यह भी कहूं कि पी. एस. सी. में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनको सरकार रिटायरमेंट के बाद ओब्लाइज करना चाहती है। वैसे बहुत से व्यक्ति रिटायर हुए हैं, उनको पी. एस. सी. में मेम्बर नहीं बनाया गया और जिनको मेम्बर बनाया गया है उनको मेम्बर मेरिट्स पर नहीं बनाया है, किन्तु पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स पर मेम्बर बनाया है। किस कारण बनाया ? पी. एस. सी. कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन–सेन्टर नहीं है जिसमें कोई आदमी रिटायर हुआ और उसको पी. एस. सी. का मेम्बर बना दिया ! मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तो प्योर इन्स्टी

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

ट्यूशन रखने की आवश्यकता है। लेकिन बद-किस्मती है कि राज्य सरकार रिटायर्ड ऑफिसर्स को किसी मेरिट के आधार पर नहीं, किन्तु सरकार मैं यह कहूं कि, अपनी व्हिम्स के आधार पर इस प्रकार एम्प्लोयमेंट देती है। उसका नतीजा यह होता है कि सिलेक्शन के लिए जिन व्यक्तियों का नाम लिख दिया जाता है उनके नाम को इरेज़ कर दिया जाता है। चौथे नम्बर पर हुआ है। निशान लगा दिया। फिर जिस आदमी को नहीं लेना है तो उसको इरेज़ कर देते हैं, काट देते हैं, दस्तखत गलत करते हैं और छठे नम्बर-वाले आदमी को प्रोमोशन देते हैं। यह नमूना है हमारी पी. एस. सी. का। जो इरेज़र से इरेज़ हुआ है, उसकी फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास है और यदि सरकार उसको देखना चाहती है तो मैं वह बता भी सकता हूं। इन सब कृपा-पात्र, खुश करनेवाले लोगों को पी. एस. सी. में लेंगे तो यह सरकार की बदकिस्मती है। सभापति महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि सरकार के अन्दर जिस करप्शन को लेकर हम कई बार चर्चा करते हैं वह बीमारी रुकी नहीं है, लेकिन वह तो एपिडेमिक–वे में बढ़ रही है और इस-लिए बढ रही है....

श्री मथुरादास माथुर : Will the Hon'ble Member oblige and give photostate copies ?

श्री भैरोंसिंह : I will place on the Table of the House. लेबर डिपार्टमेंट की है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस करप्शन को लेकर राजस्थान की इस विधानसभा में हमने ८ वर्ष तक कोशिश की, सन् १६५४ से लेकर ६२ तक पी० एस० सी०, एस्टिमेट्स कमेटी और सदन के कई माननीय सदस्यों ने पूरा जोर अजमा लिया, आज वे अधिकारी इसलिए बच कर जा रहे हैं कि हमारी सरकार ने एक सलाहकार मंडल बना दिया है। पीछे का काम छोड़ दो और आगे सलाह से काम करो। जो सलाहकार मंडल सरकार ने बनाया है वह तो भविष्य के कामों के लिए है, लेकिन पिछले जो कार्य हुए हैं उनके लिए उन अधि-कारियों के खिलाफ क्या कर रहे हैं ? इन्क्वा-यरी ऑफिसर ने अक्टूबर–नवम्बर में चार्ज-शीट दी और उस आदमी ने आज तक रिप्लाई नहीं दिया और हर बार यही कोशिश करता है कि टाइम एक्सटेन्ड कर दिया जाय। यदि कोई स्कूल टीचर होता, कोई पुलिस का सिपाही होता और वह यदि पन्द्रह दिन में चार्ज-शीट का जवाब नहीं देता तो उसके डिस्मिसल के ऑर्डर्स हो जाते। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उस विभाग के डाइरेक्टर को क्यों स्पेशल फेवर किया जाता है जो चार-चार महीने तक भी चार्जशीट का जवाब न दे और हर बार एक्सटेन्शन की कोशिश करे ? क्या केवल इसलिए कि वह मंत्रियों के फोटो छपवाता है, कांग्रेस का समाचार–पत्रों में प्रचार कराता है ? यदि यही बात है तो जितनी इन्क्वायरी हुई है तो उसको शर्क कर दीजिये, पी. ए. सी. की ओर से जितने स्ट्रिक्चर्स हुए हैं, जो फाइन्डिंग्स हुई हैं उनको जला दीजिये और विधान सभा में इस सम्बन्ध में जितने भाषण दिए गये हैं उनको लाल पेन्सिल से काट दीजिये। और यदि सरकार उनका सम्मान करना चाहती है तो ऐसे अधिकारी

(श्री भैरोंसिंह)

को बर्खास्त करे जो चार-चार महीने से चार्ज-शीट का जवाब नहीं देता। उस आदमी को तो आदत पड़ गई है। पिछले दिनों ८ हजार का पेमेन्ट कर दिया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जो ८ हजार का पेमेन्ट हुआ है अन-ऑथोराइज्ड पेमेन्ट हुआ है। कहीं कुछ नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी खत्म करता हूँ।

ऐसा नियम बना दिया है सरकार ने कि जिस अधिकारी के खिलाफ ज्यादा चार्जेज़ होंगे उसको प्रोमोशन भी अधिक मिलेगा। वह नियम बना है तो शुरुआत हो गई है। श्री शिवहरे को डाइरेक्टर बना दिया। चार वर्ष पहले भूतपूर्व गृह मंत्रीजी ने हाउस में आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट में यह केस गया। इसलिए फैसला किया कि डाइरेक्टर की जगह पर टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट है, स्थायी नहीं लगाया। मुझे यह ताज्जुब हुआ और आपको भी यह ताज्जुब होगा कि चार दिन पहले ही सरकार ने उन्हीं शिवहरे साहब का कन्फर्मेशन किया है। मैं सरकार के मन्त्री;महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने उन अधिकारी का कन्फर्मेशन करने की कृपा की, लेकिन उनके पिछले कारनामों का क्या होगा ? नेशनल बुक बाइन्डिंग का मामला है। २० हजार का घोटाला हुआ। मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की और उसने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि विभाग के संचालक की जबरदस्त गलती है, उस कागज पर निगरानी नहीं रखी और सूचना आयी थी लेकिन संचालक शिवहरे ने कोई एक्शन नहीं लिया। वह एन्टीकरप्शन में भी मामला गया। एन्टीकरप्शन ने भी डाइरेक्टर के खिलाफ लिखा। जब एन्टीकरप्शन भी खिलाफ लिखता है, मजिस्ट्रेट भी खिलाफ लिखता है लेकिन सरकार ने ऐसा नियम बना लिया है कि एन्टी करप्शन को खत्म करके भी ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन और कन्फर्मेशन देगी। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट है, इस पर भी सरकार को तसल्ली नहीं होती। उसके लिए सरकार अलग से डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराती है। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आप चाहे शिवहरे साहब को सर्टिफिकेट दें लेकिन जनता का बीस हजार रुपया जो खा गये हैं वह कहां गये, वह निकालिए। बीस हजार रुपए के बारे में एन्टी-करप्शन विभाग की रिपोर्ट है उसके बाद भी यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि उनका कन्फर्मेशन किया जाता है। पब्लिक का जो पैसा कन्सोलिडेटेड फण्ड में आता है उस पब्लिक के बीस हजार रुपये का आप हिसाब उनसे लीजिये। इसके अलावा कल परसों ही उन्होंने ६ लाख रुपये का घास का कागज खरीदा है। ४०० टन के करीब वह कागज है जो आज बरामदों में पड़ा हुआ है। आप राजस्थान गजट उस पर छापना चाहते हैं। राजस्थान की जनता से आप जो पैसा लेते हैं गजट के लिए वह घास का कागज देने के लिए नहीं है। वह घास के कागज पर छपे गजट को नहीं खरीदनेवाली है। घास के कागज के लिए उनके साथ एग्रीमेन्ट नहीं किया। आज सरकार का लाखों रुपयों का कागज खरीदा गया जो बरामदों में पड़ा हुआ है, जिसके लिए अलवर प्रिन्टिंग प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इत्तला दी है कि यह कागज काम का नहीं है। गवर्नमेन्ट ने भी यह कह दिया कि इस कागज को नहीं खरीदा जाय, फिर भी खरीद

(श्री भैरोंसिंह)

लिया गया है । यह कागज कब काम में आयेगा, पता नहीं बरामदों में भरा पड़ा है । इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी सरकार इनको प्रमोशन देना चाहती है और वह इसलिए देना चाहती है कि वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट की शिकायत की जाय । इफ्तिकारअली के शिकार के लिये उनको प्रमोशन दिया जाय ! यह सारी गड़बड़ी जो वे कर रहे हैं वह सामने न आ सके ! इससे सरकार को ६ लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, नुकसान ही नहीं नाजायज़ तौर पर यह कागज खरीदा गया है और इससे उनको नाजायज़ फायदा होने वाला है । वह सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रेस के रहते हो नहीं सकता, इसलिये यह सब कार्यवाही हो रही है । इसलिये श्री शिवहरे को सर्वेसर्वा बनाया जा रहा है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी की बातों को आप जाने दीजिये । मैं और भी डिटेल्स लेकर आया हूं कि किस प्रकार गत्ते का कागज खरीदा गया । और भी अन्य चीजों की खरीद के बारे में, उन सब के बारे में समय की कमी के कारण जिक्र नहीं कर सकता । आप उनके खिलाफ इन्क्वायरी कमेटी बैठाइये । उनके खिलाफ कई प्रकार के सीरियस चार्जेज़ हैं । उन्होंने रजिस्टर्स को टेम्पर किया है । इस तरह से जिस व्यक्ति ने सरकार के लाखों रुपयों का नुकसान किया है उसको हमारी सरकार प्रोमोशन देती है । मैं सरकार से कहना चाहूँगा, उनको तुरन्त सस्पेन्ड किया जाय । सस्पेन्ड करके उनके खिलाफ तुरन्त इन्क्वायरी की जाय । इस इन्क्वायरी में कितने ही मसले हमारे सामने आयेंगे । मैं समझता हूँ, आप इन सब बातों पर विचार नहीं करने वाले हैं । इसके अलावा भी मैं एक-दो बातें और सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, हमारा सेशन ११ तारीख को समाप्त होगा और जुलाई महीने में स्कूल फिर से खुलेंगे । अभी तक सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार के सरकुलर्स निकले हैं उन सरकुलर्स को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जुलाई महीने में छात्रों की फीस बढ़ायी जायगी ; मैं इस सम्बन्ध में सरकार के जो सरकुलर्स हैं और जिनसे सरकार की इन बातों का जिनके द्वारा आभास मिलता है कि हम फीस बढ़ाने वाले हैं । एक तरफ आप फीस बढ़ाने वाले हैं, दूसरी तरफ आपने जनता पर टैक्स बढ़ा दिया, भारत सरकार ने भी टैक्स बढ़ा दिये, किताबों की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं और फिर ट्यूशन फीस भी बढ़ाने वाले हैं और वह भी जुलाई महीने से वृद्धि करने वाले हैं । इसके लिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से जो सरस्वती के पुजारी हैं कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार आर्थिक संकट के अन्दर जहां सरस्वती के उपासक राजस्थान के बच्चे पुजारी के कहने पर फीस नहीं देने वाले हैं उनको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिये । अगर उन्होंने बिना पूछे फीस बढ़ा दी तो उसका क्या परिणाम होगा, उस पर वे पहले से ही विचार कर लें ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । राजस्थान में कुछ मसले ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सरकार को संकेत करना चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर जल्दी से जल्दी विचार करे, वह है एम्पलॉयमेंट का मसला । आज तक हमारी सरकार जो भी इस सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह)

आंकड़े देती रही है वे सारे के सारे आंकड़े एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज द्वारा लिये हुए होते हैं। हमारी सरकार ने नियम बना रखा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी की नियुक्ति की जायगी तो बिना एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज के सर्टिफिकेट के नहीं होगी। मैं सरकार से और माननीय गृह मंत्री महोदय से जो उपनेता का काम कर रहे हैं कहना चाहता हूँ, कम से कम वे इस मसले पर अवश्य विचार करें। हमारे यहां जो इस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति पर इसी प्रकार चलते रहे तो उसका क्या नतीजा होगा ? मैं एक बात उनसे अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। एक आदेश तो आप इस प्रकार का तुरन्त निकाल दें कि जिनकी नियुक्ति एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज के सर्टिफिकेट के बिना हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जायगा। इस प्रकार से सख्त एक्शन लेने से यह फायदा उन लोगों को हो जायगा, जिनके पास किसी प्रकार की सिफारिश नहीं, जो मंत्रियों के रिश्तेदार नहीं उनको नौकरी मिलने की व्यवस्था हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह यह कि हमारी सरकार को यह विदित है कि अभी केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन स्तर में वृद्धि की है। जहां हम हमारे कर्मचारियों के वेतन स्तर को उनसे तुलना करते हैं तो काफी अन्तर हमें दिखाई देता है। इसलिये जो केन्द्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है उतने अनुपात में हमारे यहां के कर्मचारियों का भी वेतन स्तर बढ़ाया जाय। हमारी सरकार कहेगी कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, ऐसी हालत में हम कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। हमने सरकार के सामने कुछ सुझाव रखे थे, रुपया किस प्रकार से बचाया जा सकता है। उस बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बारे में मैं यातायात मंत्री महोदय से एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने विभाग में जरा सावधानी रखें। हमारी सरकार ने बसेज़ का राष्ट्रीयकरण तो किया है; उस विभाग में देखा जाय कि कितना सामान गायब है। किस तरह से टूल बोक्सेज़, होर्न्स, गायब किये जाते हैं। टायर ट्यूब्स कितने गायब हो चुके हैं, चेसेज़ कितने जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके डिटेल्स मेरे पास हैं; उनमें न जाते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट विभाग में जिस प्रकार की अन्धेरगर्दी अभी है उतनी अन्धेरगर्दी अजमेर स्टेट के समय दा साहब के जमाने में भी नहीं थी। आज का यातायात विभाग इस बात के लिये मशहूर है कि वहां पर चोरी करने वालों की यूनियन बनी हुई है। जहां पांच बसें जाती हैं वहां पर पांचों बसों के कर्मचारी मिल कर यह तय करते हैं कि आज इनमें से कौनसी चीज चुराई जाय। हॉर्न निकालेंगे तो पांचों बसेज़ में से निकाल लिये जायेंगे और इस प्रकार की रिपोर्ट कर दी जायगी कि पांचों बसेज़ में से होर्न गायब हैं।

टूल बॉक्सेज़ का भी यही हाल है। इसके बारे में सब आइटम्स मेरे पास हैं, जिनको बताना सदन का समय लेना होगा। एक बात मैं अवश्य निवेदन करना चाहूँगा, जयपुर के जो आर० टी० ओ० हैं वे इस बात के लिये मशहूर हैं, उनके कार्यकाल में काफी

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

गड़बड़ियां हुईं हैं और हो रही हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले की भी कई बार अवहेलना की है और गलत लोगों को परमिट दिया है। जयपुर और अजमेर रूट की जब टर्म एक्सपायर हो गई थी तो सिवाय मंत्री महोदय के अन्य किसी अधिकारी के हाथ में नहीं था कि उस टर्म को बढा दिया जाता। लेकिन आर० टी० ओ साहब ने इसका किस प्रकार से एक्सटेन्शन कर दिया ? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि अजमेर और जयपुर रूट के मसले की जांच करें तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भूतपूर्व गृह मंत्री आज घर पर बैठे हैं, वे सेन्ट्रल जेल के सीखचों में मिलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार को धोखा दिया है और उन्होंने इस प्रकार की चीजें की हैं जिससे करप्शन को बहुत बढ़ावा मिला है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि पिछले वाले गृह मंत्री महोदय को वे याद करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यदि एक-दो इस प्रकार के मंत्रियों को पनिशमेंट दिला देंगे तो अगले पांच वर्ष में और कोई भी इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। क्या बार बार हारे हुए व्यक्ति का नाम लूं ? लेकिन जिनकी गल्तियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है इसलिये इस प्रकार की बातें सदन में कहने की आवश्यकता पड़ जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी जल्दी ही समाप्त कर रहा हूँ।

एक बात मैं फोरेस्ट विभाग के बारे में जरूर निवेदन करना चाहूँगा। यह अच्छा हुआ कि फोरेस्ट विभाग के नये मंत्री आये। पीछे के जो भी मसले हुए उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा जिनमें डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट उनका हाथ था। सभापति महोदय, चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स की मैंने लोग बुक देखी है और सारी लोग बुक की फोटोस्टेट कॉपी तैयार की है और यह जानने की कोशिश की है कि चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स जयपुर में ही घूमते हैं या जयपुर के अलावा सभी जगह घूमते हैं। माइलेज गलत लगाये जाते हैं। मैं उन सब को पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। वह मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में पेश करना चाहूँगा और उनको यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया जाता है। कोटा को इसमें १६४ माइल बताया गया है। गांधीनगर के प्लान्टेशन फार्म में जाने में १८ और २६ मील का खर्चा बताया गया है और सब से ताज्जुब की बात तो यह है कि जिसको एक लाइन को सभापति महोदय, पढ़ कर सुनाऊंगा ही। ऑफिस का एक पंखा खराब हो गया। उसको सुधारने के लिए बीस मील का खर्चा बताया गया, दफ्तर से पावर हाउस, पॉवर हाउस से मिर्जा इस्माइल रोड। यह तो एक तारीख का सफर बताया गया है। दूसरे दिन दफ्तर से पॉवर हाउस, फिर दफ्तर से खेजड़े वालों का रास्ता मेकेनिक के पास, फिर मिर्जा इस्माइल रोड पर। इस तरह से कभी पंखा खेजड़े के रास्ते में ठीक होता है तो कभी मिर्जा इस्माइल रोड पर।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं उन महानुभाव को हर बार चाहे सब्जी लेने खड़े

(श्री भैरोंसिंह)

हों या और कहीं पर किसी काम से खड़े हों सरकारी जीप में खड़े हुए देखता हूँ। मैं सभापति महोदय, आपको यह भी कह सकता हूँ कि जिस दिन वे भरतपुर बैठे थे उस दिन जीप गई कोटा और उसका माइलेज आपने अपने नाम लिख दिया और वह इसलिए कि सुबह शाम मंत्री महोदय को सलाम देने के लिए, सरकारी अधिकारियों की खुशामद करने के लिए जायें और उसके अन्दर जो पैट्रोल खर्च हो वह किस प्रकार से बचाया जाये। उसको बचाने के लिए केवल मात्र एक ही तरीका है और वह तरीका है जयपुर शहर की गश्त दिखाई जाये, सांगानेर का प्लान्टेशन फार्म और चौमू का प्लान्टेशन फार्म तक का दौरा दिखाया जाता है। हालांकि मिस्टर सेन जो कि पहले चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट थे वे इस प्लान्टेशन फार्म पर कभी नहीं गये, लेकिन ये मौजूदा विभागाध्यक्ष तो न जाने क्यों इतने दौरे इन फार्मों के करते हैं, वहां क्या रखा है ? फॉरेस्ट मेनुअल में लिखा है कि ज्यादा दौरा करने की जरुरत नहीं है, लेकिन रोज दौरा करते हैं और उसके अन्दर भी उसके बारे में नोट एक भी पुट-अप नहीं करते हैं।

इसी के साथ मैं मंत्री महोदय को कुल मसले यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ फोरेस्ट के कॉन्ट्रेक्ट्स में भी बड़ी गड़बड़ी की है, कुछ पर्चेजेज के अन्दर भी गड़बड़ियें की हैं और उन सारे मसलों के अन्दर तुरन्त जांच करनी चाहिये। अगर उनकी जांच करते हैं तो मैं आपको अभी मोटर के अन्दर ले चलता हूं, वहां इन्क्वायरी कराइये और जिस रेकॉर्ड के बारे में मैं कहता हूँ उनको जब्त कर लीजिए तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के घोटाले चल रहे हैं। उन सारे घोटालों को दबाने के लिए हमारे चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स ने, सभापति महोदय, आपको कहते हुए अफसोस होता है कि जिन रेन्जर्स को ११०) रुपये की तनख्वाह मिलती है उनमें से ६० परसेन्ट का ट्रान्सफर कर दिया जो भी गड़बड़ी करता है उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। केवल एक बांसवाड़े का फोरेस्टर जो कि माननीय मंत्री महोदय का कभी क्लास फैलो रहा है उसको छोड़ कर बाकी के सारों का ट्रान्सफर कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारी इस प्रकार का अन्याय क्यों कर रहे हैं ? मैं देखता हूं कि रेन्जर का ट्रान्सफर किया जाता है और फिर उससे उसकी कीमत मांगी जाती है कि उसकी कीमत तो यह होगी। अब वे बेचारे जंगलों में तो रहते हैं, उनके पास कीमत कहां से आवे। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनकी कम से कम ११०) रुपये की तनख्वाह हो उनको कोटा से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से सीकर, सीकर से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से जोधपुर और जोधपुर वाले को भरतपुर; ये जो इस प्रकार के ट्रान्सफर्स किये हैं उनको आप तुरन्त बन्द करायें। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी नहीं है, बल्कि गरीबों के साथ अन्याय है। केवल एक बांसवाड़े को छोड़ कर जो कि घर के घर में ही था उसको तो डिस्टर्ब नहीं किया, बाकी के सारे लोगों का ट्रान्सफर कर दिया। ट्रान्सफर्स रोके जायें और उनको ऐसी रिलीफ दें कि जिससे काम में ज्यादा एफीशियेन्सी आये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

Page No.40

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, इस बजट की बहस के दौरान में कई मसले सदन के सामने आये और कई नई और पुरानी बातें सदन के समक्ष आयी हैं । मैं उन मुद्दों पर प्रकाश डालना नहीं चाहता जो बहुत बार इस सदन के समक्ष आ चुके हैं । लेकिन उन मुद्दों पर अपनी राय जरुर जाहिर करना चाहूंगा कि जो बहुत आवश्यक है और जिनके ऊपर विचार करना आवश्यक है । मैंने सदन का ध्यान कुछ गलतियों की तरफ जरुर आकर्षित किया था और हमारे सम्माननीय मन्त्री महोदय ने उस वक्त अपने जवाब में मुझे जरुर उलाहना दिया कि मैं इस सदन में और इस राज्य सरकार का फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुका हूं और मुझे उतना भी ज्ञान नहीं है । हो सकता है मुझे उनके बराबर ज्ञान न हो, हो सकता है कि मैंने उसकी प्रोपर स्टडी नहीं की हो लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पब्लिक फाइनेन्स की जरुर स्टडी की है । इसलिए मेरी बात का सही जवाब न देकर उसको टालने की कोशिश की है । मैं समझता हूं कि इस तरह से हम सदन में गलत परम्परा डाल रहे हैं । मैं सभापति महोदय, निवेदन करना करना चाहूंगा कि जो गलतियां हैं उनको मन्जूर करना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि गलतियां मन्जूर की जाती हैं । लेकिन हर चीज के लिए जो सदन में उठाई जाये यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसका निराकरण करें, उनको समझाने की कोशिश करें । लेकिन गलतियों को डिफेण्ड करने की मन्शा हमारी नहीं होनी चाहिए । हो सकता है किसी माननीय सदस्य के समझने में कुछ फर्क हो लेकिन उनकी समझ के फर्क को निकालने के लिए हमारे इस साइड के बैठने वाले माननीय मन्त्री महोदय का कर्तव्य हो जाता है और वह केवल ग्रोस और नेट का फर्क बताकर नहीं किया जा सकता कि यह तो ग्रोस और नेट का फर्क है । जो असली चीज है उसके ऊपर जाना चाहिए कि कहां है और क्यों है । इसका विश्लेषण हमारे मन्त्री महोदय ने नहीं किया और इस मेमोरेण्डम में उसका जिक्र है या नहीं और कहां ग्रोस और नेट बतलाने की जरूरत होती है । यह जरूर है कि कई बातें ऐसी हैं कि जिनमें कई जगह आमदनी नहीं बताई गयी और जब आमदनी नहीं होती है तो फिर पता नहीं उसको बजट में क्यों रखा है ? जैसे हनुमानगढ़ की ड्रग फैक्ट्री है । उसके आगे निल निल लिख दिया । इसी तरह से स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी के ३८ लाख का ग्रोस में बताकर दूसरे हैड में ट्रान्सफर कर दिया तो वहां भी ऐड हो गया । तो यह कहना कि यह ग्रोस में जोड़ा जायेगा तो मैं यह नहीं समझता कि यह कौन से प्रिन्सिपल ऑफ बजटिंग में आता है । मैं उम्मीद करूंगा कि मन्त्री महोदय जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि यह कौन से सिद्धान्त में है और किस तरह से बजट के ऊपर ३८ लाख का कैसे असर पड़ा है या नहीं पड़ता है । अगर यह चीज बुरी लगती है कि गलतियां सामने रखना पाप की वस्तु है तो मैं इसको छोड़ता हूं । लेकिन मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हम आज डेवलपिंग इकोनोमी में हैं और निरन्तर हम डेवलपिंग इकोनोमी में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और इस डेवलपिंग इकोनोमी में जो सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं वह कन्सट्रक्शन की तरफ होते हैं और प्लान्ड एक्सपेन्डीचर जितना भी है वह खर्चा कन्स-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ट्रक्शन एक्टीविटीज़ की तरफ ज्यादा किया जाता है और निर्माण की तरफ सबसे ज्यादा रकम खर्च की जाती है । उस निर्माण के जरिये हमारा उद्देश्य यह है कि हम केपिटल फॉर्मेशन करें और केपिटल फॉर्मेशन करके हम अपने रिसोर्सेज़ को बढ़ायें। लेकिन आज जब कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकन्ड फाइव इयर प्लान में जो हमारे टार्गेट्स थे उनको पूरा नहीं किया और फाइव इयर प्लान के जो कन्स्ट्रक्शन वर्क्स थे वे कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से पूरे नहीं हो सके और इसी कारण खर्चे की कमी पड़ी और ज्यादा टाइटन करने की जरुरत पड़ती है अपनी बैल्ट को । हमें इसके पीछे जाने की जरुरत है कि जैसे खर्चे करते हुए चले जा रहे हैं उसके पीछे क्या हम कभी यह देखते हैं कि वे जरुरी खर्चे हैं या किस तरह से हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए और क्या हमने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया है ?

आज कोई इर्रिगेशन का प्रोजेक्ट होता है सेकण्ड फाइव इयर प्लान में उसकी एस्टीमेटेड कोस्ट लगाई जाती है ५० लाख रुपया, तो क्या वजह है कि उसके कम्प्लीशन तक उसकी कोस्ट ७५ लाख रुपये आ जाती है ? क्या इसके पीछे हमने कभी ध्यान दिया है ? इसके पीछे ध्यान देने की जरुरत है। आज केपिटल फोर्मेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है । जो प्रोजेक्ट्स हम अपनी तरफ से पूरा करना चाहते हैं उनमें रिडक्शन इन कोस्ट के लिए किस तरह से किया जा सकता है । केपिटल फॉर्मेशन के लिए या केपिटल एक्युम्युलेट करने के लिए कॉस्ट के रिडक्शन की बहुत बड़ी मदद मिलती है और किस तरह से कॉस्ट में इन्क्रीज़ न होकर उसकी कॉस्ट किस तरह से रिड्यूस हो, उसके लिए रॉ मेटीरियल को देखना पड़ता है । आखिर एक चीज की कोस्ट आती है उसके अन्दर दो-तीन चीजें शामिल होती हैं; कोस्ट ऑफ मेटीरियल । मेटीरियल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें यह मेटीरियल किस कोस्ट पर मिलता है और उसकी प्राइस को किस तरह से रेग्युलेट करते हैं और उसकी प्राइस बढ़ती है या घटती है। अगर बढ़ती है तो उसकी कोस्ट में काफी फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी पड़ती है वह है एफीशियेन्ट यूज़ ऑफ रॉ मैटीरियल । इसके अन्दर यह देखना पड़ता है कि रॉ मैटीरियल कहीं वैस्ट तो नहीं जाता है। इसके बाद जो तीसरी चीज देखनी पड़ती है वह है लेबर कोस्ट कितनी पड़ती है। जिस समय एस्टीमेट बनाया गया उस समय लेबर कोस्ट रखी गई थी उसमें और आज की में फर्क है या नहीं । अगर है तो क्यों है ? चौथी चीज देखनी पड़ेगी कि उसमें ओवरहेड एक्सपेन्डीचर कितना है । उसमें सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन की है। ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। तो हमें इन चारों चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तभी हम उसके एस्टीमेट को करेक्टली फोलो कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ ध्यान देते हैं और एस्टीमेट नहीं बढ़ने देते हैं तो हमारा प्लान सफर नहीं करेगा।

हम एक बात मानते हैं कि कोस्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं । मुझे कोटा डिविज़न का एक्सपीरीयेन्स है कि चम्बल में जितने भी कॉन्ट्रेक्ट्स हुए और उसके बाद

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में ठेकेदारों में और गवर्नमेंट में जिस तरह से रस्साकसी हुई और ठेकेदारों को पेमेन्ट के बारे में जितने दावे सरकार के खिलाफ शायद चम्बल प्रोजेक्ट के चल रहे होंगे, पी. डब्लू. डी. के चल रहे होंगे उतने शायद किसी भी जगह किसी भी सरकार के ऊपर नहीं हुए। मैंने उस समय भी सदन के अन्दर यह सजेस्ट किया था कि क्या हम जिस तरह से सी० पी० डब्ल्यू०डी० या रेलवे या पंजाब में, और और जगह भी आर्बिट्रेशन के क्लॉजेज़ हैं उनके जरिये इसका फैसला नहीं कर सकते ? क्या हमारे इन्जीनियर्स अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे किसी के क्लेम का फैसला स्वयं कर सकें और कॉन्ट्रैक्टर्स को सेटिस्फाई कर सकें ? आज इतने कम्पिलक्ट क्यों पैदा हुए ? दावे में बहुत डिक्री हो जाती है और आप अनुमान लगायें कि कितनी गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्रियें हुईं तो आपको अन्दाजा हो जायेगा कि कितना टाइम का वेस्टेज़ हुआ है और गवर्नमेंट को मेहनताने के रूप में कितनी रकम देनी पड़ी है । फिर इसका असर क्या हुआ ?

राणा प्रताप सागर का जो काम शुरू हुआ उसमें टेन्डर्स इनवाइट किये जाते हैं और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेन्डर देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि पेमेन्ट नहीं होता है । उसके लिये पहली दफा टेन्डर इन्वाइट किये जाते हैं और पर्सेन्टेज कुछ लो आता है । उसने कहा कि यह पर्सेन्टेज ज्यादा है । फिर दूसरी बार टेन्डर्स इनवाइट किये जाते हैं और वे ज्यादा आते हैं और तीसरी बार टेन्डर्स इनवाइट किये जाते हैं तो और भी ज्यादा आते हैं । नतीजा यह हुआ कि कन्स्ट्रक्शन के जितने भी काम चल रहे हैं उसकी कोस्ट में, मैं मानता हूं कि उस समय के एस्टीमेट में और आज के एस्टीमेट में ३५–४० परसेन्ट का फर्क पड़ा है । वह जो बढ़ा है उसका कारण क्या है, क्या कभी इसको जानने की कोशिश की है ? खाली यह कह कर कि लेबर चार्जेज़ बढ़ गए इससे काम नहीं चलता है; इसमें सारी चीजें हैं । हमने रॉ मेटीरियल पर ध्यान नहीं दिया है, हमने लेबर इन्सेन्टिव पर ध्यान नहीं दिया है, जो ठेकेदारों की दिक्कतें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है । नतीजा यह हुआ कि जो एस्टीमेट्स हैं वे बढ़े हुए नजर आते हैं और जो काम में खत्म होने में देरी होती है वह इसी वजह से होती है और जो रिसोर्सेज़ हमारे पास हो जाने चाहिये थे वे नहीं हुए । क्योंकि ये कन्सट्रक्टिव स्कीम्स हैं और इनमें जितनी डिले होती है उसमें उतना ही नुकसान होता है । इसलिये उसको उसी टाइम के अन्दर खत्म करना बहुत जरूरी होता है । इसका हमारे बजट के आंकड़ों पर बहुत असर पड़ता है । मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जायेगा । इसके अलावा मैं और भी निवेदन करना चाहूंगा कि इर्रिगेशन, पी० डब्ल्यू० डी० के प्रोजेक्ट्स के जितने भी एक्सपेन्डीचर हैं उनकी कोस्ट के बारे में यह जांच कराई जायगी कि कितनी पर्सेन्टेज इन्क्रीज़ हुई है और उसमें किस तरह से कमी कर सकते हैं । लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ।

लेबर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय बुरा तो लगता है जिस समय कि लेबर आवाज उठाता है । पर जब तक आप

Page No.43

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

प्राईसेज़ के ऊपर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक लेबर अपनी वेजेज़ में इन्क्रीज़ के लिये आवाज उठाता रहेगा। अब प्राईसेज़ इन्क्रीज़ होती जाती हैं तो लेबर तो मांगेगा। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि १०–१५ परसेन्ट इन्क्रीज़ हो गये महीने में और इस महीने में हुई है। जब आपके स्टेटिस्टिक्स में इन्क्रीज़ हो जाती है तो फिर आप किस तरह से इन्डेक्स नम्बर को ठिकाने लगा सकते हैं ? प्राईसेज़ बढ़ेंगी तो लेबर उतनी ही ज्यादा वेजेज़ मांगेगा। अगर आप लेबर को डिमान्ड नहीं करने देते हैं तो उनमें असंतोष पैदा होता है और इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारा जो इन्डेक्स ऑफ लिविंग है उसको इन्क्रीज़ करके चलें। अगर ऐसा करेंगे तो प्राइसेज़ में एक बात देखनी पड़ेगी कि ज्यादा प्राइसेज़ नहीं बढ़नी चाहिये, जिससे कि आगे जाकर नुकसान उठाना पड़े और कन्ज्यूमर्स गुड्स हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उनकी प्राईसेज़ को आज के दिन जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो रोज कमाई करते हैं अगर बढ़ने से नहीं रोका जाता है तो उनको बहुत मुश्किल हो जायेगी। इसके लिए हमको प्राईसेज़ को कन्ट्रोल करना पड़ेगा········

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्डेक्स नम्बर को ध्यान में रखा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : समस्या हमारे सामने यह है कि आपने जैसा अभी कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या इन्डेक्स नम्बर के मुताबिक प्रोसीड किया है। समस्या यह है कि हम इस मसले को वेजबोर्ड के हवाले करते चले जा रहे हैं। वेजबोर्ड का होना जरूरी है और वह इसलिये कि हमारी इनकम इतनी लो है कि उसका स्टेन्डर्डाइज़ेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए वेजबोर्ड के जरिये उसको रेग्युलेट करना चाहिए। लेबर को लिविंग के आधार पर वेजेज़ मिलनी चाहिए और ज्यों ज्यों प्राईसेज़ में फर्क आता जाये उसी तरह वेजेज़ में भी अन्तर आना चाहिए और वेजेज़ इन्क्रीज़ होती जायें·······

श्री कुमारानन्द : वेजबोर्ड के मुताबिक हमारी सरकार प्रोसीड कर रही है क्या; यह तो आप बता दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : That you can ask the Hon'ble Minister. As a matter of fact I am not bound to reply to whatever you say. I am here to put up my own theme and my own ideas. I hope, if you raise the point before the Hon'ble Minister he will reply to that point.

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो मैंने चार बातें कहीं हैं; तो ऑवरहैड एक्सपेन्डीचर पर आज क्या हमारा कन्ट्रोल है ? एक तरफ तो हम यह मानते हैं कि हमारा एम्पलॉयमेन्ट पोटेन्शन बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा आदमी नौकरी पर लगाये गये। कुछ प्रोवाइड तो करना ही है एम्पलॉयमेन्ट। जब एम्पलॉयमेन्ट प्रोवाइड करने की कोशिश में प्रोजेक्ट्स में उस तरह से करते हैं तो हमारा ऑवरहैड एक्सपेन्डीचर बढ़ता है। जब ऑवरहैड एक्सपेन्डीचर बढ़ता है तो कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की बढ़ती है। इसलिए हरेक प्रोजेक्ट को कॉमर्शियल बेसिस पर, इन चीजों को देखना चाहिए कि प्रत्येक प्रोजेक्ट

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में कितना फायदा होगा, कितनी कोस्ट इन्वाल्व्ड है, कितना रिटर्न करेगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट के रूप में अपने रिसोर्सेज़ को आंकना चाहिए। एक प्रोजेक्ट को एक इन्डस्ट्री मान कर चलना चाहिए और उसके खर्चे और आमद को कम्पेयर करके प्रोजेक्ट को टेक-अप करना चाहिए। अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग एकाउन्ट्स तैयार होने चाहिए, तब जाकर इस बात पर पहुंच सकेंगे कि कितनी तरक्की की है। अभी यह जो पद्धति है कि सारे डिपार्टमेंट की इनकम को इकट्ठा कर देते हैं और सारे डिपार्टमेंट के एक्सपेन्डीचर को अलग अलग लेकर उसको दिखा देते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें, जितने भी मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीकों से मान कर उनके खर्चे के हिसाबात और आमद के हिसाबात को अलग अलग करके देखना चाहिये कि किस इयर से प्रोजेक्ट से रिटर्न होना शुरू हो जायगा और कितना हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, वह यह है कि मैंने इस विषय में अपना एक कटौती प्रस्ताव भी रखा था; वह यह कि क्या हम आज के युग में जो तरीका हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो पैटर्न हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है उस सिस्टम को चालू रखना चाहते हैं? क्या यह हमारे लिये आज के युग में बेहतर है या इस पैटर्न को चैन्ज करना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा गम्भीर मसला है जिसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। ब्रिटिश इन्डिया में जो सिस्टम, जो पैटर्न हमारे यहां पर डाला गया था तो उनका काम था हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने का और उनको हुकूमत करने के लिए उन एजेन्सियों की जरूरत थी जो कन्ट्रोल कर सकती हों, उन पर बेजा दबाव डाल सकें। क्या आज हम उस पैटर्न को चालू रखना चाहते हैं? क्या आज डेवलपिंग इकोनोमी में, आज इस इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया में उसी पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चालू रखेंगे? उसी तरह का सेक्रेटेरियेट सिस्टम हमारे यहां रहे, उसी तरह का नोटिंग सिस्टम हमारे यहां रहे, उसी तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहां पर रहे? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा कोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। जो दूसरे मुल्क हैं उनसे पर्सेन्टेज बहुत आगे बढ़ा हुआ है और आज उससे भी ज्यादा है। कई एजेन्सियों को खत्म किया जा सकता है। उनको खत्म करने की कोशिश की जाय। मेरे दिमाग में आता है कि इस तरह से देखते हैं तो क्या जरूरत है पटवारी को रखने की, क्या जरूरत है इन्स्टीटयूशन ऑफ पटवारीज़ की? क्या जरूरत है आज जो लैण्ड रेकॉर्ड सिस्टम है उसकी, जब कि सेटलमेंट हो जाता है, जब कि कागजातों में इन्द्राजात हो जाते हैं? हरएक अपनी जमीन का मालिक बन जाता है तो पटवारी वगैरह की क्या जरूरत है सिवाय इसके कि स्टेटिस्टिक्स का कलेक्शन करने के लिए? स्टेटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए पटवारी को रख कर करोड़ों रुपया आप खर्च करना चाहते हैं तो क्या आज दूसरे जरिये से मेन्टेन नहीं कर सकते? लैण्ड रेकॉर्ड तहसील में कम्प्लीट

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रहते हैं। उसके जरिये आगे बढ़ते हैं। मैं तो यहां तक जाता हूं कि आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तहसीलदार तक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तहसीलदार काम करता है उसके लिए एक एजेन्सी तलाश की जा सकती है जो कि बहुत कम कॉस्ट पर चल सकती है। आज जनता यह चाहती है कि उसके ऊपर कम से कम खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का हो। जनता यह चाहती है कि उसका एप्रोच कम से कम लोगों के सामने हो। वह यह नहीं चाहती कि रेवेन्यू के काम के लिये तहसीलदार के पास जाना पड़े, डेवलपमेंट के काम के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाना पड़े, उसका और कोई काम हो तो एग्रीकलचर ऑफिसर के पास जाना पड़े, कोऑपरेटिव के पास जाना पड़े, फोरेस्ट के लिये अलग जाना पड़े। यह हो सकता है कि एक आदमी ऐसा हो कि फोरेस्ट का काम भी वह कर ले, उसकी और ड्यूटीज़ भी जितनी भी इस तरह की हों, जिनसे जनता का सम्पर्क हो सकता है वह एक ही आदमी काम करे। इस पर विचार करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि आज जो इतनी इन्स्टीटयूशन्स हमारे यहां पर काम कर रही हैं वहां too much departmental centralisation है। डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट कर दिया। क्या जरूरत है अलग डिपार्टमेंट की ? आज अलग अलग स्कीम्स को एक्ज़ीक्यूट कराने के लिये अलग अलग ऑफिसर्स की नियुक्ति करते हैं। वास्तव में क्या उनके बगैर काम नहीं चल सकता है ? क्या डी० ए० ओ० के काम को ब्लॉक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है वह नहीं देख सकता है ? अगर देख सकता है तो इतने ऑफिसर्स के एपोइन्टमेंट की क्या जरूरत है ? इसलिये इसमें इकोनामी लाने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, जो मैंने पहले भी कही है कि राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जहां चीप होना चाहिये वहां काफी महंगा होता हुआ चला जा रहा है। हमने देखा है कि राजस्थान में कोर्ट फीस एक्ट में एमेंडमेंट हुआ है और इस सदन में पास हुआ और पास होने का इफेक्ट क्या हुआ। आज दूसरी स्टेटों में जो कोर्ट फीस है उनसे अगर मुकाबला करें तो राजस्थान में १ लाख का दावा करने के लिये आज ४,०००)रु० कोर्टफीस के भरने पड़ते हैं, जब कि वहां १,५००)रु० या १,२००)रु० की कोर्टफीस देनी पड़ती है। और स्टेटों में अभी तक वही सिस्टम है। यह कहूंगा कि १ करोड़ के दावे पर ५ पर्सेन्ट की कोर्ट फीस दी जाय और काम उतना ही करना पड़ता है। यह जो नया सिस्टम नये कोर्ट फीस एक्ट के जरिये चालू रखना चाहते हैं यह बहुत बड़ा अन्याय है।

फिर सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े दावों का तजुर्बा मेरा यह आया है कि ८–९ लाख के दावे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के खिलाफ होते हैं तो कोशिश की जाय कि लिटीन्टस दावे नहीं करें इसलिए कोर्ट फीस बढ़ाई जाय या आर्बिट्रेशन के सिस्टम को लागू किया जाय या दूसरा जरिया किया जाय। कोर्ट फीस बढ़ाकर प्रोहिबिट करना बहुत ही ज्यादा अन्याय है। एक कोर्ट फीस का सिस्टम यह है कि पहले २,७००)रु० सबसे ज्यादा कोर्ट फीस दी जाती थी। आज वह लिमिट खत्म कर दी गई। आज तो जितना आगे

Page No.46

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बढ़ते चले जायेंगे उतनी ही कोर्ट फीस बढ़ती हुई चली जाती है और खत्म नहीं होती है।

और उसके साथ साथ जैसा कि कहा गया कि वातावरण बनाइये। इन दिनों कोशिश की गई, सब माननीय सदस्यों से कहा गया कि वातावरण बनना चाहिये। हाई कोर्ट के बारे में काफी वातावरण बनाना चाहिये। लोग इस बात की कोशिश करने लगे कि जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की परमानेन्ट बैंच कायम होनी चाहिए। मेरी भी कई माननीय सदस्यों से बातचीत हुई है। वे लोग भी यह महसूस करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वातावरण बन चुका है और उस वातावरण के बनने के बाद उसका इम्प्लीमेन्टेशन करना चहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय,

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं २-३ बातें और जो जरूरी हैं कह दूं।

श्री सभापति : आप एक मिनट में खत्म कर दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : It is my seventh time that...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं एक और बात निवेदन करना चाहता था कि आज जो पद्धति इन्पलेटेड बजट सिस्टम की हो गई है उस इन्फलेटेड बजट सिस्टम पर ध्यान देना चाहिये।

मुझे निवेदन करना है, सभापति महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं, कि जो प्रोजेक्ट्स और जो वर्क्स बजट में प्रोवाइड कर दिये गये हैं और जिनके लिए बजट में रकम कर दी गई है आज आॅर्डर्स पहुंच जाते हैं कि काम बन्द कर दो। चन्द दिनों के बाद काम को बन्द करने के आॅर्डर्स पहुंचते हैं तो कहां का यह बजटिंग सिस्टम है? जिसको प्रोवाइड करते हैं, आज बजट पास कर रहे हैं और आपने इसकी ग्रान्ट मन्जूर कर ली है उस आइटम के लिए और उस हैड के लिए आर्डर पहुंचता है सुबह कि बन्द कर दो। तो फिर क्या १२८ लाख के जो टैक्सेज़ लगाये हैं वह उसको ध्यान में रखते हुए लगाये हैं? यह प्रोजेक्ट इन्क्लूडेड है, यह काम इन्क्लूडेड है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस गरीब की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में वे दो, तीन काम हैं जिनको बन्द करने के लिए कहा गया है........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : This is condemnation, Sir. The member should not be condemned.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दो-तीन चीजें रह गई हैं केपिटल फॉर्मेशन के लिए; सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन सेविंग्ज़ को नेशनल सेविंग्ज़ के जरिये जिस रकम को लेना चाहते हैं उसके बारे में इस तरह से ध्यान देना चाहिये। जनता का सेविंग्ज़ के बारे में विचार क्या है? वे खुद सेविंग्ज़ में से कुछ रुपया देना चाहते हैं और पास्ट एक्सपीरियेन्स

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उनका कुछ ऐसा हुआ है कि टर्म्स निकल जाती हैं और जबरदस्ती तहसीलदार सेविंग्ज़ करने की कोशिश करते हैं। उनकी मन्शा यह नहीं होती है। इसलिए इस इन्सेन्टिव को डेवलप करना चाहिए और उसकी मनोभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेविंग्ज़ की तरफ कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि जितनी स्टेट ओन्ड इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनमें किसी तरह कॉस्ट को कम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट ले सकते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के बारे में निवेदन कर रहे थे........

(६. ५६ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

मुझे तीन-चार दिन का तजुर्बा हुआ। मैं अभी बूंदी गया था तो एक दिन की आमदनी जयपुर-कोटा सर्विस की १०,०००) रु० की हुई। जैसी पहले शिकायतें थी कि टिकट नहीं काटते हैं, किसी तरह से पैसे बीच में ले लेते हैं, उसमें कमी जरूर आई है। लेकिन जनता की सहूलियत की ओर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। जो सुविधाएं पहले मिल पा रही थी वे चालू रहें। बीच में लोकल और एक्सप्रेस चालू रखें, ओवर क्राउडेड नहीं हो और बीच की सवारियां खड़ी नहीं रखें। मैंने खुद ने देखा है कि चार-पांच घंटों तक बीच की सवारियां खड़ी रहती हैं, उनके लिये भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। यह नेशनलाइज़ेशन रूपी सोने की मुर्गी मिली है यह अंडे देगी। यदि ठीक तरह से काम किया गया तो ५-६ करोड़ की आमदनी इस नेशनलाइजेशन से होने वाली है।

मैं एक लोकल समस्या निवेदन करूंगा। मैंने इस बारे में एक कट मोशन भी दिया था। बूंदी में होस्पिटल की व्यवस्था बहुत खराब है। वहां पर न तो पूरे डॉक्टर्स हैं, न कम्पाउन्डर्स हैं, न दवाइयां हैं। एक रुपये की भी दवाई लेनी पड़ती है तो पी० एम० ओ०, कोटा से मंजूरी मंगानी पड़ती है। इसलिये इसको भी इन्डिपेन्डेन्ट होस्पिटल बनाना चाहिये; जैसे डूंगरपुर, धौलपुर, ब्यावर आदि के होस्पिटल्स हैं। जो पहले बड़े रहे हैं वहां पर इन्डिपेन्डेन्ट डॉक्टर्स रखने की जरूरत है; पी० एम० ओ० के अन्डर में नहीं होने चाहिये। छोटी-मोटी चीज वे खुद खरीद सकें तो मैं निवेदन करूंगा कि कोस्ट को कम करके इन्फ्लेशन को खतम करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): On a point of parliamentary practice, Sir. It has been the practice of the House to give preference to lady members and the lady member from Bhim has been attempting to catch your eyes.

सभापति : Unfortunately she did not catch my eyes.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मेरा नाम भी है या नहीं ?

श्री सभापति : बहुत सी चिटें हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : चिटों के हिसाब से नाम आते हैं ?

श्री सभापति : जिस पर सबसे पहले नजर पड़ जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस पर विचार प्रकट किये हैं। मैं भी अपने विचार प्रकट करता हूं। विनियोग विधेयक–इसके सम्बन्ध में जब से बजट हमारे यहां प्रस्तुत किया गया है तब से लेकर लम्बे अर्से से चर्चाएं चली और अभी हमारे सामने जो बिल है फाइनल स्टेज पर है ताकि हम सब मिल कर सदन के सदस्य कानूनी मुहर लगा दें और मंजूर करें। एक ओर सदन की बड़ी भारी जिम्मेदारी यह है कि वह खुद कानून बनावे और गैर कानूनी तरीके से काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे और दूसरी ओर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सदन में गलत काम हो जाते हैं उनको मान्य करे या न करे, यह सवाल सदन के सामने हो जाता है। मैं प्रारम्भ से ही इसमें जो गलतियां हैं, खामियां हैं उनका विरोधी रहा और आज जब उस पर हम कानूनी मुहर लगाते हैं तो समझता हूँ कि जो लोग स्वयं कानून बनावें, कानून भंग करनेवालों को सजा दें और वे ही इस सदन में जब मानते हैं कि इसमें कमियें हैं, गलतियां हैं उनको स्वीकार करें, मान लें तो मूलभूत बुनियादी जो हमने शपथ ग्रहण की है कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा और अपने इस वचन के अनुसार माननीय सदस्यों का स्वाभाविक कर्त्तव्य हो जाता है कि इसका कड़ा विरोध करें। लेकिन क्योंकि आज यह बिल हमारे सामने है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां बजट इस प्रकार की इतनी खामियों के बीच, गलतियों के बीच आया हो। आ जाने के बाद, काफी बहस हो जाने के बाद भी हम इसे स्वीकार करते हैं, जब कि हर माननीय सदस्य महसूस करता है कि इसमें काफी खामियां हैं, तो ठीक बात नहीं है। होना यह चाहिये था कि कहां से खामियां हुई हैं, किन किन लोगों की तरफ से हुई हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसके कारण हुई हैं लेकिन नीचे से ऊपर तक; चाहे, वह मुद्रण विभाग हो, चाहे वह वित्त विभाग हो, सारे विभागों को देखते हैं तो मालूम होता है कि राजस्थान में नीचे से ऊपर तक के विभाग इतनी लापरवाही से चलते हैं कि बजट जैसी चीज में खामियां रखते हैं। चाहे हम नीचे से........

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : इस बजट के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद कर चुके हैं। समय थोड़ा है, ८ बजे से उत्तर दिया जायगा इसलिए बाकी मुद्दों पर विचार करें।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : टाइम लिमिट कर दिया जाय....

श्री सभापति : श्री मुरलीधरजी ! आसन ग्रहण करें।

श्री ज्वालाप्रसाद : I will request the Chair to limit the time, so that more members may get a chance to take part in the debate.

Page No.49

श्री मुरलीधर व्यास : सदन के सभी सदस्यों की इच्छा है....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : Many members have to speak. इस तरह से अभी ८ बजे खत्म कर दें तो....

श्री सभापति : I have no objection.

श्री कुमारानन्द : लेबर जैसे इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट पर अभी कोई बोला नहीं है ....

श्री सभापति : इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कम से कम ५, ६ मिनट बोलें या ज्यादा से ज्यादा १० मिनट में खत्म कर दें और कम से कम रिपीटिशन हो....

श्री रामकिशन (वैर) : आपको सीमा शुरू से बांधनी चाहिये थी। पहले वाले घंटा भर तक बोल लें और पीछे वाले ३ मिनट ही बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, जैसा आपका आदेश है, फिर भी ५-७ बातें इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले यह बात रखना चाहता हूं, हमारा लक्ष्य है बजट का उसमें टैक्सेज़ का सवाल है। आज आंकड़े की बात जाने दीजिये, टैक्सेज़ के सम्बन्ध में सारे राजस्थान में कोई सफाई नहीं है, आज दाल का सवाल है, सारे राजस्थान में यह कहा जाता है; चना, मौट, दाल सब पर सेल्स टैक्स वसूल किया जायगा....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय,

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा समय कम हो जायगा।

श्री बालकृष्ण कौल : वह मिल जायगा।

आप यह फरमा रहे हैं कि किसी चीज की सफाई नहीं है। मैं नहीं समझा कि सफाई की जिम्मेदारी सरकार पर दे रहे हैं या व्यापारियों पर या चने की दाल में सफाई करते हैं उन पर दे रहे हैं। वे साफ करें कि क्या सरकार की तरफ से सफाई नहीं हुई या और चीज है, जिसकी सफाई नहीं है?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कह रहा था, यह कहा गया कि चना, मौठ और दूसरी चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जो वसूल करने वाले हैं वे मौठ–चना और दाल सब को गिन लेते हैं सेल्स टैक्स के लिये और पूछते हैं तो कहते हैं 'पल्सेज़' में सभी चीजें आ जाती हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पल्सेज़ के बारे में अर्ज कर दूं कि उनके पास इन्स्ट्रक्शन्स जा चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि पल्सेज़ के मुतल्लिक इन्स्ट्रक्शन्स जा चुकी है तो ठीक बात है। मैं बीकानेर गया था, वहां निश्चित राय नहीं थी, मनमाने तरीके से काम चल रहा था। ठीक बात है, आपने सूचना दे दी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम टैक्स लगाते हैं, नीति के रूप में बात करते

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, शराब बन्दी की बात करते हैं; लेकिन आदेश निकलते हैं वे इस तरह के निकलते हैं कि शराब की ज्यादा से ज्यादा बिक्री करनेवाला होगा उसको ठेका मिलेगा; ठेका ही नहीं मिलेगा, बल्कि कमीशन बढ़ाया जायगा। तो यह जो बुनियादी नीति है उसके विपरीत ऐसा सरक्यूलर निकालते हैं। एक तरफ सदन में नीति निर्धारित करते हैं कि हम राजस्थान में शराबबन्दी करेंगे वहां दूसरी तरफ सक्यूर्लर इस प्रकार का निकालते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा शराब बेचेगा उसको ही ठेका मिलेगा। इससे आदमी ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रचार करेगा। इसके साथ ही यह है कि उसी को कमीशन मिलेगा, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा कमीशन लेने के लिए उस प्रकार की कोशिश करेगा। इस प्रकार का सक्यूर्लर सरकार की तरफ से निकला है। मैं समझता हूँ कि यह नीति के खिलाफ काम है और इस प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए जब कि हम एक नीति निर्धारित कर देते हैं।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक नीति निर्धारित कर देते हैं कि भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जायगा। इस मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर गंगानगर, बीकानेर जिले के अन्दर कोलायत तहसील के अन्दर केन्द्रीय सरकार ने आर्टीलरी रेंज कायम करने की योजना बनाई है और उस एरिया में मिलिट्री ऑफिसर्स घूम रहे हैं। उस एरिया में राजस्थान नहर आ रही है। इसलिए वहां के किसानों ने सोचा कि राजस्थान नहर आ रही है इससे जमीन अच्छी हो जायगी। लेकिन नतीजा क्या है, मैंने सुना है कि आर्टीलरी रेंज कोलायत तहसील में राज्य सरकार की इजाजत से, केन्द्रीय सरकार की तरफ से कायम हो रही है; वह उस एरिया में पच्चीस मील के अन्तर्गत आती है, जिसमें पचासों, सैकड़ों गांव आते हैं, जिनकी जमीन राजस्थान नहर के अन्तर्गत आने वाली है। वहां अगर रेंज कायम हो जाती है तो वह परमानेन्टली वहीं पर रहेगी और उस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो बीकानेर जिले में आर्टीलरी रेंज कायम करने का केन्द्रीय सरकार का प्रपोज़ल है, जिसको राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ क्योंकि इससे जमीन बरबाद होगी, किसान बरबाद होंगे और गांव बरबाद होंगे। जो गाय बैल आसपास की जमीन में चरते हैं उनकी बुरी हालत हो जायगी क्योंकि वहां पर मशीन-गन चलेंगी और बम्बार्डमेंट किया जायगा, आज के नये जमाने के अनुसार। इससे वहां की हालत बुरी हो जायगी, इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पॉलिसी के आधार पर बुनियादी चीज को मान्य कर लेते हैं, उस पर हम कहां तक चलते हैं। आज राष्ट्रीयकरण की बात चलती है। कुछ बसेज़ का किया, कुछ बसेज़ को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां बहुत बसेज़ चलती हैं, उदयपुर में उसका नाम नहीं है, जोधपुर डिवीजन में उसका नाम नहीं है और बीकानेर के एरिया में जो बसें चलती हैं, जहां से जोधपुर का एरिया शुरु हो जाता है वहां नेशनलाइजेशन नहीं है। हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि नेशनलाइज़ेशन उन रूट्स पर करते हैं जहां अच्छी आमदनी होगी तो राज-

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थान में एक ही पॉलिसी हो जानी चाहिए। अभी हाई कोर्ट से फैसला हो चुका है कि नेशनलाइजेशन हो सकता है। उसके अन्दर कोई रुकावट नहीं आ सकती है। वहां आपने यह भी ख्याल नहीं किया कि परमिट लेने के बाद वे दो-तीन साल के लिए रूट्स ले लेंगे और आपके सामने कानूनी दिक्कत पेश हो जायगी क्योंकि जो रूट्स नेशनलाइज़ नहीं किये हैं उनकी परमिट का टाइम खत्म हो जाता है, तो उनको नेशनलाइज करना चाहिए। आपको एक निश्चित नीति बनानी चाहिए और उस नीति के आधार पर काम होना चाहिए।

एक बात इन्डेक्स के सम्बन्ध में-मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार का चिड़ियाघर का जब बजट आया तो उसमें कहा गया कि उसका बजट बीस हजार की जगह अब पच्चीस हजार हो गया है। उसके प्रश्न की जांच की गई; जब समिति में-एस्टीमेट कमेटी में तो उसमें कहा गया कि चिडियाघर का बजट इसलिए बढ़ रहा है कि इन्डेक्स बढ़ रहा है, जो चीजें खरीदते हैं बाजार से वे मंहगी हो गई हैं, वे पच्चीस परसेंट बढ़ गई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए जो सरकार की ओर से राशन बंधा हुआ है, जो उनको देते हैं, उसका खर्चा पच्चीस परसेन्ट बढ़ जाता है क्योंकि जानवर पालने हैं, उनको राशन देना है इसलिए राशन का खर्चा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन जो पच्चीस परसेन्ट मंहगाई हो गई है उस आधार पर आप सोच कर अपने कर्मचारियों का मंहगाई-भता क्यों नहीं बढ़ाते हैं? जब आप मान्य कर लेते हैं कि चिड़ियाघर के जो जानवर हैं उनको जो राशन मिलता है उस पर आप अन्दाज लगाते हैं कि चिड़ियाघर के जानवरों को जो राशन देते है उसकी कीमत पच्चीस परसेन्ट बढ़ गई है, पच्चीस परसेन्ट और खर्चा देना पड़ेगा। जब आप इस आधार को सही मानते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि राजस्थान में पच्चीस परसेन्ट मंहगाई बढ़ गई है, इसलिए राजस्थान के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जिनको कम वेतन मिलता है, उनका भी मंहगाई-भत्ता बढ़ाना चाहिए। जब आप नीति के रुप में एक बात को मानते हैं और उसको जहां मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों का सवाल आता है वहां मान्य नहीं करते हैं, यह उचित बात नहीं है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर में आपने मेडिकल कॉलेज खोला। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था कि एक मेडिकल कॉलेज खोला। उस कॉलेज की जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक हम दूसरे कॉलेज के लिए कदम नहीं बढ़ायेंगे। आपने बीकानेर मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में यह बात कही कि वहां सारा प्रबन्ध हो जायगा। वहां पर आज थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर चल रही है। उस मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हैं, उसको आप देख लीजिये कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में किन किन चीजों की कमी है, वह पूरी होनी चाहिए। उसने कहा है कि ऑपरेशन थियेटर का एक्सटेन्शन होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र वहां पढ़ने आते हैं उनके हिसाब से जैसा ऑपरेशन थियेटर होना चाहिए वैसा नहीं है। उसमें भी आप एक्सटेन्शन नहीं कर पाते हैं। जो मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की

Page No.52

(श्री मुरलीधर व्यास)

रिपोर्ट है उस कौंसिल की रिपोर्ट के अन्तर्गत आउट डोर बनाने की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि ऑपरेशन थियेटर होना चाहिए, एक सौ पचास बैड्स फौरन बढ़ाने चाहिये। जो एक मेडिकल कॉलेज के लिये आवश्यक चीजें हैं, जिसके लिए सिफारिश की है, जिसको आप मान्य करते हैं, लेकिन वे नहीं हो रही हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक बात है, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, यह दूसरी चीज है। लेकिन जयपुर में ८० छात्र पढ़ रहे हैं, वे उदयपुर के लिए भर्ती हैं। वे पढ़ यहां रहे हैं, उदयपुर का कॉलेज बन जायगा तो वहां चले जायेंगे। इसमें मुझे एतराज नहीं है लेकिन जब जयपुर में ८० छात्रों की जगह थी तो यहां इतनी सीट्स क्यों नहीं बढ़ाई ? जहां तक छात्रों का सवाल है, हमारे यहां ज्यादा पढ़नेवाले छात्र हैं, इसलिए यहां जगह बढ़ानी चाहिए थी लेकिन वह नहीं हो पाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज बीकानेर के सम्बन्ध में जो मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिश हैं वे सिफारिशें पूरी होनी चाहिए। अगर वे पूरी नहीं होती हैं और उसके अतिरिक्त आप दूसरा काम प्रारम्भ कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय होगा।

मैं अब दो बातें और रखना चाहता हूँ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट में रख देना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। एक तो हमने नीति के रूप में अनाज के सम्बन्ध में एक पॉलिसी बनाई थी कि बंधे हुए भाव के अनुसार हम ऐसा प्रबन्ध करेंगे। इसके लिए आपने ऐसी व्यवस्था भी की थी कि हर जगह पर ऐसा प्रबन्ध हो। लेकिन उस नीति पर अमल होता नहीं है और हर चीज के भाव बढ़ते हुए चले जाते हैं। और जब भाव बढ़ जाते हैं तो बढ़े हुए भावों को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। उसमें भी हमने देखा है जो सरकार अपना अनाज वगैरह रखती है; जैसे बीकानेर में अनाज रखा जाता है, वह सड़ जाता है लेकिन वह लोगों को ठीक मौके पर नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि बाद में सड़ा हुआ अनाज उनको जबरदस्ती देते हैं और कहते हैं कि तुम खरीदो। यह बाद में कहते हैं लेकिन मौके पर नहीं देते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपका ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जो प्राथमिक आवश्यकता की चीज है, उसका हर तरीके से ठीक भाव रखने की सारे राजस्थान में सरकार की नीति के मुताबिक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए और उसका प्रबन्ध सरकार द्वारा होना चाहिए।

तीसरी एक बात हिन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार हिन्दी के बारे में एक नीति स्वीकार कर लेती है कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत सारा काम हिन्दी में शुरू हो जायगा। लेकिन आज तक आप किसी भी महकमे में चले जाइये, सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी सूचना अंग्रेजी में आती हैं। जब सरकार कोई नीति स्वीकार कर लेती है और वह कार्यान्वित नहीं होती है तो सरकार को उसे पूरा करने के लिए फौरन कदम उठाना चाहिए। मेरी राय में इसका इलाज एक ही है कि जितने भी अंग्रेजी के टाइप राइटर्स हैं उन्हें सारे ऑफिसेज़ से हटा लेना चाहिए। जब अंग्रेजी के टाइप राइटर

(श्री मुरलीधर व्यास)

हट जायेंगे तो हिन्दी के टाइप राइटर्स हो जायेंगे, तो हिन्दी में कार्य शुरू हो जायगा। मैं समझता हूं कि जब नीति के रूप में किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो चाहे जो कुछ हो उसको लागू करने का प्रयत्न होना चाहिए। अगर ऐसा प्रयत्न नहीं करते हैं तो फिर आप कितनी ही बातें करते रहें उसका असर नहीं होता है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापतिजी, जैसे कि बजट की विभिन्न मदों पर, कुछ विभागों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जा चुकी है विरोधी सदस्यों की तरफ से और सरकारी पक्ष के लोगों ने भी कई बातें रखी हैं लेकिन जिस प्रकार से इन समस्याओं पर विचार हो रहा है, मैं समझता हूं कि हम एक ही पहलू को देख रहे हैं। जैसे विकास को ले लें। राजस्थान में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रित सत्ता और विकास का जहां तक प्रश्न है यह ठीक बात है कि गांव के लोगों को भी राज-काज में कुछ अधिकार मिले हैं, ग्राम पंचायतों को भी अधिकार मिले हैं, विकास के कार्यों में अधिकार मिले हैं और राज-काज में, विकास में जनता का सहयोग लेने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां विकास की बात करते हैं वहां दूसरी तरफ मन्त्री मण्डल के हिसाब-किताब को देखें तो एक अजीब स्थिति आती है। एक तरफ सत्ता का विकेन्द्रीकरण देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि जितने मुख्य मुख्य महकमे हैं वे सब मुख्य मंत्रीजी के पास हैं। सारे मुख्य मुख्य महकमे मुख्य मंत्रीजी के पास में हैं। तो नतीजा यह होता है कि छोटे आदमी, मुख्य मंत्री के दूसरे जिम्मेदारी के कामों में लगे रहने के कारण, उन तक नहीं पहुंच पाते और मुख्य मंत्रीजी के पास निरन्तर बड़े बड़े लोग ही पहुंचते रहते हैं और उनसे फायदा उठाते रहते हैं। उसके बाद दूसरे वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं उनके पास राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और वित्त विभाग हैं। ऐसे एक, दो वरिष्ठ मंत्री नजर आते हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को तो ऐसे महकमे दे दिये। लेकिन अब जो दूसरे मंत्री बचते हैं, जो अछूत आदि जाति के सदस्य हैं, मन्त्री हैं, भील, मुसलमान आदि हैं, उनमें से किसी को आयुर्वेद दे दिया और किसी को कुछ और महकमे दे दिये। मतलब गाली खाने के लिए तो छोटी जात मंत्री और नाम कमाने के लिए बड जात बनिया, बामन आदि मंत्री। यह नीति है मंत्रिमण्डल में। मैं समझता हूं कि विद्रोह करना चाहिए डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टरों को। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्या हुआ है यह तो सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। किस तरह से जो राजस्थान की जातियां हैं उनको हड़प रहे हैं। उनको इतना ही लोभ दिया गया है कि एक पंखा मिल जायगा, कार मिल जायगी, कोठी मिल जायगी और मंत्रीजी प्रसन्न हैं। नतीजा यह होता है कि विभागों में एफीशियेन्सी नजर नहीं आती है और ऊंची जाति वाले मंत्रियों ने महकमों को हड़प कर रखा है। तो मेरा एक सुझाव तो यह है कि कम से कम जो अधिकारी विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो पहले उन्हें सत्ता का ऊपर से विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। मगर ऐसा नहीं हो रहा

(श्री रामकिशन)

है। आप देखेंगे कि बेचारे डिप्टी मिनिस्टरों के हाथ में एक भी फाइल नहीं पहुंचती है। उनको ऐसा कह दिया जाता होगा कि आपको उप-मंत्री बना दिया है। फाइल आपके पास आए या न आए इससे क्या, आप मंत्री बने रहे। लेकिन उससे क्या फायदा ? मैं यह कहूंगा कि वास्तव में इससे खर्चा ही बढ़ा है। इसलिये मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मंत्रियों की बढ़ी हुई जो संख्या आज है उसमें कमी कर दी जावे तो १० लाख की बचत हो जावेगी। इससे खर्चा तो कम होगा ही, दूसरा फायदा यह भी होगा कि वह रुपया गरीब जिलों के लोगों के लिये काम में दिया जा सकेगा। इससे मैं समझता हूँ कि काफी कार्य हो सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप उप-मंत्रियों को गरीब कैसे कहते हैं ? वे गरीब तो नहीं रहे उनको काफी पैसा मिलता है।

श्री रामकिशन : उनको काफी पैसा मिलता है, पैसों के लिहाज से वे गरीब नहीं है, लेकिन काम के लिहाज से तो गरीब ही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप मंत्रियों पर तरस खा रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मैं उन पर तरस नहीं खा रहा, मैं छोटे मंत्रियों के लिये कोशिश कर रहा हूं। तो दूसरी स्थिति विकास के कार्यों की यह है कि हमारी जो विकास योजना है उसमें बजट बिल्कुल गलत बनाये जाते हैं। जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा, अगर उसको विस्तार से मैं कहूं तो मैं समझता हूं कि १॥ घण्टा लग सकता है। सबसे पहली बात यह है कि योजना बनाने वाले नये नये तरीके अपना रहे हैं। उत्पादन में नहीं, खर्चों में। पहले एक कलेक्टर को एक सुराही और एक पंखा मिलता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कलेक्टर के दफ्तर में पंखे, सुराही के अलावा कार आदि का प्रबन्ध होता है। इसके अलावा जहां पर मंत्री लोग बैठते हैं वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से खर्चा होता है। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार के पास विकास के कार्यों के लिये पैसा नहीं है और दूसरी तरफ सरकारी मंत्रियों के लिये खस के टाटे लगाये जाते हैं और उसमें ५० हजार रुपये खर्च किये जाते हैं और यह सिर्फ दस, पांच मंत्रियों के लिये खर्च किया जाता है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि १० वर्ष तक कम से कम इस तरह के खर्च को बन्द कर देना चाहिये और इसको किसी भी पिछड़े हुए इलाके में आदिवासियों के लिये यह पैसा खर्च किया जावे तो ज्यादा लाभप्रद होगा। आप कहते हैं कि योजना के लिये हमारे पास पैसा नहीं, विकास के लिये पैसा नहीं, सड़कों के लिये पैसा नहीं और मैं आपको एक बात बताऊं कि भरतपुर जिले में पिछले ५ साल से बराबर बाढ़ आ रही है, मगर वहां पर कोई रिलीफ का कार्य नहीं होता। एक बार सिंचाई मंत्री ने वहां का दौरा किया था, मगर कोई असर, नतीजा नहीं निकला कामा तहसील को; खस के टाटे रोक कर मदद दी जानी चाहिए। आप देखेंगे कि एक तरफ तो किसान लोग जो गांवों में रात-दिन काम करते हैं किस मुसीबत से वे अपना जीवन बिताते हैं और उधर कर लेने वाले आराम से जिन्दगी बिता रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक

(श्री रामकिशन)

सरकारी पक्ष इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तब तक विकास का कार्य अधूरा हो रह जावेगा ।

इसके साथ साथ विकास की जो हमारी योजना है उसमें कार्य साइन्टिफिक तरीके से नहीं होता है । एक वर्ग मील में १२१ आदमी रहते हैं । मगर सभी जगह एकसी परिस्थिति तो नहीं हैं हमारे यहां । फिर भी हमारे विकास विभाग के सोचने और समझने का तरीका एक ही है । हमारे यहां अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां हैं; जैसे जैसलमेर में एक वर्ग मील में ७ आदमी रहते हैं और दूसरी तरफ भरतपुर में ३०० आदमी प्रति वर्ग मील में रहते हैं । भरतपुर और जैसलमेर की समस्या एक प्रकार की नहीं है । जैसलमेर की समस्या यह है कि वहां पर पानी के ज्यादा साधन पैदा करने की जरूरत है और यह देखना है कि पानी को किस तरह से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है जिससे कृषि की आमदनी बढाई जावे । लेकिन विकास विभाग के सोचने का ढंग एक ही है । होना तो यह चाहिये कि भरतपुर के लिये बिजली और उद्योगों के मामलों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जिससे उसका उत्थान हो । इसके लिये आपको सोचना होगा । आप सोचेंगे कि आपने भरतपुर पर २॥ करोड़ रुपया खर्च किया है मगर मैं यह कहूंगा कि इसका कोई साइन्टिफिक आधार नहीं है । जिस क्षेत्र से मंत्री होगा उस क्षेत्र में पैसा खर्च करने की कोशिश की जावेगी । उसके बाद उसकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की बात आएगी । दुर्भाग्य से भरतपुर से कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी क्योंकि कांग्रेस तो वहां से जीतेगी जहां के लोग जागरुक नहीं होंगे । शिक्षित और जागरूक लोग तो कांग्रेस को चुनेंगे नहीं और उसका नतीजा यह होगा कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर जहां से कांग्रेस के लोग जीत कर आये हैं कोई विकास कार्य नहीं होगा । विकास के लिये सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि खेती पर से जो बोझ है उसको हटा कर उद्योग में लिया जावे ।

मैं यह कहूंगा कि खनिज विभाग की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया । मैं यहां तक कहूंगा कि खनिज विभाग और भ्रष्टाचार पर्यायवाची बन गये हैं । इस समय खनिज विभाग फाइनेन्स मिनिस्टर के पास हैं । लेकिन मैं समझता हूँ खनिज की पूरी फाइल मेरे पास है । जगह जगह के उसमें कितने ही ऐसे केसेज़ हैं जहां प्लॉटों की बोली लगी; मगर उनको प्लॉट नहीं मिले । एक जगह मावड़ा नीम के थाने में है । एक लाख की बोली लगी, मगर वह उसको नहीं दिया गया और कोई मोहनलाल नाम के व्यक्ति जो कांग्रेस के पक्ष के होंगे उनको वह प्लॉट ४० हजार में दिया गया । राज्यपाल महोदय ने दूसरे आदमी को दिया । सुना यह जाता है कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री का उसमें साझा था । राजस्व मन्त्री के यहां चूना ४० हजार का आया उस पर कोई टैक्स नहीं लिया । इस प्रकार मकान बनाने के लिये चूना आता है, उसके टैक्स की चोरी की जाती है । मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और जब कोई कुछ कहते हैं तो कहने के बाद सुन कर थोड़ा हंस जाना, थोड़ा मुस्करा जाना, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

खनिज विभाग का यह हाल है कि एक वर्ष पहले एक जगह का ठेका दिया गया । जिस

(श्री रामकिशन)

समय ठेका दिया गया था उस समय जो प्लान दिया गया वह नकशा बाद में बदल दिया गया। मेरे पास फाइल रखी है। ऑर्डर यह हुआ कि कलर्क घर जावें। उसके बाद एक के बाद दूसरा प्लान बदलते ही जाते हैं। मैं खास तौर से खनिज विभाग की हालत के लिये निवेदन करूंगा कि इसकी हालत बहुत खराब है।

दूसरे विभागों की हालत की तरफ सोचता हूँ तो इन्डस्ट्री की हालत यह है कि जब कोटा के मन्त्री थे तो वहां पर इन्डस्ट्री लग गई और अब दूसरे मन्त्री हुए हैं तो अब वहां इन्डस्ट्री उनके यहां लग जावेगी। मगर इन्डस्ट्री को लगाने से पहले वहां मैन पावर, केपिटल, ट्रान्सपोर्ट की सुविधाएं क्या होंगी, इसके साथ साथ दूसरी चीजों की सहूलियतें क्या हो सकती हैं, इन सभी बातों पर ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ सरकारी पक्ष को पूरी तरह से विचार करना चाहिये। राजस्थान में किसी भी स्थान को क्षेत्रीय भावना से नहीं देखना चाहिये। अगर क्षेत्रीय भावना से देखा गया तो मैं यह कहूंगा कि किसी तरह से विकास नहीं हो सकेगा।

इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि यहां डॉक्टरों की कमी है। भूसावर में डिस्पेन्सरी को हटा कर हैल्थ सेन्टर बनाया। वहां पर पहले दो डॉक्टर्स थे। मगर जिस दिन से हैल्थ सेन्टर बनाया गया उस दिन से दो डॉक्टरों के बजाय एक डॉक्टर रह गया और वहां पहले नर्स थी वह भी वापिस बुलाली गई। कागजों पर वहां हैल्थ सेन्टर बनाया गया, लेकिन वहां पर डिस्पेन्सरी से भी कम सुविधा हो गई है।

सिंचाई की योजना पर बड़ी लम्बी बहस हुई। भरतपुर जिले में राजस्थान में मर्जर होने के बाद भरतपुर जिले की यह हालत है कि बराबर वहां के बांध टूट गये हैं और जितनी सिंचाई पहले होती थी वह नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बांधों की मरम्मत नहीं होकर वहां पर जमुना से नहर निकाली गई, जिसका उद्घाटन कराया गया मंत्रीजी से। वर्षा में जब ज्यादा पानी होता है तब पानी लोगों को बह कर नुकसान पहुंचाता है, बाढ़ आती है। इस प्रकार १८ हजार आदमियों की लाइफ बरबाद हो गई। यहां तो पानी निकालने की समस्या है। यहां पानी लाने की जरूरत नहीं है। जब वहां पर वर्षा ज्यादा होगी तो वह उल्टा चलेगा और लोगों को नुकसान पहुंचावेगा। इसलिए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

एक प्रश्न और है। वैसे वह विधान की सीमा और राजस्थान विधान सभा के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, पर बजट देखने से पता चलता है कि राज्यपाल पर अनाप-शनाप खर्चा होता जा रहा है। राज्यपाल पर ६ लाख रुपया सालाना खर्च होता है। नगरपालिका के एक मेहतर को ४० रुपया देते हैं और राज्यपाल पर ६ लाख रुपया खर्च होता है। १५ हजार गुना फर्क रख कर भी आप समाजवादी समाज का नाम लेते हैं! यह कैसा समाजवादी समाज है? हम लोग राज्यपाल की दावत में गये। वैसे हम इस प्रकार की दावतों का बहिष्कार करते हैं। उस दावत में देखा कि विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया गया।

(श्री रामकिशन)

निर्वाचित और सरकारी अधिकारी बुलाये गये वहां तक तो ठीक था, पर कांग्रेस के पराजित मन्त्री, कांग्रेस के भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट; ये विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं। इनको विशिष्ट मानते हैं तो दूसरी पार्टी के पदाधिकारियों को भी विशिष्ट व्यक्ति माना जाना चाहिये। विशिष्ट व्यक्तियों में जौहरी बुलाये गये, कलाकार बुलाये गये पर किसी हरिजन को, किसी मजदूर को, म्युनिसिपल कर्मचारियों के प्रतिनिधि को जिनके पैसे से मौज करते हैं उनको नहीं बुलाया गया। वे विशिष्ट व्यक्ति नहीं। मौज के मजे लेते हैं और विशिष्ट बन जाते हैं। इस प्रकार की खर्चीली प्रथा को एक दम समाप्त कर देना चाहिये। यदि इसे समाप्त नहीं किया गया तो गलत रास्ते पर यह खर्चा चलता जायगा। अनापशनाप खर्चा बढ़ता जायगा राजभवन की शोभा बढ़ाते बढ़ाते। एक महाशय ने कहा कि रूस ने इतने थोड़े समय में तरक्की की, चीन ने इतनी तरक्की की। इन देशों ने एक बात को सामने रखा था, १५ साल तक कोई ऐसी आराम की चीज को उन्होंने नहीं रखा था। यही कारण है कि उन देशों ने इतनी तरक्की की। पर हमारे यहां मानवता, त्याग, तपस्या का उपदेश किसानों और मजदूरों को, म्युनिसिपैलिटी के मेहतरों को दिया जाता है और मिनिस्टरों का, बड़े अफसरों का तो हंस हंस कर चित्र खिंचा लेना और टेलीफोन करना, यही काम रह गया है। अगर देश को जल्दी ऊंचा उठाना है तो इस तरह उपदेशों से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी होगी, आपको अपने चरित्र को ऊंचा उठाना पड़ेगा, जिससे कि जनसाधारण विकास सम्बंधी कार्यक्रमों में भाग ले सके, देश की तरक्की में योग दे सके।

अब मैं जेल विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जेल विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे मान लेते हैं कि यहां पर अपराधी रहते हैं। मुझे अफसोस है कि कुछ मन्त्रीजी यहां ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जेलें देखी नहीं हैं। हमें तो साल में दो बार जेल जाना पड़ता है ....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : आपसे ज्यादा देखी हैं।

श्री रामकिशन : १६४२ के बाद नहीं देखी।

श्री मथुरादास माथुर : कल ही देख कर आया हूँ।

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी जेल देखने जाते हैं तो आई. जी. समारोह करते हैं। मैं आपकी गबन के मामलों में जेल जाने की आशा तो नहीं करता, दूसरे मामलों में आशा करता हूँ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप दोनों ही साथ चले जाओ न ?

श्री रामकिशन : कोशिश करूंगा। वहां जेलों में स्थिति ऐसी होती है, खाना ऐसा दिया जाता है, एक दृष्टि से तो ठीक है कि हिन्दुस्तान के लोगों को खाना नहीं मिलता, इसलिये ज्यादा से ज्यादा तादाद में जेल जाना चाहिये, पर वहां पशुओं जैसा खाना मिलता है। साग के नाम पर बड़े बड़े टुकड़े रख दिये जाते हैं। यदि मन्त्री महो-

(श्री रामकिशन)

दय जेल की दो, तीन दिन रोटियां खा लें तो ....

श्री मथुरादास माथुर : ४ वर्ष तक खाई हैं।

श्री रामकिशन : पुराने समय में खाई हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उस समय से अच्छी हो गई हैं अब।

श्री रामकिशन : खराब हो गई हैं। मैं उस समय भी रहा था और इस समय में भी रहा हुआ हूं। किसी आदर्श जेल में मेरे साथ चलिये....

श्री सभापति : कोई तारीख तो तय नहीं की है ?

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी से तय कर लूंगा। तो आदर्श जेलों में भी बैरेक्स में बन्द कर दिये जाते हैं। राजनैतिक कैदी भागेंगे नहीं........

श्री भैरोंसिंह : यहां सदन में एक राजनैतिक कैदी हैं जो जेल तोड़ कर निकले हैं।

श्री रामकिशन : वह एक आदर्श काम था जिसकी तारीफ करनी चाहिये। राशन का काफी पैसा तो सुपरिन्टेन्डेन्ट ही खा जाता है। मैं खुद जेल का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका हूं, वह रखता हूँ। जेलों में सफाई में, रोशनी में सुधार हुआ है पर भोजन और व्यवहार के बारे में जेलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस पर गृह मंत्रीजी को विचार करना चाहिये। जेलों में जो डाइट दी जाती हैं इसके लिये ऐसी व्यवस्था हो कि कैदी खुद खरीद सकें। जेलों में ऐसा भ्रष्टाचार है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं समझता हूं कि जहां तक जेलों के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है उस पर गृह मन्त्रीजी विचार करेंगे।

अब पी. डब्लू. डी. का सवाल आता है। इसके मन्त्री यहां बैठे हैं इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। सड़कों की गणना कर दी जाती है कि इतनी सड़कें बन गईं, इतना पैसा खर्च किया गया। पैसा देते हैं तो सड़कें बनेंगी पर मंहगाई कितनी बढ़ी, ये कितनी मंहगी पड़ी, इसका पता है ? ठेकेदारों के कमीशन बहुत बढ़ गये हैं इस पर पाबन्दी करनी चाहिये। बजट में ५० हजार रुपया रखा जाता है तो २५ प्रतिशत हिसाब टेन्डर में जोड़ देते हैं कि ये तो इन्जीनियर लोगों के हैं। पुलिस में भ्रष्टाचार है, इन्डस्ट्रीज़ में भ्रष्टाचार है; पर पी. डब्लू. डी में जो भ्रष्टाचार है उसकी कतई कोई सीमा नहीं है। इस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये कि कौनसी प्रणाली को अपनाना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि दोनों योजनाओं में भरतपुर में कुछ भी खर्च नहीं हुआ है क्योंकि भरतपुर का कोई मन्त्री नहीं बना और अब कोई बननेवाला है नहीं........

श्री मथुरादास माथुर : आपकी महरबानी है।

श्री रामकिशन : तो भरतपुर में केवल १७ मील नई सड़क बनाई है। भरतपुर में यदि गिट्टी नहीं डलवाते तो रास्ते चल सकते थे, एक कॉन्स्टीट्यूएन्सी की १७ मील सड़क बनी। मन्त्रीजी जवाब देंगे कि सड़क बन गई पर वास्तविक स्थिति यह है कि वह सड़क बनने से पहले टूट गई है। हिन्डौन से उत्तर प्रदेश के लिये सड़क चलती है उसका जिक्र किया तो अब पत्थर डाले गये हैं। बरसात में जाने की जरूरत हो तो जा नहीं सकते, रास्ता बन्द हो जाता है। डीग की सड़क १० वर्ष हो गये अभी तक नहीं बनी। खेड़ली-नदवई राजस्थान की अच्छी मंडियां हैं और खास कर सरसों के मामले में। उनकी सड़कों का काम नहीं हुआ है। सड़कें वहां होती हैं जहां के मुख्य मन्त्री होते हैं, जहां के पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर होते हैं। अलवर के रहे तो अलवर को सड़कें बन गईं और झालावाड़ के हैं तो झालावाड़ की सड़कें बना दी जायेंगी और उदयपुर की सड़कें तो बनेंहीगी क्योंकि वहां के तो मुख्य मन्त्री हैं। तो सरकार को इन सब बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ××××

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इतने दिनों जब बजट पर बहस हुई थी तो उस बहस के दौरान में मैंने शिक्षा विभाग के बजट पर एक कटौती प्रस्ताव रखा था। उस कटौती प्रस्ताव का उत्तर देते हुए हमारे शिक्षा मन्त्रीजी ने सन्तोष प्रकट किया था कि राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा और साहित्य के प्रति जागरूक है। उन्होंने अपने सन्तोष के साथ साथ इस दिशा में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों को भी सदन के सामने रखा था। शिक्षा मंत्रीजी ने बड़े सन्तोष और प्रसन्नता के साथ सदन को बताया था कि इस बार राजस्थान के बजट में राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिये १५,०००) रु० रखा है। सभापति महोदय, जो आंकड़े बताये गये हैं वे राजस्थानी भाषा और साहित्य के प्रति शिक्षा विभाग की जो नीति है उसकी साफ तस्वीर हैं। यह रकम बताई है उससे पता चल जाता है कि शिक्षा विभाग हमारी भाषा और साहित्य के लिये कितना जागरूक है। १५ करोड़ रुपयों का शिक्षा विभाग का बजट है। हमारी भाषा और साहित्य के लिये १५ करोड़ में से केवल १५ हजार की रकम रखी गई है। यदि इस बजट का एक प्रतिशत भी रखा जाता तो १५ लाख रुपये होते, पर यह रकम रखी गई है १५ हजार, १ प्रतिशत का भी १ प्रतिशत। सभापति महोदय, मैं इसे हमारे राज्य की भाषा और साहित्य के प्रति उपेक्षा नहीं

×××× अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.60

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कहूँगी, मैं इसे अवहेलना भी नहीं कह सकती और मैं इसे तिरस्कार की संज्ञा भी नहीं दे सकती; यह तो हमारे दो करोड़ राजस्थानियों की बोली, साहित्य और भाषा की मजाक है। शिक्षा विभाग ने अपने १५ करोड़ के बजट में केवल १५ हजार रुपया राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए रखा है। यह हमारी भाषा और साहित्य की मखौल उड़ायी है। शिक्षा मंत्री यहीं हैं। मैं उन्हें हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगी कि वे इस रकम को बजट से निकाल ही लें। यहां अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है : "नीकी खिचड़ी जी ने ही डोढ़ चाढू।"

मैं केवल भाषा और साहित्य के लिए ही जिक्र नहीं कर रही हूँ। आज हमारी संस्कृति के किसी भी पहलू की ओर नजर डालें तो शिक्षा विभाग का रवैया हर जगह यही दिखाई देगा।

एक नजीर मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। जयपुर की चित्रकला एक महान् स्थान रखती है; इस राजस्थान में ही नहीं, देश के बाहर दुनिया भर में। जयपुर के रामसिंहजी ने एक आर्ट्स स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल ने अपने समय में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। यूरोप और अमेरिका से यहां के चित्रों के ऑर्डर आते थे और टूरिस्ट लोग यहां के विद्यार्थियों के बनाये हुए चित्र खरीदते थे। लेकिन आज स्कूल की क्या दशा है, वह शायद आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। इस स्कूल की अपनो बिल्डिंग नहीं है, इस स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं है। कोई बजट नहीं बँधा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि यहां की एक विशिष्ट चित्रकला है वह नष्ट हो रही है।

सभापति महोदय, एक छोटीसी नजीर दूसरी और पेश करना चाहूंगी। राजस्थान कलाकारों का घर है। यहां एक नहीं, अनेक जातियां ऐसी हैं जो पुश्तैनी तौर से कलाकार हैं। लेकिन उनकी संख्या भी कोई कम नहीं है, वे लाखों की संख्या में हैं। जब से रियासतें खत्म हुईं, रियासतों के द्वारा जो उनको संरक्षण प्राप्त था, रियासतों के साथ साथ उनका संरक्षण भी समाप्त हो गया और उन कलाकारों को मजबूर होकर अपनी लोक कला को छोड़ना पड़ रहा है और इसीलिए हमारे यहां की कला बड़ी तेजी के साथ विलीन हो रही है। एक साहित्यकार ने कहा है :

"साहित्य संगीत : कलाविहीन : ।
साक्षात्-पशु पुच्छ विषाणहीन: ।।"

सभापति महोदय, यह मैं मानती हूं और यह भी जानती हूं कि सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। उन्होंने एक संगीत नाटक एकेडेमी की स्थापना की है और टैगोर थियेटर भी बन रहा है। मैं इनकी कद्र करती हूं। साथ साथ मैं ध्यान भी खींचना चाहती हूं कि सच्ची कला वही है जो जनता के बीच से निकल कर आये। हमारी एकेडेमीज़ को यह तथ्य जान लेना चाहिये कि अगर हमें संस्कृति की इमारत बनानी है तो उधार ली हुई चीजों से इस धरती पर वह इमारत नहीं बन सकेगी। हम अपनी परम्परा की ठोस चट्टान पर इमारत लगायेंगे तब ही वह सुदृढ़ रहेगी और कायम रहेगी। सभापति महोदय, आम जनता में कला का एक श्रोत बह रहा है उसको सुखाना नहीं है, हमें तो उसका उपयोग करके आग लगाना है। अभी करीब डेढ़ वर्ष पहले यहां पर एक

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

रूरल रिक्रियेशन कमेटी की स्थापना की गई और उसका उद्देश्य यह था कि यहां की विभिन्न कलाकृतियों का संकलन किया जाय । इस कमेटी के अध्यक्ष थे श्री निरन्जननाथजी आचार्य । मैं भी इसकी एक सदस्या थी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : महान् पुरुष हैं वे तो ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की । मुझे नहीं मालूम है कि सरकार उस विषय में क्या सोच पायी है और आगे उसके क्या विचार हैं, मुझे पता नहीं है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा ध्यान माननीय सदस्या का दिलाना चाहता हूँ बजट के उस आंकड़े पर जिसका कोटेशन वह गलत दे रही हैं । उन्होंने अभी फरमाया है कि १५ हजार रुपया सिर्फ साहित्य एकेडेमी के लिये रखा है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : लाइट में आ जाय तो अच्छा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : १५ हजार के बजाय १॥ लाख है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह तो सारी एकेडेमी का बजट है और राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिये तो केवल पन्द्रह हजार रुपया रखा है और वह भी लैप्स होता है, उनको पता नहीं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी कि इस प्रकार सर्वे करना जरूरी है, विभिन्न बोलियों और विभिन्न कला का सर्वे करना आवश्यक है और विभिन्न कलाकारों का भी सर्वे कराया जाय । दूसरे विकसित देशों में इतने प्रयास इस बारे में किये हैं कि देख कर ताज्जुब होता है । ब्रिटेन में एक एक पक्षी और एक एक वनस्पति को चित्रों में उतार लिया गया है । दूसरे हमारे समाजवादी देश हैं उन्होंने अपनी भाषा में एक एक शब्द को, एक एक मुहावरे को रेकॉर्ड कर लिया है । केवल रेकॉर्ड ही नहीं किया है सभापति महोदय, उन पर प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता है, केवल स्टडी ही नहीं किया जाता है बल्कि उनको विकसित भी किया जाता है । उनका विकास करके उन देश वालों ने उन पर अपनी संस्कृति की एक बुनियाद इमारत खड़ी की है । विभिन्न राज्यों ने इसको स्वीकार किया है कि लोक कलाओं को सुदृढ़ करना, उनका विकास करना राज्य का धर्म और कर्त्तव्य हो जाता है । मैं विश्वास करती हूं कि हमारी सरकार भी इस ओर पूरा पूरा ध्यान देगी ।

अध्यक्ष महोदय, समय तेजी से बदलता जा रहा है और उतनी ही तेजी के साथ लोक कला का भी विलोप होता जा रहा है । यदि हम समय रहते नहीं चेते तो हमारा कला-रत्न खत्म हो जावेगा । हमने भूल कर दी तो आने वाली नयी पीढ़ी इस गफलत को बर्दाश्त नहीं करेगी । मैं यही कहूँगी कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सरकार इसको स्वीकार करेगी ।

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : श्री कुमारानन्द ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : सभापतिजी, मैं अभी बोलूंगा, उसमें एक ही सब्जेक्ट पर बोलूंगा । वह है लेबर । अभी थोड़ी देर में एप्रोप्रियेशन बिल पर आप सम्मति लेंगे । मैं देख रहा हूँ कि बजट में लेबर को किस तरह से इग्नोर किया गया है । राजस्थान के फाइव इयर प्लान में एक जगह पर सिर्फ, दो पेज भी पूरे नहीं, थोड़ी बहुत लाइन्स लिख दी गई हैं कि राजस्थान सरकार ने लेबर वैलफेयर के लिये क्या क्या काम किये । मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभापतिजी, राजस्थान का लेबर डिपार्टमेन्ट और राजस्थान सरकार की लेबर नीति है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूज़लैस और हिन्दी में कह सकते हैं निकम्मी । जो लेबर इन्सपेक्टर और ऑफिसर्स हैं कहीं से पास करके आये हों, चाहे कलकत्ता युनिवर्सिटी से या फौरिन कन्ट्रीज़ से डिग्री लेकर आये हों लेबर के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है ।

लेबर मिनिस्टर जो यहां बैठे हैं उनके लिये भी कह सकता हूं कि मजदूरों की नीति के बारे में भी उनको ज्ञान नहीं । आज जो मजदूरों की हालत है राजस्थान के मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है । राजस्थान में मजदूरों की संख्या एक लाख से भी ऊपर है । साठ हजार के करीब मिनरल माइन्स में काम करने वाले मजदूर हैं, चालीस हजार के करीब वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक में काम करने वाले हैं । जिनिंग फैक्टरीज़, और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें से भी एक लाख से ऊपर मजदूर काम करने वाले हैं । लेकिन सरकार की जो नीति है वह मजदूरों को परेशान करने की ही नीति है, उनका विकास करने की नीति नहीं है । जब कभी भी सरकार या मजदूर या मालिक या किसी कारखाने के मजदूर हड़ताल करना चाहते हैं किसी मांग को लेकर तो सरकार उनकी गोली से या डंडे से खबर लेती है । जो मजदूर भूखा रहता है वह तो भूखा रहेगा, लेकिन मिल मालिक की सहायता सरकार करेगी । उस पर सरकार की कृपा रहती है । हमने इस बात का अनुभव किया है, जब मजदूरों पर मिल मालिकों द्वारा जुल्म होते हैं सरकार मिल मालिकों की सहायता करती है या चुप रहती है, कुछ कहती नहीं । सरकार का लेबर डिपार्टमेंट, लेबर इन्सपेक्टर कुछ कर नहीं सकता । हमारा लेबर लॉ ही इस प्रकार का बना हुआ है; लेबर इन्सपेक्टर, लेबर ऑफिसर को कोई पॉवर नहीं है । वे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. । हमारे पास पावर नहीं है सिवाय रिपोर्ट करने के; और कुछ नहीं कर सकते । जब कभी मजदूर हड़ताल करना चाहते हैं तो उन पर लाठी, डंडा और गोली चलायी जाती है लेकिन जब मजदूर भूखा रहता है तो उसकी खबर तक नहीं ली जाती । They are bent upon repression. सारे राजस्थान में इन्डेक्स सिस्टम-कोस्ट ऑफ इन्डेक्स के अनुसार पे नहीं देते हैं । एक भी जगह आपने इस कोस्ट ऑफ इन्डेक्स के अनुसार पे देने का सोचा नहीं । इसलिये मैं कहता हूं कि कम से कम यह नीति तो आपको बदलनी चाहिये । मैं

(श्री कुमारानन्द)

पूछना चाहता हूं लेबर मिनिस्टर महोदय से कि जब हमारे मजदूर अपनी मांगों के लिये लड़ते हैं, उनको हर तरह से सजा मिलती है और जो मिल मालिक वह कानून को तोड़ता है, जो सरकार के कानूनों की परवाह नहीं करता, जिसके खिलाफ सरकार की तरफ से डिक्रिया जारी हैं। विजयनगर मिल मालिक के ऊपर अलग अलग केसेज़ में ६ लाख रुपये की डिक्री हुई है। हाई कोर्ट का डिक्री का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें मजदूरों के काफी रुपये बाकी हैं उसके लिये भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेबर यूनियन इस मिल को चलाने के लिये तैयार है, नहीं तो सरकार को चलाना चाहिये। न तो सरकार उसके खिलाफ केस चलाती है। मजदूर क्या कर सकते हैं, यह बात जो सोचते हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूं–राजनैतिक अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि आज आप यदि मजदूरों को इग्नोर करके चलते तो हैं 'dance at Brindrabun was not complete without death dance of Kurukshetra.' इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले इन्डस्ट्रीज़ पर हुई बहस के समय कहा था, आपकी जो यह पॉलिसी है वह क्लास केरेक्टर मोनोपोलिस्ट है। सोशलिज्म का नाम ले करके आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं। गरीबों की हत्या, मजदूरों का विरोध; यही आपकी नीति है। मैंने १६०५ से अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया है। तभी से मैं देख रहा हूँ जो कोई भी सरकार रही है हमेशा उसकी मजदूर विरोधी नीति रही है। आज भी हम देखते हैं कि सरकार एक पार्टी को प्रोत्साहन देती है। जो कांग्रेस का बनाया हुआ इन्टक है उसी के मजदूरों को प्रोत्साहन देती है। दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनकी परवाह नहीं की जाती। दूसरी पार्टी की युनियनों को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। ब्यावर, भीलवाड़ा, गंगानगर, भरतपुर आदि में आपको यह देखने को मिल सकता है। वहां की जो भी यूनियनें हैं उनको सरकार ने दबाया है। भरतपुर वेगन फैक्टरी में हड़ताल हुई। लेकिन सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उससे वह सफल नहीं हो सकी। सरकार देखती है मिल मालिक को फायदा नहीं है तो वैसी हालत में आई० एन० टी. सी. को सपोर्ट करते हैं। यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो बृजसुन्दरजी बैठे हैं जो उसके चेयरमैन हैं, उनसे पूछा जा सकता है।

यहां की बॉल बियरिंग फैक्टरी के लिए मुख्य मंत्री महोदय को मध्यस्थ बनाया था, बोनस के बारे में तय करने के लिए। बृजसुन्दरजी खुद जानते हैं इस बारे में, कुछ भी तय नहीं हुआ। इस तरह से जो सरकार की लेबर नीति है वह खतरनाक लेबर नीति है। सभापतिजी, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दस सालों में हमारा राजस्थान बहुत बड़ा इन्डस्ट्रियल सेन्टर बन सकता है और बनेगा। हालांकि हमारा राजस्थान इन्डस्ट्रियल सेन्टर नहीं है यहां तो किसान लोग ज्यादा हैं, फिर भी आने वाले सालों में मजदूरों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां दस मिलें खुलेंगी और भी कारखाने खोले जायेंगे। तो मजदूरों के प्रोब्लम दिन प्रति दिन बढ़ेंगी। इसलिये हमें अभी से सावधान होना चाहिये और जो लेबर लॉज़ हैं उनमें

(श्री कुमारानन्द)

उसी के अनुसार परिवर्तन करने चाहिये । इस पर ज्यादा न कहते हुए मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसको वे छोड़ें ।

सभापति महोदय, हम आज–कल आम लोगों में चर्चा सुनते हैं । जहां मिल मालिकों को सरकार फेवर करती है उसके ये मायने हैं कि वे लोग कांग्रेस को पैसा देते हैं, चन्दे के रूप में पैसा देते हैं, इसलिये उनके खिलाफ वे कुछ कहते नहीं हैं ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ; 'May day' के बारे में । सारे इन्डिया में 'May day' मनाया जाता है । मेरा ऐसा विचार है, अगर हमारे गृह मंत्री महोदय और सब की राय हो तो हम भी अपने यहां 'May day' की छुट्टी रखें........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मजदूर विरोधियों से क्या आप यह आशा करते हैं ?

श्री कुमारानन्द : मजदूर विरोधियों के दल में भी मजदूर रहते हैं । इन्टक के मजदूरों की भी यही मांग है । बहुत सी जगहों पर 'May day' उनकी तरफ से भी मनाया जाता है ।

एक बात और कहना चाहता हूँ; वह लेबर के मामले में तो नहीं है, उसका सम्बन्ध पुराने रिवोल्यूशन से है–मदनलाल धींगरा । सभापतिजी, इस बारे में मैंने प्रस्ताव भी भेजा था किन्तु उसको बैलट में स्थान नहीं मिला ।

(८. ० म. प.)

मदनलाल धींगरा ने राजस्थान के भूतपूर्व ए. जी. जी. कर्जन वायली पर गोली चलाई थी । इंगलैंड में चलाई थी, राजस्थान में नहीं । यह अन्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया बाद में और वह पहला आदमी था जो गिरफ्तार कराने को था हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारियों को । तो हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारियों ने जिनमें वासुदेव भट्टाचार्य, मृत्युन्जय बनर्जी और कुन्जबिहारी बैनर्जी, इन तीनों से पहले मारा था, डंडों से मारा था । तीनों को छः छः महीने की सजा हुई । इसके बाद मदनलाल धींगरा ने उस ए. जी. जी. को गोली से मारा था । उस वक्त वह अन्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ।

तो उसका एक स्मारक अजमेर में है । आप ताज्जुब करेंगे कि उसका स्मारक अजमेर में क्यों बनाया ! जब वह वहां से रिटायर्ड होकर इंगलैंड गया तो नहीं बनाया । जब मदनलाल धींगरा ने उसे शूट करके मारा था तो उसके बाद उसका स्मारक बनाया उसको ग्लोरी देने के लिए । कितनी शर्म की बात है कि ऐसे आदमी का स्मारक रहे और वह भी स्वतन्त्र हिन्दुस्तान की छाती पर । हमने इस पर एक प्रस्ताव रखा था कि उसका तो स्मारक वहां से हटाया जाना चाहिये और उसकी जगह मदनलाल धींगरा का स्मारक वहां रखना चाहिए । मदनलाल धींगरा एक बहुत उत्साही युवक था । इन्जीनियर बनने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए वह इंगलैंड गया था । मेरा भी वह पुराना मित्र था । राजस्थान में भी बहुत से बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी पैदा हुए

(श्री कुमारानन्द)

है। नहीं हुए हों, यह बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो आज एप्रोप्रियेशन बिल पर मोहर लगाई जा रही है। तो मैं आज अपने मन्त्रीजी से अपील करता हूं, नजर पड़ गई हमारे राजा साहब पर, लाइट के लिये। हमारे ब्यावर जितनी ऊंची रेट तो बिजली की कहीं है ही नहीं। मजदूर तो क्या लाइट रख सकता है, पैसे वालों को भी लेने में मुश्किल पड़ती है। तो जितनी जल्दी लाइट वहां चम्बल की आवे उतनी अच्छी है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

सदन के समय में वृद्धि करने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री सभापति : Order please! माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। यह श्री मानिकचन्द सुराणा की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है।

"I request that the time of the House may kindly be extended with the permission of the house by an hour, so as to give members time to speak on very important matters."

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : It was the decision of the House to meet today, even though it was Sunday from 4 to 9 P. M. and Hon'ble Members have already taken much time.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, एक घंटे का समय बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विरोधी दल के चार-पांच सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं तो इतने समय में वे अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यह आप कर सकते हैं कि समय नियत कर दें, दस-दस मिनट का समय भी दे सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ऐसा है, इस विषय पर सबके विचार भी यही हैं कि सुनना चाहिये इनको, इसमें दो राय नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : So far as extending of time is concerned it is already late. The Government has also to reply, and we will require at least one hour.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Most of the important matters are still remaining and it is essential to bring those matters to the notice of the Government.

श्री कुमारानन्द : ऐसा है, ६ बजे तक बोलने दीजिये, बाद में जवाब दे, दें। १० बजे तक टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : It was agreed by the House that we would meet from 4 to 9 P. M. If the members want a reply to their queries, please give us one hour. So far as this side is concerned, we don't agree to the extension of time.

श्री सभापति : I don't feel that sense of the House is for extension of the time. So I am sorry. The Government reply is to begin.

श्री मानिकचन्द सुराणा : Then let there be a vote on it, Sir. There are members on the Treasury Benches also who would like to speak.

श्री सभापति : हर प्रश्न जो सदन में उठाया जावे, उस पर वोट लिया जाना आवश्यक नहीं है। आसन सदन का सेंस देख सकता है और जहां तक मैं सदन का सेंस देख पाया हूँ वह यह है कि सदन का समय नहीं बढ़ाया जावे। यह सही है कि कुछ माननीय सदस्य समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वह मांग रीज़नेबल भी हो सकती है, पर उसके लिए वोट लिया जाना आवश्यक नहीं है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : वोट न लें, पर भावनाओं को तो देखें साहब।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (श्री निरंजननाथ आचार्य की ओर देखते हुए) आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): It has been the practice of the House that so far as extension of time is concerned, the Chair decides it after taking the sense of the House. The Chair has given an observation and we should abide by it.

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२

(पूर्व-क्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सभापति : yes, सरकार की ओर से उत्तर।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : चेयरमैन महोदय, जनसंघ के नेता ने अपने भाषण में दो-तीन बातें बताई। उन पर यहां पर कुछ कहना उचित होगा। जनसंघ के नेता ने अपने भाषण में यह कहा, उनको यह महसूस होने लगा है कि किसी वजह से, कि राजस्थान सरकार की नीति ऐसी है कि जिसके खिलाफ इस सदन में कुछ कहा जावे, उसको सरकार जो है, गौर नहीं करती है, लेकिन उसका प्रोमोशन कर देती है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा जनरल और स्वीपिंग रिमार्क जनसंघ के नेता ने दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सरकार की नीति यह नहीं रही है। अगर कोई भी विषय जिसमें कोई भी सदन का मेम्बर यह आपत्ति उठाये और बताये कि किसी भी कर्मचारी ने कोई ऐसी बात की है, जिसकी इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट होनी चाहिये, तो मैं समझता हूं कि सरकार चाहे वह आगे की हो या पिछली, हमेशा जागरूक रहती है और उचित कार्यवाही करने के लिये कोशिश करेगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of information, Sir, जैसा आपने फरमाया अवश्य इन्क्वायरी करने की तत्परता दिखावेंगे, इससे मेरा मतभेद है क्योंकि इस सम्बन्ध में एक ज्वलन्त उदाहरण....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of information...

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : One point is already pending before the House, Sir.

Page No.67

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am eliciting some information.

श्री हरिश्चन्द : जनसंघ के नेता ने दो बातें सदन के सामने रखीं; एक नेशनल बुक बाइन्डिंग की बात, दूसरी बात जो है वह कागज जो अभी खरीदा गया है और जिसका थोड़ा बहुत लेखा पेपरों में भी निकलता है; उसके बारे में उन्होंने बताया । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात हुई है तो कोई कमी नहीं की जावेगी इस बात की कि उसके अगेन्स्ट जांच न हो । लेकिन मैं उनसे निवेदन यह करूंगा कि क्योंकि वे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक स्वीपिंग रिमार्क या सेंशनेलिज़्म की तरफ न जावें वे । यहां पर इस सदन में अगर कोई इस तरह का फैक्ट रखें या मुझे बतावें कि जिससे यह साबित हो सके कि किस कर्मचारी के खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने की जरूरत पड़ती है तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह किया जावेगा । लेकिन यहां पर यह कह देना कि कागज खरीदा गया और उसमें घोटाला है और इस वास्ते एक इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट को जावे, मैं समझता हूं उचित नहीं है । इस वास्ते मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये, माफ करें मुझे बीच में बोलने के लिये, बता दूं कि वे जो यह कहते हैं कि भरोसा नहीं स्वीपिंग रिमार्क है, तो मैं बता दूं कि एक मजिस्ट्रेट ने जजमेन्ट लिखा है और मेरे पास उसको सर्टीफाइड कॉपी तो नहीं है, पर ऑथोरिटी से कह सकता हूं कि वह ट्रू कॉपी है । वह सब बात साफ बता देगी । अगर वे चाहें तो मैं उसे सदन की मेज पर रख सकता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या मन्त्री महोदय को आज से पूर्व इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He can go in the Chamber, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इससे पूर्व कोई ऐसी जानकारी मन्त्री महोदय को नहीं थी कि उन्हीं डाइरेक्टर के खिलाफ ५२ पेज की एक रिपोर्ट पेश की हुई है और साथ ही साथ एन्टीकरप्शन विभाग ने उनके खिलाफ १३ चार्जेज़ फ्रेम करके दिये हैं जो सब शिवहरे के खिलाफ हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है, पर मेरे पास इस तरह की जानकारी नहीं है । अगर कोई ऐसी बात है जिससे कि आप लोग यह महसूस करते हैं कि कुछ बात सत्य है और मैं भी देखूंगा; अगर उचित कार्यवाही करने की जरुरत पड़ेगी तो अवश्य की जावेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपके पास भी तो ये रिपोर्ट्स आती होंगी । उसमें पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की, एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट्स भी मन्त्री पढ़ते होंगे ।

श्री सभापति : कौनसी रिपोर्ट और किस विभाग के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो मन्त्री महोदय ने फरमाया है उसके सम्बन्ध में ।

श्री हरिश्चन्द्र : आप जिसके बारे में फरमा रहे हैं, वह कह दें।

श्री सभापति : आप भी जनरल बात फरमा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : तो ऐसी अगर कोई बात होगी तो उचित कार्यवाही की जावेगी।

ट्रान्सपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों ने कई आपत्तियां उठाई। यह कहा गया कि इस तरह का वहां पर कोई ग्रुप बना दिया गया है जो कि चोरियां करता है और अगर इसकी इन्क्वायरी की जावे तो सारी बातें साफ हो जावेंगी, मैं अगर इन्क्वायरी कराऊं तो माननीय सदस्य कुछ मुझे बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जरूर बतावेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं हमेशा ओपन माइन्ड लेकर चलता हूं और अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है तो आप मुझे बतावें। इसके लिए जो भी जरूरी कार्यवाही करने की होगी, की जावेगी।

पी. डब्ल्यू. डी. के बारे म भरतपुर के माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि भरतपुर में कोई रुपया सड़क पर खर्च नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इन दो सालों में जितना पैसा भरतपुर में खर्च हुआ है सड़कों पर, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उतना नहीं हुआ है और आप खुद भी अगर वहां घूम कर देखें तो सड़कों की जो हालत वहां पहले थी उसमें और आज जो सड़कों की हालत वहां है उसमें बड़ा अन्तर पावेंगे और यह खुद मैंने भी दौरे में देखा है। तो यह शिकायत उनकी किसी एक सड़क के बारे में हो सकती है। अगर ऐसा है तो वे बतावें, वह कौनसी सड़क है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसको अवश्य लिया जावेगा।

अन्त में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि न तो सरकार की ऐसी मर्जी रही है, न रहेगी कि किसी ऐसी बात को जो यहां हमारे सामने आती है या सदन में आती है उसको छिपाया जावे और उस पर एक्शन नहीं लिया जावे। पर ऐसे स्वीपिंग रिमार्क भी करना........

श्री भैरोंसिंह : यह स्वीपिंग रिमार्क नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहूंगा कि ये स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं हैं। समय के अभाव के कारण मैं उसकी डिटेल यहां सदन में नहीं रख पाया तो यह मेरी गलती नहीं है। मैं आपको एन्टीकरप्शन विभाग के आई. जी. पी. और मजिस्ट्रेट की और आपके डिपार्टमेन्ट की जो रिपोर्ट है उनकी तो एब्स्ट्रेक्ट है, बाकी कम्पलीट है, वह आपको बता सकता हूं। आप उनको देख सकते हैं। मैं उनको सदन के सामने रख सकता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप मुझे लिखित रूप में दे दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वे अलग से लिख कर लेना चाहेंगे तो मैं नहीं दूंगा। मैं सदन में कही हुई बात को जिम्मेदारी से कही हुई समझता हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र : सदन में आपने कोई फैक्ट्स नहीं रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : रखे हैं वे सभी फैक्ट्स।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो रिपोर्ट्स यहां रखी गई हैं। The reports have already been referred to, Mr. Chairman.

श्री सभापति : But why do you enter into a dispute when the Hon'ble Minister has given an assurance that he would take action ?

श्री हरिश्चन्द्र : I don't think any point has been left out. I have given an assurance that I will look into the matter.

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बाकी के रूटों का कब राष्ट्रीयकरण होगा, इसके बारे में क्या नीति है सरकार की ?

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि यहां एक माननीय सदस्य ने अटोर्नी जनरल की ओपीनियन के बारे में सदन के सामने अपनी बात पेश की। मैं मानता हूं कि ऐसी ओपीनियन एटोर्नी जनरल की आई है और यह मसला जेरेगौर है। इस पर गवर्नमेन्ट जल्दी ही फैसला करनेवाली है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कॉन्स्टीट्यूशन का वायोलेशन कब तक होता रहेगा फिर ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह सवाल पैदा नहीं होता। ओपीनियन में और वर्डिक्ट में फर्क है। अटोर्नी जनरल की ओपीनियन की हम सब रेस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिये पर यह सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, यह भी ध्यान में रखना चाहिये। यह केवल अटोर्नी जनरल की ओपीनियन है और इसकी भी हम इज्जत करते हैं और इसके मुताबिक करना चाहते हैं। इसलिये....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सुप्रीम कोर्ट किसको जाना चाहिये इसके बाद ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैं तो वर्डिक्ट और ओपीनियन में अन्तर बता रहा हूँ।

अस्पताल और डॉक्टरों के बारे में भी जिक्र आया, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के बारे में भी जिक्र आया। मैं अर्ज कर दूं कि आज मेडिकल की पोज़ीशन यह है कि करीब करीब ५०० डॉक्टरों की कमी है। यह कमी तीसरी योजना के खत्म होने तक रहेगी। ऐसी हालत में आज जहां मुमकिन होता है डॉक्टर भेजने की कोशिश की जाती है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में, एक मेरे दोस्त ने कहा, कि पहले दो डॉक्टर्स थे, अब सिर्फ एक ही है। मैं अर्ज करूं कि हमारी तरफ से कोशिश यह हो रही है कि जहां एक भी हैल्थ सेन्टर नहीं है वहां एक खोला जाय और वहां एक डॉक्टर भेजा जाय और चूंकि डॉक्टरों की कमी है तो जहां दो हैं वहां से एक इधर भेजा जाय ताकि सब को समान लाभ मिले। यही नहीं, बल्कि कोशिश यह भी की जा रही है कि जिनमें हमें डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं और इस वजह से उसे बन्द करने या कम करने की नौबत आ रही है तो वहां पर फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर्स भेज कर भी उसे कायम रखा जाय या खोला जाय ताकि लोगों की कुछ मदद की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं साथ ही यह यकीन दिलाऊं कि यह कोई परमानेन्ट

(श्री बरकतुल्लाखां)

पिक्चर नहीं है। यह टेम्पोरेरी अरेन्जमेन्ट है और चूंकि डॉक्टरों की हमारे पास कमी है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे ही डॉक्टरों की कमी पूरी हो जावेगी तो इसे प्लान फ्रेम के अनुसार कर देंगे।

सदन के अॉपोज़ीशन के नेता ने डूंगरपुर के अस्पताल का जिक्र किया और यह जो उन्होंने लेडी डॉक्टर के बारे में फरमाया, सही फरमाया। मुश्किल हमारी यह है कि जहां डॉक्टरों की कमी है वहां लैडी डॉक्टरों की और ज्यादा कमी है। यही नहीं, बल्कि पोज़ीशन यह है कि अगर किसी डॉक्टर को समझा कर किसी ऐसी जगह भेजा जावे कि जहां वह दिक्कतें महसूस करता हो तो डॉक्टर तो फिर भी मान जाते हैं पर लैडी डॉक्टर तो, अगर उनको ज्यादा मजबूर किया जावे वहां जाने के लिए तो ऐसे वाकये भी आये हैं बाज वक्त कि वे इस्तीफा भी दे देती हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनकी सेफ्टी नहीं है इसलिये ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : डूंगरपुर में ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय सभापति महोदय, महारावल साहब ने यह भी फरमाया कि डूंगरपुर अस्पताल की तरक्की नहीं हुई। मैं अर्ज करूं कि तरक्की हुई है। वहां टी. बी. के और आइसोलेशन के वार्ड बने हैं। पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी बनी है और अस्पताल के पास की जमीन इसलिये रिज़र्व करके रखी गई है कि आगे जब एक्सटेन्शन हो तो जमीन अवेलेबल हो जावे।

इससे पहले जब स्टेटों का इन्टीग्रेशन नहीं हुआ था तब मेडिकल फेसिलिटी डूंगरपुर स्टेट में सिर्फ डूंगरपुर और सागवाड़ा में अवेलेबल थी। पर अब गलियाकोट में भी है, सीमलवाड़ा में भी अवेलेबल है, बांसवाड़ा, भीखपुर, डामडा और जसमाल में भी है और कुछ जगहों पर और है। तो पहले रियासतों का अपना एक पैटर्न होता था। सिर्फ केपिटल में एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया जाय, बाकी जगह कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उस पैटर्न से हमने काफी अधिक किया है। हमने यह रखा है कि जहां बड़ा अस्पताल है वहां बड़ा रहने दिया जावे, पर इसके साथ साथ देहात के लोगों को फायदा पहुंचे इसलिए आसपास में मेडिकल फेसिलिटी भी दी जाती है तथा और और भी अधिक दी जावे, इसकी कोशिश की जा रही है।

जहां तक इसे 'बी' क्लास बनाने का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूं कि उदयपुर से इसको किसी जमाने में कम्पेयर किया जा सकता होगा। पर इसके बाद उदयपुर फोर्मर राजस्थान का केपिटल बना और उसके बाद डिवीज़नल हैड क्वार्टर बना और इस दर्मियान इस अस्पताल की तरक्की हुई और जब इसकी तरक्की होती है तो और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। मसलन बीमार कितने वहां आते हैं, कितनी जरूरत वहां है। तो ओवर ऑल एक पैटर्न इस पर बेस्ट होता है और उसके मुताबिक किया जाता है। तो डूंगरपुर में भी उसी पैटर्न के मुताबिक किया जा रहा है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि डूंगरपुर के साथ जो बुरे बर्ताव

(श्री बरकतुल्लाखां)

की बात कही जाती है, वह ठीक नहीं है। उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। हमारा जो रेशनलाइज़ेशन पैटर्न है उसके मुताबिक किया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : When will the temporary doctors get their pay ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय सभापति, मैं अहसानमन्द हूं मेरे दोस्त का कि इस तरफ ध्यान दिलाया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चूंकि रूल्स अभी बन रहे हैं चाहे आप कुछ भी कहें। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त की कि वे जाकर चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन से रूल्स के बारे में बात करें। इसके अलावा कोशिश यह हो रही है कि जल्दी ही रूल्स बनें। रूल्स नहीं होने पर जो प्रमोशन दिये जाते हैं तो उसके लिए ६ महीने तक का प्रमोशन दिया जा सकता है। ६ महीने के बाद रूल्स नहीं होते हैं तो तनख्वाह रुकने लगती है। इसलिए फिर पीसमील तरीके से ६ महीने का एक्सटेन्शन दिया जाता है। तो मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपनी तरफ से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये रूल्स बन जायं, पब्लिक सर्विस कमीशन की ओपीनियन लेकर पहले से कोशिश करके जिस कदर भी चल सकें तो रूल्स बन जायं, सीनियोरिटी फिक्स की जाय ताकि तनख्वाह मिलने में दिक्कत नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि ६-७ महीने में रूल्स बन जायेंगे और अपनी तरफ से फिक्सेशन की कार्यवाही शुरू हो जायगी।

श्री भीखाभाई (वन एवं आयुर्वेद मंत्री) सभापति महोदय, दौराने बहस यहां पर जंगलात और आयुर्वेद के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गये। जंगलात के बारे में आसपुर से आने-वाले माननीय सदस्य और स्वतन्त्र दल के नेता ने बहुत सी बातें जब गवर्नर साहब का भाषण हुआ था उस समय भी कही थी और अब भी आज उन्होंने कहीं। पहले उन्होंने कहा था कि जंगलात जो हैं राष्ट्र की संपत्ति है। हम सब लोग भी मानते हैं, सभापति महोदय, कि जंगल जो हैं राष्ट्र की संपत्ति हैं। लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं कि उस जमाने में जो कि पुराना जमाना था, एकीकरण के पहले की बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस जमाने में क्या जंगल राष्ट्र की सम्पत्ति थे या व्यक्तिगत संपत्ति थे क्या जंगल की सुरक्षा अगर होती थी तो शिकार के लिए होती थी ? क्या जंगल की सुरक्षा शेर के लिए हुआ करती थी ? इन प्रश्नों का अगर जवाब मिल जाता तो मुझे बड़ी सुविधा होती कि मैं इनका जवाब दे सकता था। मैं उन रियासती कानूनों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन कानूनों को अगर देखा जाय, सभापति महोदय, तो उनमें यह बात लगती है कि इस चीज को देखते हुए आज जनतन्त्र के युग में हम लोग इधर-उधर जाते हैं........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप अपनी सरकार का जवाब दें, पहले वाले जमाने को छोड़ दें।

श्री भीखाभाई : उस वक्त जो बातें हुआ करती थी कि एक इन्सान तो क्या अगर एक पशु भी जंगल के अन्दर चला जाता था तो पशु का चालान नहीं होता था, आदमी का

(श्री भीखाभाई)

चालान होता था। जो आदिवासी है वह सागवान के पेड़ को तोड़ नहीं सकता था और आप कहते हैं कि किसी को रोक नहीं होती थी। यह कानून था उस कानून को पढ़ कर सुनाता हूं।

"डूंगरपुर रखत नं० १ शिकारगाह में वे जंगल हैं जिनमें हर किस्म की कटाई की मुमानियत होगी और वक्तन फवक्तन रखत नं० २ लागू की जा सकेगी।"

सभापति महोदय, उस जमाने की बात के साथ आज की बात का मुकाबला करें तो कुछ नहीं होगा। वह मेल नहीं बैठेगा। उन्होंने-स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने यह एक बात और कही थी। उन्होंने एक बात कही थी कि आसपुर के अन्दर एक आदमी मर गया और उसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। आसपुर में जंगल ही कहां है कोटड़ा के जंगलों को छोड़ कर? वहां पर मैं बता दूं कि नामुमकिन बात है कि एक आदिवासी मरे और जलाने के लिये लकड़ी नहीं हो। आदिवासियों में यह रिवाज है कि वे अपनी लकड़ी लाते हैं जलाने के लिये। कहीं पर मृत्यु हो जाती है तो समाचार पाते ही दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी काटकर लाते हैं और जलाने की व्यवस्था करते हैं........

श्री भैरोंसिंह : कानून तोड़ कर लाते हैं?

श्री भीखाभाई : कानून तोड़कर लाते हैं, यह मैंने नहीं कहा। जो कुछ भी लकडी होती है जिसको सूखी डाल कहते हैं उसको लाते हैं। कानून तोड़ने का प्रश्न नहीं है, आज भी कानून तोड़ने का प्रश्न नहीं है। आदिवासियों के लिए लकड़ी मौजूद है, सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तकलीफ की होती विज्ञप्ति को देखने की जो कि ४० में जारी हुई है, ५१ में जो जारी हुई है, ५२ में जो हुई है, ५५ में जो जारी हुई है जिनमें जो आदिवासियों को रियायतें दी हुई हैं। तो उनको मानना पड़ेगा और अगर वे चाहें तो चेम्बर में बैठ कर बात करें तो मैं उनको कन्विन्स करा सकता हूं कि आदिवासियों को जो रियायतें मिल रही हैं वे किसी भी पुराने राज्य के वक्त से कम नहीं हैं। यह बात मैं स्पष्ट कर सकता हूँ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इसी बात में आपको संतोष है कि जार राजाओं के जमाने में नहीं मिलता था उससे कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गये हैं। यही कह कर सरकार हर मामले में अपनी बचत करे तो क्या यह बात सही है?

श्री भीखाभाई : वह दूसरी बात है कि हमको संतोष क्या है। हमें आगे बढ़ना है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रोटेक्टेड जंगल हैं या रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स हैं उनमें सड़कें बनाना चाहते हैं। वहां पर बढ़िया सड़कें बनें ताकि लोग वहां पर जा सकें। उस पर भी अधिकार देना चाहते हैं। साथ ही साथ जो रियायतें मिली हुई हैं....

श्री भैरोंसिंह : क्या आपके रुल्स में यह व्यवस्था है कि कोई आदमी मर जाय तो सरकारी जंगल में से बिना परमिट, बिना लाइसेन्स, बिना नियम के लकड़ी काट कर ले आये?

श्री भीखाभाई : मैंने यह नहीं कहा लकड़ी लाने का। वैसे आदिवासी को सूखी लकड़ी का सिर–भार लाने का अधिकार है और वह लाता है। लेकिन मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मरने वाले को लकड़ी नहीं मिली वह ठीक नहीं है।

(श्री जावन्दसिंह खड़े हुए)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई आदिवासी मर जाता है तो मरने के पहले घर में लकड़ी रखता है। आदिवासी अपने घर में लकड़ी का ढेर कर रखता है, जंगल से लाकर रखता है।....

श्री भैरोंसिंह : मरने के इन्तजार में लाकर रखता है कि वह मरने वाला है, इसलिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने नहीं कहा। वह अपने घर में लाकर रिज़र्व रखता है। वे जंगल के रहने वाले आदमी हैं, वे लकड़ी रखते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की बात जो कही गई वह निरर्थक और निर्मूल है। आमतौर पर लकड़ी की आज आदिवासी को सुविधा पूरी होती है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं पानरवा के बारे में....

(श्री जावन्दसिंह पुनः खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : राजस्थान में लकड़ी की कमी है या वह ज्यादा है ?

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था....

(घंटी)

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : १४, १० मील तक तहसील में जाकर मन्जूरी लायें तो लकड़ी मिले। इतनी दिक्कत है कि २–२, ३–३ रोज तक मुर्दे पड़े रहते हैं।

श्री भीखाभाई : गंगानगर की बात आप कहते हैं तो गंगानगर में जंगल नहीं हैं।

श्री जावन्दसिंह : आप जांच करवा लें कि सही है या नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके यहां पर जंगल हैं इसलिए आप काट कर काम कर लेते हैं, मगर वहां पर नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : I don't want these frequent interruptions.

श्री सभापति : Then why do you sit down? Go on.

श्री भीखाभाई : पानरवा के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आप भी खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे भी खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमारे दूसरे माननीय सदस्य जो पी. एस. पी. के नेता हैं अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरे ख्याल से जो पुराने सदस्य हैं इस सदन के वे सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं पानरवा के बारे में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पानरवा के केस में जब उनको रोक दिया कि लकड़ी नहीं काट सकते तब जाकर कोर्ट के अन्दर, डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जजी के अन्दर दावा किया तो दावे का फ़ैसला उसके हक में हुआ। जब दावे का

(श्री भीखाभाई)

फैसला उसके हक में हुआ तो हमने अपील दायर की। अपील दायर करने पर एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेंट की राय यह आई कि आपस में आउटसाइड दी कोर्ट कम्प्रोमाइज़ करना चाहिये और उसके अनुसार कम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। तो इसमें यह बात है क्योंकि माननीय सदस्य जो आसपुर से आये हैं और जो हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य हैं वे सुन रहे हैं ध्यान से; वे कुछ समझे हुए हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं। लेकिन वे हैं नहीं, जिन सदस्यों के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। यह एक पुराना केस है। इसके सम्बन्ध में आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे फैक्ट्स आयेंगे तो आगे निवेदन करूंगा। सदन में इस बारे में फैक्ट्स लाने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने जैसा कहा कि अपील विथ्ड्रा की तो उस अपील को विथ्ड्रा करने से पहले लॉ डिपार्टमेन्ट या एडवोकेट जनरल से ओपीनियन ली थी या नहीं और ओपीनियन लेकर वह अपील की गई थी या नहीं ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, ये सारे पर्टीकुलर्स मुझे मालूम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले अपील की, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज किया।

श्री भीखाभाई : यह बात सही है कि लॉ डिपार्टमेन्ट से राय ली उसके अनुसार कॉम्प्रोमाइज़ किया आउट साइड दी कोर्ट।

दूसरी बात यह है कि जयपुर के माननीय सदस्य हैं, जो अभी उठ रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कही व थी ट्रान्सफर्स के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रान्सफर्स सिविल सर्विसेज़ में प्रशासनिक दृष्टि से ३ साल या ५ साल में जरूरी हैं। माननीय सदस्य जो आसपुर से आये हैं उन्होंने कहा कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रिएट कर देते हैं तब कुछ लाभ होता है, कुछ प्रेम हो जाता है, कुछ वश में आकर सरकार काम ऐसा कर देती है जिसके कारण ट्रान्सफर हो जाते हैं। जिस रेंजर के बारे में कहा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से ट्रान्सफर हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से जो ट्रान्सफर होते हैं उनके बारे में कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा एक सहपाठी है जो रेंजर है। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, जिसके बारे में कहते हैं वह मेरा सहपाठी रहा हो। यदि नाम बता दें तो अच्छा हो....

श्री भैरोंसिंह : उसका नाम प्रतापसिंह है।

श्री भीखाभाई : प्रतापसिंह नाइन्थ में मेरे साथ पढ़ा था। मैं निवेदन कर दूं कि स्कूल में या हाई स्कूल में सैकड़ों लड़के होते हैं उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे सहपाठी हैं। आप और हम भी सहपाठी हैं, आपके प्रभाव में आकर कर दें तो आप कह दें कि आपके प्रभाव में आकर ट्रान्सफर कर दिया। चाहे उस तरफ के हों, चाहे इस तरफ के, सभापति महोदय, इस तरह की बात नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह कहा कि सहपाठी का लिहाज रख लिया इसलिये ट्रांसफर नहीं किया।

Page No.75

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : यह तो गुड केरेक्टर है।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि वह सहपाठी नहीं था। इसके कारण ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से जरूरत पड़े तो उनका भी ट्रान्सफर किया जा सकता है।

एक बात उन्होंने कही कि पंखे की मरम्मत के लिये जीप का इस्तेमाल किया। यह बात सही हैं। गवर्नमेंट का पंखा था, पेडस्ट्रल फेन जिसके नीचे आप बैठे हैं उसकी दुरूस्ती के लिये....

श्री भैरोंसिंह : इतना बड़ा नहीं था।

श्री भीखाभाई : छोटा सही, आपके स्ट्रेचर का।

श्री भैरोंसिंह : मेरे स्ट्रेचर का नहीं, मैंने देखा है।

श्री सभापति : Let us not fight for statures.

श्री भीखाभाई : यदि माननीय सदस्य के पास कोई चीज है, प्रूफ है और वे सहायता दें तो मैं इन्क्वायरी करा सकता हूं। Iamprepared to do it. लास्ट में उन्होंने कहा खरीद-फरोख्त के बारे में। हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अनुसार नियमानुसार किया गया है।

एक बात गेम्स सेन्कचुअरी के बारे में, जयसमन्द के बारे में उठाई। माननीय सदस्य इस समय उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से कर्मचारी शिकार करके जानवरों को मार देते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। यह संभव नहीं हो सकता। आखिर सरकार के नियम हैं, कोई भी आदमी हो; राजा हो, महाराजा हो, माननीय सदस्य हो, तो भी इसके लिये परमिट हासिल करना पड़ेगा लेकिन गेम सेन्कचुअरी में शिकार नहीं कर सकते, यह बात समझ में नहीं आती है। कोई फैक्ट्स न बताकर वग चार्जेज़ लगावें तो सरकार इन्क्वायरी नहीं करा सकती। माननीय सदस्य फिर खड़े होना चाहते हैं। वे मुझसे अलग से बात कर लें।

सभापति महोदय, हमारे राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं। वे बहुत खुश रहते हैं आयुर्वेद से। आज ताज्जुब होता है, किस प्रकार उन्होंने बातें कही, आश्चर्यजनक बातें कहीं, शायद इसलिये कही कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में खुल जायें। यह बात कहने की तो कृपा की कि संख्या बढ़ी है, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था का जहां तक संबंध है, राजस्थान में पहले २०० आयुर्वेदिक औषधालय थे वहां अब १,२७५ खुल गये हैं। ए श्रेणी के होस्पिटल्स उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में खुल गये हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): डूंगरपुर में खोल दिये उसको जाने दीजिए।

श्री भीखाभाई : जयपुर में, जोधपुर में विशेषत: खोले गये हैं। उनको देखें तो........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : बड़े बड़े शहरों में खोले गये हैं या गांवों में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुरज गांव के बारे में........

श्री भीखाभाई : उनको इस बात का इन्ट्रेस्ट है कि उनके गांवों में औषधालय खुलें और यदि खुल जाते तो यह बात नहीं कही जाती....

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका स्तर उठाना है। औषधालयों का स्तर कैसा है?

श्री भीखाभाई : उन्होंने अनुसंधान की बात कही। मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकता।

आपने एक प्रस्ताव भेजा है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन बातों की जानकारी चाही है वह दी जा सकती है। मैं उनको संतुष्ट करने की बात कहूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनुसंधान शालाओं को सहायता मिलती थी वह समाप्त हो गई या लागू है?

श्री भैरोंसिंह : सब चीजों की जानकारी रखना मंत्रीजी के लिये लाजमी नहीं है।

श्री भीखाभाई : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ। जब से मंत्रालय खुला है तब से जहां २०० की संख्या थी वहां १,२७५ की संख्या हुई है। जहां ४००) रुपये की दवा मिलती थी वहां ६००) की मिलती है। जहां ६००) की मिलती थी वहां ६००) की मिलती है। जहां जैसी रोगियों की संख्या है वहां उसी तरह से दवाई मिलती है। गांव गांव में वैद्य भेजने की कोशिश की है। वैद्य आयुर्वेद का प्रहरी होता है, जन-स्वास्थ्य का प्रहरी होता है। उसके लिए यह संतोष देना है। एक गांव में एक वैद्य जाता है, परामर्शदाता जाता है, उसके द्वारा परामर्श भी दिया जाता है। जहां पंच शुद्धि की बात होती है, जहां जन-स्वास्थ्य की बात होती है, जहां सदाव्रत की बात होती है वहां वह परामर्श देता है, प्रचार करता है। यह ख्याल करते हैं माननीय सदस्य कि औषधालयों में दवाई नहीं है, मैं कहता हूं दवाई की क्या बात है, बन्द करने की स्थिति हो तो भी क्या, राजस्थान में यदि आयुर्वेद के लिए ऐसी स्थिति आ जाय जहां लोग दवा की मांग न करें और यह कहें कि वैद्य रहें, चिकित्सक के तौर पर नहीं तो परामर्शदाता के तौर पर ही रहें। जिस तरह से चरक, सुश्रुत, धन्वन्तरी व अन्य अन्य आयुर्वेदाचार्यों ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir.

श्री भीखाभाई : आप जानते हैं....

श्री सभापति : Hon'ble Minister. There is a point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : The point of order is that the voice is not audible.

श्री भैरोंसिंह : It is good that the Hon'ble Member does not hear the Hon'ble Minister. He is casting aspersions on you.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्यों ने कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान हमारे विभाग की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। उसके

श्री मथुरादास माथुर)

लिये मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान सरकार की नीति जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को सेपरेट करके लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट देश में शाया की गई है उसके आधार पर चलने की रही है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि राजस्थान सरकार ने आज तक जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव के सेपरेशन के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। इस स्कीम को लॉन्च किये हुए काफी अर्सा हो चुका है और हमारे राजस्थान में जहां मुन्सिफ्स की अदालतें मौजूद हैं वहां काफी जगह उनको मजिस्ट्रेट के अख्त्यारात देकर हमने जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव को सेपरेट करने का श्रीगणेश किया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने अपना कमेटी को कायम करके और राजस्थान में किस तरह से इस काम को पूरा किया जाय, इसका भी प्रयत्न किया। उस कमेटी की रिपोर्ट शाया हो चुकी है और सदन के माननीय सदस्य सब करीब करीब उसको पढ़ चुके होंगे। राजस्थान सरकार ने इस बात को अनुभव कर लिया है कि उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम हल्के हल्के हमारा जो क्रिमिनल वर्क है उसको मुन्सिफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देंगे और हम राजस्थान में अगली जुलाई तक कम से कम पचास फी सदी मुकदमे उनके मातहत देना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जुलाई ?

श्री मथुरादास माथुर : यही जुलाई। जब से अदालत दुबारा खुलेगी वापिस वेकेशन के बाद में। इतना ही नहीं, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं और हमारा हाई कोर्ट इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि हम और तेजी से आगे बढ़ें। मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली जुलाई तक पचास फी सदी केस नहीं, बल्कि कुछ डिवीज़न्स ऐसे होंगे जहां सेन्ट परसेन्ट जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव का सेपरेशन कर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक न्याय विभाग से सम्बन्ध है, माननीय सदस्य, जो जयपुर से तशरीफ लाये हैं, ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि कुछ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : भीलवाड़ा और उदयपुर का ख्याल रखें, वहां जरूर कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : उदयपुर में सेपरेशन जुडिशियरी की कर देंगे।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : भीलवाड़ा के लिए ध्यान रखना। वहां बहुत जुल्म इस बारे में होता है।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ सब्र रखिये, सब की बारी आ जायगी। माननीय सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान सरकार की नीति है, सुपरएनुएशन एज के बारे में, जो एज के करने का सवाल है, हम अनुमन नहीं करते हैं। हाई स्कूल सर्टीफिकेट के आधार पर, रूल्स के आधार पर हम इस बात को मान कर चलते हैं लेकिन कोई केस इस तरह का आ जाय कि कोई सिद्ध कर सके कि हाई स्कूल सर्टीफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दर्ज है वह

(श्री मथुरादास माथुर)

गलत है तो हरएक केस मेरिट पर देखा जाता है। फिर भी माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि मुझे इस प्रकार के केसेज़ के बारे में, उन ऑफिसर्स के नाम मेरे पास भेज दें, तो मैं उनकी जांच करने के लिए तैयार हूं....

श्री भैरोंसिंह : अभी बता दूं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं जहां तक समझ पाया हूँ, उसके लिए निवेदन कर दूं कि हमारी राज्य सरकार की नीति है कि हम आम तौर पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बदलते नहीं हैं और हाई स्कूल सर्टीफिकेट के आधार पर मानते हैं। फिर भी हमारा इतना बड़ा अमला है, उसमें कई केसेज़ ऐसे हों जिनमें रेकॉर्ड और डॉक्युमेंट से प्रूव कर सकें और राज्य सरकार को संतोष हो जाय तो ऐसे केसेज़ को हम विचारणीय हमेशा समझते हैं।

जहां तक, माननीय सभापति, हमारे यहां कुछ साथियों ने लॉ विभाग के बारे में चर्चाएं कीं, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद में बन्दी भाइयों की तरफ, जो जेल में बन्दी हैं, उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान जाता है तो मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों का उनकी तरफ ध्यान जाता है और जो कुछ आपने विचार रखे हैं उनसे हमें बल मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, वह मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जेल में रहनेवाले जो बन्दी हैं उनकी जिन्दगी का जहां तक जेल से सम्बन्ध है वे जेल से फरार न हो जायं, चले न जांय बल्कि जेल से भारत के अच्छे नागरिक होकर निकलें, इस तरह का वातावरण बनाया जाय। यह सरकार की नीति है और इस नीति को पूरा करने के लिये और जेल के काम में क्या परिवर्तन होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जेल रिफॉर्म्स कमेटी तुरन्त बनाई जाय और इनके नामों की घोषणा मैं थोड़े दिनों के बाद में सदन के अन्दर कर दूंगा। हम यह चाहते हैं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि जब से नई सरकार बनी है, करीब करीब राजस्थान की बड़ी बड़ी जेलों में मैंने खुद ने जाकर देखा है कि जहां तक फूड का सम्बन्ध है, खाने का सम्बन्ध है डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर जितनी केलोरीज़ दी जाती हैं वे ठीक दी जाती हैं। इसी तरह डॉक्टरों का कहना है कि हमारे इस फूड में विटामिन्स की कमी है। डॉक्टरों के कहने पर हमने इस बात का फैसला किया है कि फूड की केलोरिक वेल्यू तो ठीक है लेकिन विटेमिन वेल्यू कम है, इसलिए विटेमिनिक फूड दिया जाय। इसलिए जो खुराक दी जाती है उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खाने का सवाल है, मैंने खुद ने जेलों में जाकर–बिना नोटिस के जेलों में जाकर जो कैदियों को खाना मिलता है वह हमने खाया है और यह कोशिश की जा रही है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : बाहर दूसरी बात है, भीतर जाकर देखिये बन्दी होकर।

श्री मथुरादास माथुर : भीतर जाकर कैदियों के साथ बैठ कर जो उनको खाना खिलाते हैं वह खाया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप इत्तला देकर गये होंगे। बिना इत्तला और वगैर प्रोग्राम के आप अचानक जाइये।

एक माननीय सदस्य : ऐसा है तो माननीय सदस्य को भेज दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति....

श्री रामकिशन (बैर) : जेलों में जो हवालातियों को छः आना खाने का दिया जाता है,क्या वह टीक है ? क्या उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक अन्डर ट्राइल्स का सवाल है, अन्डर ट्राइल्स अपने घर से खाना मंगा कर खा सकते हैं। मेरी जवाबदेही उन बन्दियों की है जो घर से खाना मंगा कर नहीं खा सकते हैं। उनको वही खाना मिलता है जो बन्दियों को मिलता है। मैं निवेदन करूं कि आपके संतोष के लिए हमने हरएक जिले में नोन ऑफिशियल विज़िटर्स मुकर्रर किये हैं, वे बिना नोटिस दिये जा सकते हैं और वहां के खाने का इन्स्पेक्शन कर सकते हैं और कैदियों को जो दूसरी सुविधायें दी जाती हैं उनकी जांच की जा सकती है। सदन के माननीय सदस्यों में से कई सदस्य विज़िटर्स कमेटी के सदस्य हैं और वह कमेटी दो साल से चल रही है। लेकिन मुझे खेद है कि कमेटी के मेम्बरान अमूमन जाते नहीं हैं। मैं फिर से दुबारा इन कमेटियों को बना रहा हूँ और जो उत्साही माननीय सदस्य हैं उनका सहयोग लिया जायगा....

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस कस्टडी में जो हवालात में रहते हैं उनके लिए नहीं बताया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जेलों की बात कह रहा हूं, पुलिस की बात कह चुका हूं। पुलिस की बात पिछले दो सालों से कर रहे हैं अब जेलों की बात करें।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस कस्टडी में दो आना मिलता है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं जांच करूंगा। अभी मैं जेल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जहां तक इस जेल विभाग का सम्बन्ध है, हमारे जेल विभाग द्वारा सेन्ट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों के अन्दर कैदियों में चुनाव होकर पंचायत कायम कर दी जाती है और उन पंचायतों के सरपंच जो खाना जेल में मिलता है, उस खाने के पकने के पहले जिस तादाद में हरएक जेल में राशन मुकर्रर होता है वह राशन अपने सामने तुलवा कर किचन में ले जाते हैं और खुद खड़े होकर पकवाते हैं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह कब से चालू किया ?

श्री रामकिशन : यह कब से हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सेन्ट्रल और डिवीज़नल जेलों में चालू है, लोकअप जेल में चालू नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : डिस्ट्रिक्ट जेल में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप गये नहीं हैं इसलिए कह रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह : मैं गया हूं, हमें मालूम है कि कैसा खाना मिलता है। सात दफा आपकी जेलों में जाकर आया हूँ, हमें मालूम है कि कैसा खाना मिलता है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर माननीय सदस्यों को दौरान-ए जेल में कष्ट हुआ है तो अब जाकर देखें, कोई तकलीफ नहीं होगी ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, भीलवाड़ा जेल में जो राशन मिलता है, आप वहां बाजार में जाकर देखिये कि सरपंच बेचता है और दूकानें चलती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अलग अलग माननीय सदस्यों के जेल के तजुर्बे हैं। इन तजुर्बों को मद्दे नजर रखते हुए, इन अलग अलग विचारधाराओं को मद्दे नजर रखते हुए, इन जेल रिफॉर्म्स कमेटियों के बनाने का जो फैसला किया है इनके बनाने पर जिन माननीय सदस्यों को जेलों के अन्दर कठिनाइयां रही हैं वे जाकर उन कमेटियों के सामने बयान दें और वे कमेटियां उन पर विचार करके सुझाव दें........

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जेलों में पुलिस कैदियों को मार डालती है, इसके बारे में क्या कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जेलों में पुलिस नहीं होती है।

श्री अब्दुलजब्बार : दस-पन्द्रह मैं उदाहरण दे सकता हूं, जिनमें एक एक के साथ जुल्म किया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को जेल में जाने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए उनकी दलील का जवाब नहीं दे सकता........

श्री अब्दुलजब्बार : पच्चीस मर्तबा मैं जेल में गया हूँ। १९४२ से जेल में गया हूं, इसलिए मुझे मालूम है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको दावत नहीं दे सकता कि अब आप जेल में तशरीफ ले जायं और इस सरकार की जेलों को देखें। फिर भी जो विज़िटर्स कमेटी बनेंगी और जिनमें विज़िटर्स की हैसियत से जिन माननीय सदस्यों को मुकर्रर किया जाय वे देखें और हर बात पर गौर करें और सुझाव दें। तो मेरा मतलब यह है कि यह हम जेलों में ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जेलों के बाद में जो आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूट्स कायम करना चाहते हैं ताकि कैदी जेलों से निकल कर दुबारा जेलों में जाने को कोशिश न करें और इनी आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूट्स में रह कर अच्छे नागरिक बन सकें और जिस तरह माननीय सदस्य इस सदन के मेम्बर बन सके हैं वे भी बन सकें।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि........

श्री अब्दुलजब्बार : क्या आपको यह विदित है या नहीं कि जेल में कैदियों से काम लिया जाता है जो अन्डर ट्रायल होते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उनसे काम नहीं लिया जाता।

Page No.81

श्री मुरलीधर व्यास : आर्टिलरी रेंज के बारे में बीकानेर और बोर्डर के सम्बन्ध में आप बतावें ?

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर में, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि आर्टिलरी रेंज और खास तौर से बड़े रेंज की बन्दूकें लोंग रेंज की का बीकानेर और जैसलमेर के बोर्डर पर प्रबन्ध किया जावे और वहां आर्टिलरी रेंज कायम होगी।

एक माननीय सदस्य : कच्चे कैदियों से काम लिया जाता है ?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : मजदूरों से श्रम········

श्री सभापति : श्रम मन्त्री महोदय बोल चुके हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या आप यह बतावेंगे कि अन्डर ट्रायल कैदियों से कोई बेगार नहीं ली जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं ली जाती है।

श्री अब्दुलजब्बार : वहां पर लोगों को पिटाई करके काम लिया जाता है, यह तजुर्बे की बात है। यह दुर्दशा राजस्थान में हो रही है कि इन्सानों को भी हैवान की तरह से पीटा जाता है। यह हमारे लिये लानत की बात हो रही है।

श्री मथुरादास माथुर : आप जरा जोश में आकर न बोलें; जरा धैर्य से बोलें तो समझ सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : हम इन्सान होने के नाते जज़बात रखते हैं और यह देखते हैं कि हमारी सरकार आंखें खोल कर नहीं देखती कि क्या हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह कहूँगा कि बेगार तो क्या, जानवरों को भी इस बेरहमी से नहीं मारा जाता है उस तरह से मारते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जेल में ऐसी घटना हुई हो तो आप मुझे बतावें और आप मुझसे चेम्बर में बतावें मैं उसकी जानकारी करूंगा।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं खुद इसका शिकार मौजूद हूँ।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर की जेल में लास्ट इयर एक ललितमोहन नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया था।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद हाल ही में तीन दिन पहले अजमेर जेल को देख कर आया हूँ और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत की, मगर वहां पर ललितमोहन ने कोई शिकायत नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : वह मर गया और आसमान में चला गया, आपसे कैसे शिकायत करता ?

श्री मथुरादास माथुर : फिर भी मैं उसकी जानकारी करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वह तो स्वर्गलोक में बैठा होगा, वहां से उसको बुलाना होगा।

श्री सभापति : Mr. Handa, there will be no end to such discussions. I won't permit it. I would request the Hon'ble members to refrain from making such interruptions.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान् चेयरमैन साहब, करीब एक माह से इस सदन में बजट पर बहस हो रही है और मैं समझता हूँ कि कोई भी पहलू ऐसा बाकी नहीं रहा होगा जिस पर बहस नहीं हुई हो। मुझे सदन में यह मानने पर कोई हिचकिचाहट नहीं कि इस लम्बी बहस में काफी मुझे छका दिया और जो तजुर्बात मुझे मिले हैं वे शायद मैं आगे के लिये एक अपने तजुर्बे में इजाफा करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं खास कर उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने बजट के तखमीनों पर काफी मेहनत करके जो इसमें गल्तियें थीं इस सरकार के सामने उन्होंने जाहिर की और इस सरकार को मौका मिला उन गल्तियों को देख कर आगेके लिएजो उनको नसीहत होनी चाहिये वह उनको हासिल हुई। यह कदम माननीय सदस्यों ने जो उठाया, हो सकता है किसी को अच्छा लगा न हो लेकिन इतना मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपके फाइनेन्स मिनिस्टर को यह सबसे भला मालूम हुआ।

यह प्रजातन्त्र का जमाना है। अगर माननीय सदस्य सरकार के साथ ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे तो यह सरकार वाकई डेमोक्रेटिक सरकार कहलाने का हक रखेगी। लेकिन जिस वक्त वे गल्तियें सामने आईं और उसके पीछे जो जजबात थे वे कुछ....

श्री सभापति : How much time you would take to conclude your speech ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा ख्याल है कम से कम १५ मिनट तो लगेंगे ही।

श्री सभापति : क्या सदन की यह सम्मति है कि २० मिनट के लिये समय और बढ़ा दिया जावे।

(स्वीकृत)

सदन का समय २० मिनट के लिये और बढ़ाया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् चेयरमैन, मैं अर्ज कर रहा था कि जो गल्तियां सदन के सामने आईं वे अपनी जगह एक बड़े महत्व की थी। लेकिन जिस ज़जबात के साथ वे आ रही थीं उस जजबात को अलहदा कर दिया जावे तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि गल्तियां तो अपनी जगह गल्तियां हैं और यह भी है कि बावजूद एरेटा निकालने के भी गल्तियां रह गई हों लेकिन जो डिमान्ड इस सदन ने पास की और जिसका जिक्र इस एप्रोप्रिएशन में है उसमें न कोई गल्ती थी और न है और न उसको ठीक करने की जरूरत थी। लेकिन अगर वह जजबात उसके साथ नहीं होता तो ज्यादा जो डिबेट हुई वह शकून में होती....

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : Point of order, Sir, the Speaker gave

(श्री ज्वालाप्रसाद)

his ruling that Government can vary the details and the total was correct. That ruling was given by our Speaker. Now the Hon'ble Finance Minister is asserting that there was no mistake.

श्री सभापति : He has not.

श्री ज्वालाप्रसाद : You just repeat the concluding portion.

श्री सभापति : On the contrary, the Honourable Member ! you s hould enjoy the frank confession made by the Hon'ble Minister.

श्री ज्वालाप्रसाद : If you take it a frank confession, it is all right.

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सभापति, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था वह यह थी कि कुछ इस किस्म का उस वक्त मखोल था, इस किस्म का असर पैदा हुआ कि जिससे यह मालूम होने लगा कि जो टैक्सेशन के प्रोपोज़ल्स इस सदन के सामने आये हैं, शायद जो गल्तियें हुई हैं उनका असर इन प्रोपोज़ल्स पर भी हो और कुछ माननीय सदस्य इसी वजह से ज्यादा जजबात से बोल रहे थे। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूं कि अगर वे बजट के पहले ही सफे को देखें तो उससे उनको मालूम हो जावेगा कि जो आमदनी और खर्चे उसमें दिया हुआ है उस आमदनी और खर्चे में कोई अर्थ जो इस सदन के सामने रखा गया उसमें इस गलती का कोई असर नहीं था और आमद और खर्चा पूरा करते हुए उसका जो नतीजा निकला वह यह निकला कि इस बजट में ६ लाख का इजाफा है इसलिए उनको उस वक़्त गलत फहमी हुई थी। मैं अब सदन के सामने अर्ज करदूं कि जल्दी में कोई गलती भी हो सकती है पर उसका न डिमान्ड्स पर असर है और न प्रोपोज़ल्स पर असर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन हैं, अपनी जगह पर हैं........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल , जयपुर) : १,३४५) रुपये का फर्क आता है, यह आपने पहले बताया था।

श्री मुरलीधर व्यास : १,४४५) रु० का।

श्री बालकृष्ण कौल : १३४५ का फर्क आता है, यह मैंने नहीं कहा।

श्री सभापति : The Finance Bill is yet to come for consideration.

श्री बालकृष्ण कौल : अगर कहा होगा तो डिटेल्स के बारे में कहा होगा। डिमान्ड्स के लिये तो मैं शुरू से कहता आया हूं कि डिमान्ड्स में-प्रोपोजल्स में कोई फर्क नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : टैक्सेशन का अनाउन्समेंट आपने किया था, जिसके लिये कि हाउस में एड्जोर्नमेंट मोशन आया, उसके सम्बन्ध में कहा था।

श्री बालकृष्ण कौल : आप जो संकेत कर रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं। उसका टैक्सेशन से ताल्लुक नहीं है। १२८ लाख राजस्व में बढ़े हैं और १२८ लाख के प्रोपोजल्स रखे हैं, उसमें फर्क नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद : उसमें फर्क है, बजट में टैक्सेशन के आंकड़े दिये हैं, कुछ रिलेक्सेशन किये हैं, कुछ नये जोड़े हैं। वह पूरा बता दें कि कितना रिलेक्सेशन किया है, कितना जोड़ा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य देखेंगे कि १२८ लाख में फर्क आता है तो जैसा मैं अर्ज कर चुका था किसी और बिल से नोटिफिकेशन से पूरा कर लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : कम करने की बात कहें, ज्यादा हो गया है।

श्री बालकृष्ण कौल : १२८ लाख से ज्यादा नहीं हुआ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) ? आन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, बजट शुरु में मन्त्री महोदय, ने रखा था तो १२८ लाख के प्रोपोज़ल्स बताये थे, फिर टैक्सेज़ के प्रोपोज़ल्स चेंज हुए, विलायती शराब पर टैक्स बढ़ाया गया, उस सब का तखमीना अब तक बताने का कष्ट नहीं किया।

श्री सभापति : फाइनेन्स बिल सदन के सामने आयेगा तो सारे डिटेल्स सामने आ जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नोटिफिकेशन इश्यू होगा वे सब डिटेल्स फाइनेन्स बिल में थोड़े ही आवेंगे।

श्री सभापति : वह सारा केल्कुलेशन हो जायगा उस समय।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को जानना जरुरी है कि १२८ लाख के टैक्सेशन सदन के सामने रखे हैं। इससे ज्यादा लगाने होते तो मैं जरुरी समझता कि सदन के सामने रखता।

श्री सभापति : एप्रोप्रियेशन बिल पर किसका एतराज था—जो मुद्दे एप्रोप्रियेशन बिल पर उठाये गये हैं उन्हीं का जवाब दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तखमीना तो बताना चाहिये।

श्री सभापति : That is true, but no member has alleged so far as debate on the Appropriation Bill is concerned.

श्री भैरोंसिंह : But let such a reply come from the Hon'ble Minister.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं उन सब प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं जिनका जवाब अभी तक नहीं हुआ था।

श्री सभापति : आप उन्हीं प्रश्नों का जवाब दीजिए जो एप्रोप्रियेशन बिल पर उठाये गये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना अर्ज कर दूं कि एक प्रश्न सामने आया था—क्वेश्चन आया था और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एप्रोप्रियेशन बिल के समय इसका जवाब दें। अगर आपकी इजाज़त नहीं हो तो मैं नहीं कहूं।

श्री सभापति : I wanted to make your position easy.

श्री बालकृष्णकौल : I have to respect the opinion of the Chair also.

श्री भैरोंसिंह : एक पोइन्ट का जवाब दे दें। कैटल पोपुलेशन पर टैक्स लगाया था फिर उसे हटाया तो इसको किस तरह से रिप्लेस किया ?

श्री बालकृष्ण कौल : ये दूसरे और तीसरे तरीके की बातें आ रही हैं, अभी साफ हो जायेंगी।

श्री सभापति : वही तो मैं कह रहा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप चाहे गलत ही कह दें, पर यह कह दें कि यह तो विलायती शराब से आ जायगा।

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े सदन के आगे रखे। मैं समझता हूं उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी। आंकड़े जो उन्होंने रखे २८.६७ लैक्स की बजाय ३८.६७ लेक्स कह दिया और इसका सम्बन्ध उस खर्च पर है जो रीएप्रोप्रियेट किया गया है दूसरे विभाग से।

मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ बहस हुई थी ग्रोस और नेट की, लेकिन मुझे काफी प्रसन्नता हुई यह जान कर कि इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो पी. ए. सी. के सदस्य हैं और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य होने के नाते अच्छी तरह जानते हैं कि डिमान्ड्स में जो फीगर्स आते हैं वे ग्रोस होते हैं और जब बजट बनता है उसमें जो फीगर्स ली जाती हैं वे नेट होती हैं। इस पर तस्कीरा नहीं करते होंगे। इतना कह दूं कि जिस वातावरण में....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नाम बतला दें तो ठीक है, क्योंकि मैं भी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का सदस्य हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर के लिये कहा है।

एक माननीय सदस्य : अपना ही समझ लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् अगर इजाजत दें तो बतादूं कि जिस मदद से और जिस कोऑपरेशन से, बावजूद इसके कि सदन में कुछ इस किस्म की बातें भी हुईं कि जो सदन में जान पैदा करती थीं, तब भी आम तौर पर माननीय सदस्यों ने काफी सहयोग से जो तखमीनें आपके सामने पेश हुए उनको फंडामेंटली मंजूर किया और जो उनको गलतफहमी हुई थी ग्रोस और नेट की वह भी शायद ७ दिन की छुट्टी में साफ हो गई होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : ग्रोस और नेट का फर्क तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कहां ग्रोस होता है, कहां नेट होता है, इसका क्लासिफिकेशन हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, यह हो सकता है कि मैं इतना काबिल न होऊं कि हर माननीय सदस्य को जहननशीन करा सकूं पर वे माननीय सदस्य जो इसका दावा करते थे कि वे पब्लिक अकाउन्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं, वे कहें कि ग्रोस और नेट में क्या फर्क है तो मैं अपने आपको असमर्थ समझता हूं उनके जहनशील कराने में।

(श्री बालकृष्ण कौल)

माननीय चेयरमैन साहब, आज एक बात और सदन में कह दूं कि शायद कुछ माननीय सदस्य इस इन्तजार में हों कि जो कन्वेन्शन्स हैं उनको मैं शायद पूरा नहीं कर रहा हूँ। कन्वेन्शन यह है कि जब बजट पास होता है तो उसके बाद वित्त मंत्री एक पार्टी सदन को देता है, मैं भी एक पार्टी सदन को दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : I would request the Hon'ble Chairman to expunge these remarks from the proceedings.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : This is objectionable, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : (अश्रव्य)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : This is a reflection on the whole House.

श्री भैरोंसिंह : This is a question fo Privilege.

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों को कोई बुरी लगी हो तो मैं उसको विड्ड्रॉ करता हूँ।

(घंटी)

श्री सभापति : The Finance Minister has withdrawn his words.

मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि बजट के विवाद के समय·······

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सदन में रख रहा था·······

(घंटी)

श्री सभापति : वित्त मन्त्रीजी !

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सदन में रख रहा था कि·······

श्री सभापति : वित्त मन्त्रीजी, वित्त मन्त्रीजी !

६ बज कर १० मिनट का समय हो गया है। थोड़े समय में ही एप्रोप्रियेशन बिल लिया जाने वाला है। उससे पहले मैं वित्त मंत्रीजी को संकेत करता हूँ कि एप्रोप्रियेशन ऑफ फन्ड्स के मामले में कुछ बातें सदन में माननीय सदस्यों ने रखी थी उस बारे में क्या नीति है और वित्त मन्त्रीजी का क्या कहना है, यह रखिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मिस एप्रोप्रियेशन ऑफ फन्ड्स हुआ है। मुझे नहीं मालूम।

श्री मुरलीधर व्यास : दस–पन्द्रह मिनट का समय और भी लेना चाहें तो दे दिया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : जितने पोइन्ट्स मेरे से सम्बन्धित थे और मैंने लिखे थे वे तो कह दिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रश्न के दौरान में पहले स्पीकर साहब ने फरमाया था कि एप्रोप्रियेशन बिल की बहस के वक्त वित्त मंत्री जवाब देंगे और वह प्रश्न जयपुर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बैंक के जो शेयर्स थे उससे सम्बन्धित था। वित्त मंत्रीजी उसका जवाब दें।

श्री सभापति : दो मिनट में ही कह दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : इतना कह दूं उस बैंक के विषय में कि जितने जयपुर के बैंक्स थे वे सरकारी ट्रेज़रार्स थे और रिज़र्व बैंक का यह आदेश आया कि वे ही बैंक उनके ट्रेज़रार्स हो सकते हैं जो या तो सब्सीडियरी बैंक हों या एजेन्ट हों, दूसरे बैंक नहीं हो सकते। इसलिए सरकार को यह जरूरत थी कि वे किस तारीख से रिज़र्व बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को अपना ट्रेज़रार बनाये। तो इस सिलसिले में पार्लियामेंन्ट में एक बिल आया, जिससे यह सहूलियत मिली कि जो बैंक अगर सबसीडियरी बैंक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहां पर तीन बैंक्स थे, जयपुर बैंक, बीकानेर बैंक और राजस्थान बैंक। जयपुर बैंक और बीकानेर बैंक ने इसको स्वीकार कर लिया और एजेन्ट बनने के लिए तैयार हो गये। रिज़र्व बैंक ने उनकी हैसियत को देखा तो यह पाया कि उनकी क्या बैंक डेट्स हैं, क्या क्या काम हैं। उनको देखने से उनकी शेयर्स की वेल्यू कम कर दी। इसलिये जो स्टेट शेयर्स थे, जैसा मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि १२॥ लाख के थे और उनकी डेप्रिशियेटेड वेल्यू हुई वह १० लाख हुई। मुनासिब यह समझा स्टेट ने कि १० लाख केश करा लिया जाय। एक प्रश्न सप्लीमेन्टरी माननीय सदस्य का था। वह यह था कि आगरा बैंक जिसके कारण बहुत से नुकसानात हुए थे तो क्या उसके कारण यह डेप्रिशियेटेड वेल्यू हुई? मैं नहीं कह सकता कि वही एक कारण था, और कारणों में से वह भी एक कारण हो सकता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोपियेशन बिल, १९६२ को........

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय कई ऐसे मुद्दे उठाये गये थे जिनके जवाब देने की आवश्यकता है। एक पोइन्ट मैंने उठाया था कि हनुमानगढ़ ब्रिक बर्निंग फैक्ट्री की आमदनी हुई थी। वह माइनस कैसे बजट में रह गई थी? वित्त मंत्री का इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं। वे बतायें कि वह माइनस क्यों रह गई थी? यह है ग्रोस एण्ड नेट, जैसा कि वे कहते हैं।

श्री सभापति : You can seek clarification later on. There is no time left now.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : Page No. 27 of the detailed Budget.

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा! आसन ग्रहण करें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६२ को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) विधेयक १९६२ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म० प० ६-१७ बजे दिनांक ३० अप्रेल, १९६२ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(रविवार, दिनांक २९ अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ स्कम्भ

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ५०५६

निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी गई:—

(१) आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५ (१०५) ई. एण्ड. टी./६०, दिनांक २८ जून, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं।

(उपरोक्त अधिसूचना द्वितीय राजस्थान विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी। चूंकि सम्बन्धित अधिनियम में उल्लिखित कालावधि पूरी नहीं हो सकी थी अतः इसे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९९ (२) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया।)

(२) आबकारी तथा कर विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ५ (९) ई. एण्ड. टी./५७, दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं।

विधायी कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ ५०५

वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री निरन्जननाथ आचार्य
(२) श्री मुक्तिलाल मोदी
(३) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
(४) डॉ॰ हरिप्रसाद शर्मा (मण्डावर)
(५) श्री भैरोंसिंह
(६) श्री बृजसुन्दर शर्मा
(७) श्री मुरलीधर व्यास
(८) श्री रामकिशन
(९) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
(१०) श्री कुमारानन्द।

सरकार की ओर से श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, श्री बरकतुल्लाखां, स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री भीखाभाई, सिंचाई मन्त्री, श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

स्कम्भ

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर, विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

तदन्तर सदन की बैठक ६ बज कर १७ मिनट पर सोमवार, दिनांक ३० अप्रेल, १९६२ को प्रात: ८.०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

स्कम्भ

सोमवार, दिनांक ३० अप्रेल, १९६२ की

कार्य–सूची

गैर सरकारी संकल्प

(१) राजस्थान में बैटरमेन्ट लेवी की वसूली बन्द करने सम्बन्धी।

(२) गंगानहर क्षेत्र में सिंचाई की दरों में कमी करने सम्बन्धी।

(३) चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के ग्रामों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों में अधिक आर्थिक सहायता विषयक।

शुद्धि-पत्र

(रविवार, दिनांक २६ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५०५८	१३	गया	गया !
५०६२	अंतिम से १०, ११, १२	इन्स्टीट्यू ट	इन्स्टीट्यूट
५०६३	अंतिम से ६	भिषगाचार्य	भिषगाचार्य
५०६६	१६	लेने की निषेध	लेने का निषेध
५०७५	अंतिम से ८	बेठे हुए	बैठे हुए
५०७६	अन्तिम से ८	बनिस्बति	बनिस्बत
५०७८	३	समितियों क ।	समितियों का
५०७९	१६	चाहीं	चाही
५०८०	शीर्षक	विनियोग	विनियोग
५०८४	३	डोनेशन	डोनेशन्स
५०८७	१४	जावे	जावे
५०९४	शीर्ष	(श्री लक्ष्मणसिंह)	(श्री लक्ष्मण सिंह)
५०९८	९	श्री लक्ष्मणसिंह	श्री लक्ष्मण सिंह
५१०८	१८	रहा, यह	रहा है, यह
५१३८	१	गवर्नमेंट	गवर्नमेन्ट
५१४५	अंतिम से ८	लिटीन्टस	लिटिगेन्ट्स
५१४९	अन्तिम से ५	सभापति :	श्री सभापति :
५१५१	८	खामियां	खामियां
५१५३	३	श्री बालकष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
५१५४	२१	तीसंरी बात में	तीसरी बात में
५१५५	१३	इसका शख्त	इसका सख्त
५१५८	शीर्षक	विधेयक,	विधेयक,

Page No.92

१	२	३	४
५१७०	१६	बेरेक्स	बैरेक्स
५१७४	शीर्ष	(श्रीमती लद्मीकुमारी चूंडावत)	(श्रीमती लद्मीकुमारी चूंडावत)
,,	अंतिम से ३	बँधा	बंधा
५१७६	८	कभी भी सरकार	कभी भी
५१८४	६	व्यावर	ब्यावर
५१८५	१३	lcast	least
,,	१४	Mest	Most
,,	१६, १७	watters	matters
,,	अंतिम	exten:ıon	extension
५१८७	अंतिम से६	ofi nformation,	of information,
,,	,, ,, १३	चाहे वह आगे	चाहे आगे
५१८८	३	श्री हरिश्चन्द	श्री हरिश्चन्द्र
,,	अन्तिम	ट्रू कॉपी	ट्रू कापी
५१९०	९	ग्रुप	ग्रुप
५१९६	१३	दरख्वास्त	दरख्वास्त
५२०२	शीर्ष	(श्री मीखा भाई)	(श्री मीखाभाई)
५२१०	१४	प्रव	प्रव
५२२०	१०	you s hould	you should
५२२१	अन्तिम से१०	में-प्रोपोजल्स	में, प्रोपोज़ल्स
५२३४	५	तदन्तर	तदनन्तर